59

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उनसठवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित
लंबित आश्वासनों की समीक्षा

23/03/22 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022 / चैत्र, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना (iv)

प्राक्कथन (v)

प्रतिवेदन

एक. प्रस्तावना 1-7

दो. कार्यान्वयन प्रतिवेदन 8-9

परिशिष्ट

एक. "एमएनसी में दलितों को आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता" के संबंध में दिनांक 01.12.2005 का सदस्यों द्वारा निवेदन 10

दो. "असंगठित मजदूरों संबंधी विधेयक" के संबंध में दिनांक 21.02.2006 के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 11-14

तीन. "उर्वरकों के मूल्य " के संबंध में दिनांक 04.08.2011 का तारांकित प्रश्न सं. 71 15-19

चार.* "फैक्ट लि. कोचीन का पुनरुद्धार " के संबंध में दिनांक 29.11.2012 का अतारांकित प्रश्न सं. 1024 20

पांच.* "एफ.ए.सी.टी. को वित्तीय सहायता/पैकेज" के संबंध में दिनांक 20.12.2012 का अतारांकित प्रश्न सं. 4449 21

छह. "एफ.ए.सी.टी. का पुनरुद्धार' के संबंध में दिनांक 11.02.2014 का अतारांकित प्रश्न सं. 3120 22

सात. "उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 08.07.2014 का तारांकित प्रश्न सं. 22 (श्री अनिरुद्धन सम्पत , संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) 23-34

*कार्यान्वयन रिपोर्ट 16.03.2022 को सभा पटल पर रखी

आठ.* "बंद पड़े/ रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार" के संबंध में दिनांक 08.07.2014 का तारांकित प्रश्न सं. 31 — 35-39

नौ. "फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि. को वित्तीय सहायता" के संबंध में दिनांक 08.07.2014 का अतारांकित प्रश्न सं. 73 — 40

दस.* "एफ.ए.सी.टी. के शेयरों की बिक्री " के संबंध में दिनांक 15.07.2014 का अतारांकित प्रश्न सं. 661 — 41-42

ग्यारह.* "उर्वरक संयंत्र" के संबंध में दिनांक 05.08.2014 का तारांकित प्रश्न सं. 386 (श्री एन.के.प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) — 43-56

बारह. "उर्वरक कारखानों का नवीकरण" के संबंध में दिनांक 12.08.2014 का अतारांकित प्रश्न सं. 4681 — 57-58

तेरह.* "फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि. का पुनरुद्धार" के संबंध में दिनांक 25.11.2014 का अतारांकित प्रश्न सं. 384 — 59

चौदह.* "उर्वरकों की आपूर्ति" के संबंध में दिनांक 26.07.2016 का तारांकित प्रश्न सं. 121 (प्रो. के.वी.थॉमस, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) — 60-73

पंद्रह.* "फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड" के संबंध में दिनांक 21.03.2017 का अतारांकित प्रश्न सं. 3190 — 74

सोलह. "रुग्ण उर्वरक इकाइयां' के संबंध में दिनांक 12.02.2019 का अतारांकित प्रश्न सं. 1492 — 75

सत्रह. "पीएसयू को बढ़ावा " के संबंध में दिनांक 28.03.2017 का अतारांकित प्रश्न सं. 4353 — 76-80

अठारह. "नया उर्वरक उद्योग" के संबंध में दिनांक 25.11.2014 का अतारांकित प्रश्न सं. 301 — 81-83

*कार्यान्वयन रिपोर्ट 16.03.2022 को सभा पटल पर रखी

उन्नीस. "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार" के संबंध में दिनांक 25.11.2014 का अतारांकित प्रश्न सं. 3498	84-87
बीस. "रुग्ण उर्वरक संयंत्र" के संबंध में दिनांक 05.02.2019 का तारांकित प्रश्न सं. 32	88-90
इक्कीस. "यूरिया निवेश नीति " के संबंध में दिनांक 19.12.2017 का अतारांकित प्रश्न सं. 508	91-97
बाईस. "उर्वरक संयंत्रों से राजस्व" के संबंध में दिनांक 18.12.2018 का अतारांकित प्रश्न सं. 1264	98-101
तेईस.* "उर्वरकों पर राजसहायता" के संबंध में दिनांक 24.02.2015 का तारांकित प्रश्न सं. 3 (श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	102-114
चौबीस. "उर्वरकों पर राजसहायता" के संबंध में दिनांक 24.02.2015 का तारांकित प्रश्न सं. 3 (श्री कृपाल बालाजी तुमाने , संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	115-127
पच्चीस. "अनुदान तंत्र" के संबंध में दिनांक 05.02.2019 का अतारांकित प्रश्न सं. 415	128-130
छब्बीस. भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से उद्धरण।	131-135
सत्ताईस. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की 15 नवम्बर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश ।	136-140
अट्ठाईस. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की 08 मार्च, 2022 बैठक को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश ।	141-142

*कार्यान्वयन रिपोर्ट 16.03.2022 को सभा पटल पर रखी

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)*
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पांडेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. श्री टी.एस. रंगराजन - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेवा - अवर सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202.

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह उनसठवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) ने 15 नवम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में लम्बित आश्वासनों के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) ने 8 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं ।

5. संदर्भ और सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र, 1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रारूप प्रतिवेदन

एक. प्रस्तावना

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सभा में समय-समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, किए गए वादों आदि की जांच करती है और इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि ऐसे आश्वासनों, वादों, वचनों आदि को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है। सभा में कोई आश्वासन दिए जाने के पश्चात् उसे तीन महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है । भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासन को निर्धारित तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में समय-विस्तार की मांग करना अपेक्षित है । जहां मंत्रालय/विभाग किसी आश्वासन को कार्यान्वित करने में असमर्थ हों, वहां उन्हें आश्वासन को छोड़ने के लिए समिति से अनुरोध करना होता है । समिति ऐसे अनुरोधों पर विचार करती है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होती है कि बताए गए आधार तर्कसंगत हैं, तो आश्वासन को छोड़ने की स्वीकृति देती है। समिति इस बात की भी जांच करती है कि क्या आश्वासन का कार्यान्वयन उस प्रयोजनार्थ आवश्यक न्यूनतम समय के अंदर हुआ है अथवा नहीं तथा आश्वासन को किस सीमा तक पूरा किया गया है ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2009-2010) ने लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने, लंबित होने के कारणों की जांच करने, आश्वासनों पर कार्रवाई करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में निर्धारित प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने का नीतिगत निर्णय लिया । समिति ने सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये आश्वासनों की गुणवत्ता को भी देखने का निर्णय लिया ।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2014-15) ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने की सुस्थापित और समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रक्रिया का पालन करने और लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने का निर्णय लिया । समिति ने एक कदम और बढ़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी बुलाने का निर्णय लिया क्योंकि सभी आश्वासनों का कार्यान्वयन उनके माध्यम से किया जाता है।

4. उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को 15 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में बुलाया। समिति ने निम्नलिखित 25 आश्वासनों (परिशिष्ट एक से पच्चीस) की विस्तृत जांच की:-

तालिका- एक

क्र. सं.	ता.प्र.सं/अता.प्र.सं.और दिनांक	विषय
1.	दिनांक 01-12-2005 को सदस्यों द्वारा निवेदन	एमएनसी में दलितों को आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता (परिशिष्ट-एक)
2.	दिनांक 21-02-2006 के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	असंगठित मजदूरों संबंधी विधेयक (परिशिष्ट-दो)
3.	ता.प्र.सं. 71 दिनांक 04.08.2011	उर्वरकों के मूल्य (परिशिष्ट- तीन)
4.*	अता.प्र.सं.1024 दिनांक 29.11.2012	फैक्ट लि., कोचीन का पुनरुद्धार (परिशिष्ट-चार)
5. *	अता.प्र.सं. 4449 दिनांक 20.12.2012	एफ.ए.सी.टी. को वित्तीय सहायता/पैकेज (परिशिष्ट-पांच)
6.	अता.प्र.सं. 3120 दिनांक 11.02.2014	एफ.ए.सी.टी. का पुनरुद्धार (परिशिष्ट-छह)
7.	ता.प्र.सं. 22 दिनांक 08.07.2014 (श्री अनिरुद्धन सम्पत , संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि (परिशिष्ट-सात)

*कार्यान्वयन रिपोर्ट 16.03.2022 को सभा पटल पर रखी

8. *	ता.प्र.सं. 31 दिनांक 08.07.2014	बंद पड़े/ रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार (परिशिष्ट- आठ)
9.	अता.प्र.सं. 73 दिनांक 08.07.2014	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि. को वित्तीय सहायता (परिशिष्ट- नौ)
10. *	अता.प्र.सं. 661 दिनांक 15.07.2014	एफ.ए.सी.टी. के शेयरों की बिक्री (परिशिष्ट- दस)
11. *	ता.प्र.सं. 386 दिनांक 05.08.2014 (श्री एन.के.प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उर्वरक संयंत्र (परिशिष्ट- ग्यारह)
12.	अता.प्र.सं. 4681 दिनांक 12.08.2014	उर्वरक कारखानों का नवीकरण (परिशिष्ट- बारह)
13. *	अता.प्र.सं. 384 दिनांक 25.11.2014	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि. का पुनरुद्धार (परिशिष्ट- तेरह)
14. *	ता.प्र.सं. 121 दिनांक 26.07.2016 (प्रो. के.वी.थॉमस, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उर्वरकों की आपूर्ति (परिशिष्ट- चौदह)
15. *	अता.प्र.सं. 3190 दिनांक 21.03.2017	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (परिशिष्ट- पंद्रह)

*कार्यान्वयन रिपोर्ट 16.03.2022 को सभा पटल पर रखी

16.	अता.प्र.सं.1492 दिनांक 12.02.2019	रुग्ण उर्वरक इकाइयां (परिशिष्ट-सोलह)
17.	अता.प्र.सं.4353 दिनांक 28.03.2017	पीएसयू को बढ़ावा (परिशिष्ट-सत्रह)
18.	अता.प्र.सं.301 दिनांक 25.11.2014	नया उर्वरक उद्योग (परिशिष्ट-अठारह)
19.	अता.प्र.सं. 3498 दिनांक 11.08.2015	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार (परिशिष्ट- उन्नीस)
20.	ता.प्र.सं. 32 दिनांक 05.02.2019	रुग्ण उर्वरक संयंत्र (परिशिष्ट- बीस)
21.	अता.प्र.सं.508 दिनांक 19.12.2017	यूरिया निवेश नीति (परिशिष्ट-इक्कीस)
22.	अता.प्र.सं. 1264 दिनांक 18.12.2018	उर्वरक संयंत्रों से राजस्व (परिशिष्ट-बाईस)
23. *	ता.प्र.सं. 3 दिनांक 24.02.2015 (श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उर्वरकों पर राजसहायता (परिशिष्ट-तेईस)
24.	ता.प्र.सं. 3 दिनांक 24.02.2015 (श्री कृपाल बालाजी तुमाने , संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उर्वरकों पर राजसहायता (परिशिष्ट-चौबीस)
25.	अता.प्र.सं. 415 दिनांक 05.02.2019	अनुदान तंत्र (परिशिष्ट- पच्चीस)

*कार्यान्वयन रिपोर्ट 16.03.2022 को सभा पटल पर रखी

5. भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय से आश्वासनों का रजिस्टर बनाए रखने और आश्वासनों के कार्यान्वयन में देरी को कम करने के लिए आवधिक समीक्षा किए जाने के अलावा आश्वासन की परिभाषा, इसे पूरा करने की समय-सीमा, इसे छोड़ने/इसका लोप करने और समय विस्तार, इसे पूरा करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में दिशा-निर्देश निधारित करने संबंधी उद्धरणों को परिशिष्ट-छब्बीस में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

6. मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालयों/विभागों को तीन महीने की अवधि के भीतर आश्वासन को पूरा करना आवश्यक है और यदि मंत्रालय/विभाग उस समयावधि के भीतर आश्वासन को पूरा करने में असमर्थ हैं तो उनके लिए समय विस्तार की मांग करना अनिवार्य है। समिति ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 46 आश्वासनों (17वीं लोक सभा के चौथे सत्र तक) की लंबे समय से लंबित सूची की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराया । इनमें से 2 आश्वासन 14वीं लोक सभा, 04 आश्वासन 15वीं लोक सभा, 19 आश्वासन 16वीं लोक सभा और 21 आश्वासन 17वीं लोक सभा से संबंधित थे। चूंकि 14वीं लोक सभा से संबंधित आश्वासन बहुत पुराने थे और 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे, इसलिए समिति ने मंत्रालय में लंबित आश्वासनों की निगरानी और आवधिक समीक्षा के बारे में पूछताछ की ताकि उनके कार्यान्वयन में विलंब को कम किया जा सके और संसदीय आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए लागू प्रणाली और इस संबंध में आयोजित बैठकों की संख्या के बारे में पूछताछ की । उर्वरक विभाग के सचिव ने निम्नवत बताया -

" *आश्वासन समिति की पूर्व बैठक* 10 *अगस्त*, 2020 *को आयोजित की गई थी। इसमें समिति ने निर्णय लिया था कि विभाग को अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए और इसमें नवोन्मेषी विचारों को शामिल करना चाहिए ताकि सभी आश्वासनों को पूरा किया जा सके। समिति के निर्देशों के अनुपालन में, हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें महीने में दो बार आयोजित करते हैं, जिसमें हर* 15 *दिनों में आश्वासन एक अलग विषय रहता है जिस पर हम सभी चर्चा करते हैं। जो आश्वासन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित हैं, उनके लिए अध्यक्ष अलग से उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी को बुलाते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए एक अलग त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। उसमें भी आश्वासन मुख्य विषय रहते हैं। महोदय, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास आश्वासन लम्बित हैं, मैं माननीय समिति को बताना चाहूंगा कि उन आश्वासनों में जो बहुत जटिल हैं या जो नीतिगत निर्णयों से संबंधित हैं या जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख नीतिगत निर्णयों से संबंधित हैं, हम उन पर नियमित रूप से चर्चा करके उन्हें पूरा करने का प्रयास*

करते हैं। शेष आश्वासन जोकि सामान्य हैं, हमने उन्हें पूरा कर लिया है। मैं उन आश्वासन के बारे में जानकारी देना चाहूंगा जो माननीय समिति के समक्ष विचाराधीन हैं।'

7. तत्पश्चात् समिति ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या मंत्रालय आश्वासनों की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है और जैसा कि पूर्व में समिति द्वारा निर्देश दिया गया है, क्या मंत्रालय ने उन बैठकों के कार्यवृत्तों को समिति को भेजा है । उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों ने निम्नानुसार उत्तर दिया: -

"बैठकें होती हैं और कार्यवृत्त भी होते हैं। जहां तक हमें जानकारी है, वह बैठक अगस्त में आयोजित की गई थी और उसके बाद कार्यवृत्त भेज दिये गए थे।"

8. तालिका-I में क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित आश्वासन के संबंध में, उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि असंगठित कामगारों से संबंधित विधेयक, जिस पर आश्वासन आधारित था, दिसंबर, 2008 में पारित किया गया था और असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की राजपत्र अधिसूचना की प्रति उनके पास उपलब्ध है जिसमें यह कहा गया है कि आश्वासन को वर्ष 2008 में ही पूरा कर लिया गया था। तथापि, यह पूछे जाने पर कि उर्वरक विभाग ने इस आश्वासन को 13 वर्षों की लंबी अवधि तक लंबित रखने की अनुमति क्यों दी और विधेयक के पारित होते ही संसदीय कार्य मंत्रालय को अपनी कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं की, प्रतिनिधि कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

9. तत्पश्चात्, तालिका 1 के पैरा 4 में उल्लिखित 25 आश्वासनों में से, क्रम सं. 1, 2, 19, 21 और 22 पर उल्लिखित आश्वासनों में से 05 को चूंकि 1 दिसंबर, 2021 को कार्यान्वित किया जा चुका है और क्रम सं. 23 पर उल्लिखित आश्वासन के संबंध में आंशिक कार्यान्वयन रिपोर्ट को 10 अगस्त, 2016 को सभा पटल पर रखा गया था।

<u>टिप्पणियाँ / सिफारिशें</u>

10. समिति नोट करती है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के उनके द्वारा जांचे गए 25 आश्वासनों में से 20 आश्वासन दो से 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। केवल पांच आश्वासनों को ही पूरा किया जा सका, वह भी तीन से 16 वर्षों से अधिक की देरी के बाद। विडम्बना यह है कि यह असामान्य देरी इस तथ्य के बावजूद हुई कि मंत्रालय ने अपने लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित किया है और जैसा कि उर्वरक विभाग के सचिव द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान दावा किया गया है, इस प्रयोजनार्थ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। समिति को इस बात की पूरी जानकारी है कि कुछ आश्वासनों, विशेषरूप से नीतिगत मामलों और संवेदनशील मुद्दों से संबंधित आश्वासनों

के कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है और इन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करना कठिन होता है। तथापि, आश्वासनों को पूरा करने के लिए निरंतर और सक्रिय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये संसदीय दायित्व होते हैं। समिति का मानना है कि आश्वासनों की समयबद्ध पूर्ति से शासन में आम आदमी का विश्वास बना रहता है और आश्वासनों की उपयोगिता और प्रासंगिकता इसकी पूर्ति में अत्यधिक विलंब होने पर समाप्त हो जाती है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा आश्वासनों की समीक्षा करने की वर्तमान प्रणाली को अनिवार्य परिणामोन्मुखी नियमित समीक्षाओं के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि आश्वासनों, विशेषरूप से लंबित आश्वासनों को पूरा करने में असामान्य विलंब से बचा जा सके।

11. तालिका- एक के क्रम सं. 2 में उल्लिखित आश्वासन पर चर्चा करते समय मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति को सूचित किया गया कि असंगठित कामगारों से संबन्धित विधेयक की राजपत्र अधिसूचना जारी हो चुकी है और विधेयक को अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को यह भी सूचित किया कि विधेयक वर्ष 2008 में पारित किया गया था और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक की राजपत्र अधिसूचना की प्रति उनके पास उपलब्ध है। यह नोट करना चिंताजनक है कि दिनांक 21-02-2006 को दिए गए आश्वासन का कार्यान्वयन उक्त विधेयक के अधिनियमन पर आधारित था जो वर्ष 2008 में ही पूरा कर लिया गया था और फिर भी विभाग ने 13 वर्षों से आश्वासन की कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया । मंत्रालय का ऐसा लापरवाही वाला दृष्टिकोण और इस मुद्दे को प्राथमिकता देने में उसकी विफलता अत्यधिक निंदनीय है। इन विलम्बों से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि आश्वासनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभाग में की जाने वाली पाक्षिक समीक्षा बैठकें आश्वासनों के कार्यान्वयन की निगरानी और समय पर कार्यान्वयन करने में प्रभावी नहीं रही हैं। समिति का विचार है कि जब असंगठित कामगार विधेयक पारित किया गया था, तो मंत्रालय को तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी और आश्वासन को पूरा करना चाहिए था। समिति की सुविचारित राय में, जब तक मंत्रालय की समीक्षा बैठकों से सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते, तब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा और आश्वासन पूरे नहीं होंगे। समिति, मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह अपने मौजूदा तंत्र में सुधार करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय, आश्वासनों की निगरानी के लिए समय-समय पर मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत करे क्योंकि इससे आश्वासनों के कार्यान्वयन के संबंध में उर्वरक विभाग की प्रगति को जानने में समिति को सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह उत्तरदायित्व को तय करने के लिए एक उपयोगी समीक्षा दस्तावेज के रूप में काम करेगा।

12. समिति यह भी नोट करती है कि उर्वरक विभाग और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच कोई प्रभावी समन्वय नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कतिपय आश्वासनों को केवल इस कारण से कार्यान्वित नहीं किया जा सका कि कार्यान्वयन प्रतिवेदन को समय पर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका। समिति की इच्छा है कि उर्वरक विभाग के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय भी लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से उच्चतम स्तर पर समीक्षा करे ताकि लंबित आश्वासनों पर सक्रिय कार्रवाई और इनका त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। समिति उर्वरक विभाग और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा लंबित आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए की गई अन्य पहलों से अवगत होना चाहती है।

13. समिति प्रसन्नतापूर्वक इस बात को नोट करती है कि उसके हस्तक्षेप पर मंत्रालय द्वारा क्रम सं 1, 2, 19, 21 और 22 पर उल्लिखित पांच आश्वासनों को पूरा कर दिया गया है और इनसे संबन्धित कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को 17वीं लोक सभा के 7वें सत्र के दौरान सभा पटल पर रख दिया गया है। समिति को आशा और विश्वास है कि मंत्रालय भविष्य में सतर्क और तत्पर रहेगा और समिति के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा किए बिना शेष लंबित आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय सहित सभी संबंधितों के साथ बेहतर तरीके से समन्वय करेगा।

दो. कार्यान्वयन प्रतिवेदन

14. संसदीय कार्य मंत्रालय के विवरणों के अनुसार, निम्नलिखित पांच आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन और 'उर्वरकों पर राजसहायता' (क्रम सं 23) विषय संबधी दिनांक 24-02-2015 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 (श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर में दिए गए आश्वासन के संबंध में आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन को उनके सम्मुख अंकित तिथियों पर सभा पटल पर रख दिया गया है-

तालिका - 2

क्रम सं.	तालिका 1 में क्रम सं. (पैरा संख्या 4)	ता./अता. प्रश्न सं. और दिनांक	कार्यान्वयन की तिथि
1.	क्रम सं.1	'बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दलितों के लिए आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता' विषय के संबंध में सदस्यों द्वारा दिनांक 01-12-2005 के निवेदन	01.12.2021

2.	क्रम सं. 2	'असंगठित कामगारों के संबंध में विधेयक' विषय के संबंध में दिनांक 21-02-2006 के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	01.12.2021
3.	क्रम सं. 19	'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरूद्धार' विषय संबंधी दिनांक 11.08.2015 का अता. प्रश्न सं. 3498	01.12.2021
4.	क्रम सं.21	'यूरिया निवेश नीति' विषय संबंधी दिनांक 19.12.2017 का अता. प्रश्न सं 508	01.12.2021
5.	क्रम सं. 22	'उर्वरक संयत्रों से राजस्व' विषय संबंधी दिनांक 18.12.2018 का अता. प्रश्न सं. 1264	01.12.2021
6.	क्रम सं. 23	'उर्वरकों पर राजसहायता' विषय संबंधी दिनांक 24.02.2015 का ता. प्रश्न सं. 3 (श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	10.08.2016

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र 1944 (शक)

राजेंद्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट - एक

"एमएनसी में दलितों को आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता" के संबंध में दिनांक 01.12.2005 का सदस्यों द्वारा निवेदन

(iii) **Re : Need to provide reservation for dalits in multi national companies**

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आरक्षण देने की बात कही गई थी लेकिन काफी समय हो गया है और अभी तक यू.पी.ए. सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जितनी भी देश में सरकारी नौकरियां हैं, सभी विभागों में एस.सी.एस.टी. का बैक-लॉग अधूरा है और सरकार बिल्कुल इसे पूरा नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, यहां सोनिया गांधी जी भी बैठी हुई है, राम विलास पासवान जी भी बैठे हुए हैं, एस.सी.एस.टी. के इस बैक-लॉग को पूरा किया जाए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दलितों को आरक्षण मिले, इसकी व्यवस्था की जाए।

रसायन **और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान)** : अध्यक्ष जी, सरकार ने निर्णय लिया है कि एस.सी.एस.टी. का जो भी बैक-लॉग है, इसे 30 दिसम्बर, 2005 तक पूरा कर दिया जाएगा और जहां तक प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन देने की बात है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कांस्टीटयूट कर दिया गया है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, वह सरकार के विचाराधीन है तथा वैल्फेअर मिनिस्ट्री उसका कोआर्डिनेशन कर रही है।

MR. SPEAKER: Shri Avinash Rai Khanna --- Not present.

. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Chandra Sekhar Sahu.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The President should have seen these realities. . (*Interruptions*) Land reforms in the States of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh: less we speak about it is better. Your land reform is a eye wash. It is not a land reform. All the studies made about the land reforms in India admit that the land reform has been meaningfully done to create a new life for the common people only by the Left-ruled States.. (*Interruptions*) I do not want your certificate but that is the reality.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only Shri Chandrappan's statement will go on record. (*Interruptions*)*.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandrappan, address the Chair and not any individual. This is not the proper way.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will only look at you.

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चेयर को एड्रैस करेंगे तो फिर शोर भी नहीं होगा।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : This is the problem. Why in the Human Development Index, our position has come down from 124 to 127? It is because of these realities about which the President did not speak a single word. Land reforms could have been a single measure by which big changes in the country would have taken place, about which he was silent. Shrimati Sonia Gandhi is

here. I am happy. Sir, 50 per cent of the Indian population would have been happy if our President would have made a categorical statement that we will bring the Bill for one-third reservation for women in Parliament and the State Assemblies in this Session. Did he do so? He did not do so. He made a very enigmatic statement. He said they will try to do that. We were hearing that. This side, the NDA people were trying to do that. Now you are also saying that you will try to do that. Let us come to a position. Let us take risk. You introduce a Bill and see who are against women. If you do not take the risk, if you do not introduce the Bill, if you sing only the song: "We will try, we will try, we shall

* Not Recorded.

overcome", you will never overcome that. Let us not sing the song "We shall overcome". If you want to get the support of half of the population in the country, that single act of yours would have made a difference. The President did not say anything. He said: "We will try." We are tired of hearing that we shall try. There is another side of the picture. When you speak about the economic development, you see what is the plight of the common people? There is another thing. The annual income of 50,000 families in India is Rs. 5 crore each.

Another five thousand families have been added to that. There are 50,000 affluent families and another five thousand families have been added to that. Thirteen new billionaires have been created in India during this period. Does it mean that poverty alleviation is taking place or does it mean that our economic policies are creating millionaires? Another thing is that they are taxed with a very soft attitude. The tax net is widened. That means, more people should be taxed but more rich people are spared. The reality of the situation today is that India is the least taxed country. That situation should go. Otherwise you will make the poor man to feel the crunch of all the taxes. You will say that there is no money for development programmes. You have got a much trumpeted programme, Bharat Nirman. Last year, the President said in his Address that we have the

Bharat Nirman programme. Thereafter, Shri Chidambaram came and said here in his Budget that we are implementing the Bharat Nirman programme. I would have liked to hear from the President to what extent that implementation took place. One year has passed. You have only five years not 50 years. The President did not mention about it. He only said that Bharat Nirman is still there. How long will we hear this? Every year you will come and say: "Bharat Nirman is there." The Government is not seriously trying to implement it. That is our charge.

Sir, there is another thing, which I would like to say, that the workers especially the most downtrodden people, the agricultural workers are in the unorganized sector. The UPA Common Minimum Programme is there. It says that our focus would be to give such guarantees and that 90 per cent of the population or 93 per cent of the workforce would be given a better treatment. Have you spared a single second for that? Sir, these people promised that. Did they bring an enactment for deciding the minimum wage of the agricultural workers? That is a promise given in the Common Minimum Programme. They have not done it so far. They say, "We shall overcome." But so far they have not done it. So, you did not try to do that. On the contrary, you are trying to do things . (*Interruptions*)

SHRI BIJOY HANDIQUE : A Bill on the unorganised workers may be coming in this Session. It is in the process. . (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The President should have mentioned about this in his Address. You are not the President. I am debating the President's Address. . (*Interruptions*)

SHRI BIJOY HANDIQUE: If you come to me, I will show you the document. . (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : If you are bringing it, then that is very good. . (*Interruptions*)

SHRI BIJOY HANDIQUE: This Bill on the unorganised workers may come in this Session. . (*Interruptions*)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Not a single word has been mentioned in the President's Address. . (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I am extremely happy that the Minister has made a statement. Can I take it as an assurance? . (*Interruptions*)

SHRI BIJOY HANDIQUE: It is in the process. If possible we are trying to introduce the Bill in this Session. . (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Why are you sliding back? You said that the Bill is coming in this Session. We welcome that. . (*Interruptions*)

SHRI BIJOY HANDIQUE: I have said that we are trying to introduce this Bill. . (*Interruptions*) Shri Chandrappan, I will convince you. The Bill is in the process. It may come anytime now, maybe in the second half of this Session. . (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Even then I am happy. In one second, he has slided thrice. He said: "The Bill is coming." Then he said: "It is in the process." Now he says: "It may come." . (*Interruptions*)

SHRI BIJOY HANDIQUE: I said: "The Bill may come in the second half of the Session." It might come. . (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Very good. I congratulate you.

If that Bill comes in the second half of this Session, then I congratulate you for that. I do not know why this was made a secret. Why did you not give the honour to the President to say this? Anyway I am happy that he has explained.

But I did not hear another promise that the Women's Reservation Bill is coming.

परिशिष्ट – तीन

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 71*

जिसका उत्तर गुरुवार, 4 अगस्त, 2011/13 श्रावण, 1933 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के मूल्य

71*. श्री हर्ष वर्धन:
श्री पी.सी. मोहन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया और मिश्रित उर्वरकों के मूल्यों पर पोषाहार आधारित राजसहायता योजना का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस योजना के कारण उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों पर किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता देने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ड.) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है या उठाए जा रहे हैं; और

(च) किसानों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत कुमार जेना)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री हर्ष वर्धन और श्री पी.सी.मोहन द्वारा उर्वरकों के मूल्य के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*71, जिसका उत्तर 4.8.2011 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों की पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति को 1.4.2010 से कार्यान्वित किया गया है।

एनबीएस पीएण्डके उर्वरकों के 22 ग्रेडों के लिए उपलब्ध है जिसमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी, 18-46-0), डाई-अमोनियम फॉस्फेट लाइट (डीएपी, 16-44-0), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी, 11-52-0), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी, 0-46-0), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), मिश्रित उर्वरकों के 15 ग्रेड तथा अमोनियम सल्फेट (एएस-(जीएसएफसी और फैक्ट द्वारा केप्रोलैक्टम ग्रेड) शामिल हैं। ऊपर उल्लिखित उर्वरकों में निहित प्राथमिक पोषक-तत्व, अर्थात् नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी) और पोटाश (के) तथा द्वितीय पोषक-तत्व सल्फर (एस) एनबीएस के लिए पात्र है।

एनबीएस के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों पर राजसहायता प्रति कि.ग्रा. आधार पर प्रति पोषक-तत्व के लिए निर्धारित है और सरकार द्वारा इसे वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। एनबीएस को किसानों की वहनीय तथा उर्वरकों के प्रचलित मूल्य स्तर और उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक के आदानों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाता है। चूंकि उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड के लिए राजसहायता वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है, अत: फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुक्त कर दिया गया है। तदनुसार, पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी पर निर्णय लिया जाता है और उसे उर्वरक का उत्पादन करने वाली कंपनियों या आयातकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि, उन्हें प्रत्येक उर्वरक बैग पर राजसहायता की विद्यमान लागू राशि को स्पष्ट रूप से एमआरपी के साथ मुद्रित करना होता है। मुद्रित एमआरपी से अधिक कीमत पर कोई बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है।

चूंकि एनबीएस के अंतर्गत राजसहायता एक वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है, अत: उर्वरकों तथा उसकी कच्ची सामग्रियों में हुई कमी या वृद्धि का इन उर्वरकों की एमआरपी पर प्रभाव पड़ेगा जिसे कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2011 में उर्वरकों तथा इसकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वर्ष 2010 के मूल्यों की तुलना में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। उर्वरकों तथा इसकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में इस वृद्धि को वर्ष 2011-12 के लिए एनबीएस योजना के अंतर्गत राजसहायता दरें निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया है। तथापि, उर्वरकों तथा इसकी कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में आगे कोई वृद्धि या कमी का इन उर्वरकों की एमआरपी में समान प्रभाव पड़ने की संभावना है जिसे कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

यूरिया सरकार के नियंत्रणाधीन है और इसका आयात सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सारणीबद्ध एजेंसियों के जरिए किया जाता है। एनबीएस योजना को यूरिया पर लागू नहीं किया गया है तथा इसे नई मूल्य-निर्धारण योजना-III (एनपीएस-III) द्वारा अधिशासित किया जाता है। यूरिया की एमआरपी लगातार सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है और इसलिए एनबीएस योजना का यूरिया की एमआरपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से निर्धारित यूरिया की एमआरपी 5310 रुपए प्रति मीट्रिक टन है।

(घ) और (ङ): किसानों को सीधे राजसहायता अंतरित करने की जांच करने और इसका कोई समाधान निकालने के लिए श्री नंदन नीलेकनि, अध्यक्ष, भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की अध्यक्षता में केरोसिन, एलपीजी और उर्वरकों के संबंध में प्रत्यक्ष राजसहायता पर एक कार्यदल का गठन किया गया है। उर्वरक विभाग ने यह आदेश दिया है कि किसानों को उर्वरक वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाए। कार्यदल से यह कार्यान्वयन समाधान निकाले जाने की अपेक्षा की जाती है कि लाभार्थियों को राजसहायता का प्रत्यक्ष अंतरण कैसे किया जा सकता है। कार्यदल की एक अंतरिम रिपोर्ट सरकार को 5 जुलाई, 2011 को प्रस्तुत की गई है और यह वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उर्वरकों के मामले में, कार्यदल ने प्रत्यक्ष राजसहायता के मुद्दे पर त्रि-आयामी दृष्टिकोण की सिफारिश की है। चरण-I के अंतर्गत फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों के संबंध में उपलब्ध सूचना एकत्र की जाएगी, जिसमें बिक्री के अंतिम बिंदु पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। चरण-II, जिसे चरण-I के स्थिर होने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा, राजसहायता को अंतिम बिक्री प्वाइंट तक अंतरित किए जाने की संभावना है, तथा चरण-III, जब चरण-I और II स्थिर हो जाएगा, में लाभार्थियों को आधार नम्बर दिए जाने और आधार द्वारा भुगतान किए जाने की अपेक्षा की जाती है। चरण-I दिसंबर 2011 में और चरण-II जून 2012 में पूरा हो जाएगा। चरण-III सभी पात्र लाभार्थियों को आधार संख्या दिए जाने के बाद शुरू होगा।

(च) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो, भारत सरकार के मूल्य और आंशिक संचलन तथा वितरण नियंत्रण के अधीन है। डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों, एसएसपी आदि जैसे अन्य सभी उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं। तथापि, पीएण्डके उर्वरकों की 20% मात्रा का संचलन सरकार द्वारा नियंत्रित है। पिछले कुछ वर्षों से देश में प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की मांग बढ़ रही है। उर्वरकों की बढ़ती मांग को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। उर्वरकों की उपलब्धता दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक-I** पर दर्शाया गया है।

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक खरीफ और रबी मौसम के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाते हैं, जिसमें उर्वरकों की आवश्यकता और उपलब्धता का राज्य सरकारों, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए आकलन किया जाता है।

(ii) उर्वरक विभाग द्वारा राजसहायता योजना के अंतर्गत उनके द्वारा आपूर्ति किए गए उर्वरकों हेतु प्रत्येक उर्वरक कंपनी को मासिक आपूर्ति योजना दी जाती है। यूरिया के संबंध में मासिक संचलन आदेश जारी किए जाते हैं। नियंत्रणमुक्त उत्पादित/आयातित उर्वरकों के मूल्य का 20% आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियंत्रणाधीन संचलन के अधीन है। उर्वरक विभाग द्वारा कम पहुंच वाले क्षेत्रों में उर्वरकों की आपूर्तियों को कम करने के लिए इन उर्वरकों पर भी भाड़ा राजसहायता दी जाती है। सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा देश भर में निगरानी की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है ;

(iii) राज्य सरकारों को (i) आपूर्तिकर्ताओं को कारगर बनाने के लिए उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य संस्थागत अभिकरणों को निर्देश देने (ii) उनके राज्यों में रेलवे रैक प्वाइंट की समीक्षा करने तथा सुधार, यदि कोई हो, के लिए रेलवे के साथ मामला उठाने की सलाह दी गई है ताकि देश के कोने-कोने में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(iv) सरकार ने 1.4.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के संबंध में पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस के अंतर्गत राज्य सरकारों को उत्पादकों के साथ समन्वय करने के लिए अधिक सह-क्रियाशील भूमिका निभानी पड़ती है ताकि वे राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्तियों हेतु अनुबंध कर सकें।

(v) उर्वरक विभाग तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग प्रति सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य कृषि विभाग के साथ उर्वरक उपलब्धता की संयुक्त रूप से समीक्षा कर रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, तत्काल की जाती है ताकि किसानों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(vi) उर्वरक विभाग राज्य के किसी भाग में उर्वरकों की किसी कमी का पता लगाने के लिए दैनिक आधार पर उर्वरकों की खपत वाले प्रमुख राज्यों के अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क करते हैं तथा सुधारात्मक कार्रवाई तत्काल की जाती है ;

(vii) जहां तक नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का संबंध है, उर्वरकों की प्राप्ति/बिक्री पर राजसहायता जारी की जाती है।

(viii) यूरिया की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयातकों के जरिए पूरा किया जाता है।

(ix) एनबीएस के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर स्पष्ट रूप से विद्यमान राजसहायता सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करना होता है। मुद्रित निवल खुदरा मूल्य से अधिक पर बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होता है।

****

अनुलग्नक-I

तारांकित प्रश्न-71 दिनांक 04-08-2011

खरीफ 2011 (अप्रैल, 2011 से जून, 2011 तक) के दौरान यूरिया, डीएपी/एनपीकेs तथा एमओपी की संचयी आवश्यकता और उपलब्धता

मात्रा ('000 मी.टन में)

राज्य	यूरिया		डीएपी+एनपीकेs				एमओपी	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	पहले से उपलब्ध	आपूर्ति	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
आंध्र प्रदेश	400.00	507.02	480.00	159.68	519.04	678.72	95.00	51.63
कर्नाटक	230.00	368.60	484.80	385.20	448.25	833.45	126.00	61.32
केरल	42.75	50.21	71.00	11.81	60.05	71.86	43.65	45.14
तमिल नाडु	195.00	214.59	196.25	65.01	188.19	253.20	82.00	78.73
गुजरात	415.00	448.76	403.00	114.71	331.49	446.20	48.00	37.05
मध्य प्रदेश	200.00	286.18	332.94	189.88	182.39	372.27	25.20	21.11
छत्तीसगढ़	210.00	176.03	173.75	64.47	92.35	156.82	34.00	18.63
महाराष्ट्र	744.60	777.21	939.90	265.07	682.66	947.73	140.00	52.01
राजस्थान	193.00	245.09	162.40	70.45	97.48	167.93	13.00	6.52
हरियाणा	355.00	412.24	155.00	72.98	112.69	185.67	20.00	11.11
पंजाब	750.00	801.36	256.00	51.95	172.43	224.38	26.00	19.40
हिमाचल प्रदेश	27.50	25.72	7.80	2.00	7.96	9.96	0.30	0.00
जम्मू व कश्मीर	42.00	31.48	25.00	0.99	17.74	18.73	6.50	0.00
उत्तर प्रदेश	1525.00	1280.53	745.50	256.93	357.71	614.64	55.00	40.17
उत्तराखंड	66.00	80.57	33.00	0.00	21.08	21.08	4.50	0.50
बिहार	305.00	289.22	180.00	0.40	101.10	101.50	30.00	15.18
झारखण्ड	45.00	31.47	44.00	0.55	20.15	20.70	10.00	1.83
उड़ीसा	73.10	107.24	111.53	7.88	106.50	114.38	34.50	19.88
पश्चिम बंगाल	160.10	253.64	266.65	27.11	211.14	238.25	59.45	26.37
असम	60.20	54.37	11.83	7.50	9.16	16.66	25.80	10.60
अखिल भारत	6091.12	6464.00	5100.50	1754.57	3744.00	5498.57	885.01	522.00

परिशिष्ट - चार

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1024

जिसका उत्तर गुरुवार, 29 नवम्बर, 2012/8 अग्रहायण, 1934 (शक) को दिया जाना है।

फैक्ट लि., कोचीन का पुनरुद्धार

1024. श्री एम.के. राघवन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लि., कोचीन का इसके वर्तमान स्वरूप में पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की क्षमता विस्तार, वित्तीय सहायता तथा ब्रांड वेल्यू के सृजन सहित दिये जाने वाले पैकेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत कुमार जेना)

(क) और (ख): भारत सरकार ने कंपनी के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए मार्च, 2008 में फैक्ट को 200 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान जारी किया था। सरकार संयंत्रों के कुछ उपकरणों के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए योजना निधि ऋण भी उपलब्ध करा रहा है। पिछले पांच वर्षों में फैक्ट को उपलब्ध कराए गए योजना निधि ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	फैक्ट को आबंटित योजना ऋण
2007-08	15.00
2008-09	13.00
2009-10	34.00
2010-11	89.99
2011-12	60.74

फैक्ट ने वित्तीय पुनर्गठन करने तथा कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए नकद अनुदान देने के लिए पुन: एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कंपनी को परामर्शदाता द्वारा तैयार सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्गठन उद्यम बोर्ड (बीआरपीएसई) को एक विस्तृत वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त करने का सुझाव दिया गया था। विस्तृत वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है।

****

परिशिष्ट - पांच

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4449

जिसका उत्तर गुरुवार, 20 दिसंबर, 2012/29 अग्रहायण, 1934 (शक) को दिया जाना है।

एफ.ए.सी.टी. को वित्तीय सहायता/पैकेज

4449. श्री के.पी. धनपालन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केरल स्थित फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल त्रावनकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) को वित्तीय सहायता/पैकेज प्रदान किया है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा कया है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत कुमार जेना)

(क) से (ग): भारत सरकार ने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) को मार्च, 2008 में 200 करोड़ रुपए का सहायता-अनुदान जारी किया था ताकि कंपनी के प्रचालन को बनाए रखा जा सके। सरकार संयंत्रों के कुछेक उपकरणों का नवीनीकरण और प्रतिस्थापन करने के लिए भी योजना निधि ऋण उपलब्ध करा रही है। फैक्ट को पिछले पांच वर्षों में उपलब्ध कराए गए योजना निधि ऋण का ब्योरा निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	फैक्ट को आबंटित योजना ऋण
2007-08	15.00
2008-09	13.00
2009-10	34.00
2010-11	89.99
2011-12	60.74

इसके अलावा, फैक्ट से वित्तीय पुनर्गठन करने तथा कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए नकद अनुदान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है।

*****

परिशिष्ट – छह

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3120

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 (शक) को दिया जाना है ।

एफएसीटी का पुनरुद्धार

3120. श्री चार्ल्स डिएस:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या एफएसीटी के लिए पुनरुद्धार पैकेज को लागू करने में असाधारण देरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वेतन संशोधन और कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु बढ़ाने सहित पुनरुद्धार पैकेज को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)

(क): लोक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने दिनांक 20.12.2013 को आयोजित अपनी बैठक में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) के लिए एक व्यापक वित्तीय राहत पैकेज की सिफारिश की है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति हेतु नोट का एक प्रारूप सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले अंतर-मंत्रालयीन परामर्श के लिए 27.1.2014 को परिचालित किया गया है।

(ख): जी नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): कर्मचारियों का वेतन संशोधन तथा उनकी सेवा-निवृत्ति आयु में वृद्धि प्रस्तावित वित्तीय राहत पैकेज का हिस्सा नहीं है। इस स्तर पर वित्तीय राहत पैकेज के कार्यान्वयन के समय को बताया नहीं जा सकता। तथापि, 2007 के वेतनमानों को कंपनी में पहले ही लागू किया जा चुका है।

****

परिशिष्ट-सात

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 22*

जिसका उत्तर मंगलवार, 8 जुलाई, 2014/17 आषाढ, 1936 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

22*. **श्री बी.वी. नाईक:**
डॉ. ए.सम्पत:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उर्वरक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) देश में उर्वरकों के मूल्यों में आने वाले उतार-चढ़ाव की निगरानी के लिए विद्यमान तंत्र क्या है;
(घ) क्या बुवाई मौसम के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और
(ड.) किसानों को किफायती मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) से (ड़): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

उर्वरकों के मूल्यों मे वृद्धि के संबंध में दिनांक 08.07.2014 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 22* के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): किसानों को यूरिया 01.04.2010 से 5310 रु. प्रति मी.टन के सांविधिक मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मूल्य में नवम्बर 2012 से 50 रु. प्रति मी.टन की मामूली सी वृद्धि की गई थी ताकि मोबाइल आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एमएफएमएस) में उर्वरकों की प्राप्ति की सूचना देने हेतु खुदरा विक्रेताओं के खर्च को पूरा किया जा सके। इसलिए अब एमआरपी 5360 रु.प्रति मी.टन है जिसमें घरेलू तौर पर उत्पादित यूरिया के लिए 1% केंद्रीय उत्पाद शुल्क और आयातित यूरिया पर 1% प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए स्थानीय कर (वैट आदि) शामिल नहीं हैं।

फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के संबंध में सरकार 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रही है। एनबीएस नीति के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसमें निहित पोषक-तत्व (एन.पी.के. और एस.) के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा युक्तिसंगत स्तर पर नियत किए जाते हैं।

हमारा देश पोटाशयुक्त क्षेत्र में 100% तक और तैयार उर्वरकों अथवा मध्यवर्तियों के रूप में फास्फेटयुक्त क्षेत्र में लगभग 90% तक आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और इनकी कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का देश में पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों पर सीधा असर पड़ता है।

पीएण्डके उर्वरकों और इनकी कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में नरमी आने से पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य 2012-13 से स्थिर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान उर्वरक कंपनियों द्वारा तय किए गए विभिन्न राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के तिमाही-वार एमआरपी **अनुलग्नक-I** में दर्शाए गए हैं।

(ग): उर्वरकों के मूल्यों की निगरानी करने के लिए एनबीएस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय/कदम उठाए गए हैं:

(i) पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों की निगरानी वेब आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली(एफएमएस) के जरिए की जाती है।

(ii) उर्वरक कंपनियों को एफएमएस के अंतर्गत अपने उर्वरक उत्पादों के माह-वार एमआरपी आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं।

(iii) उर्वरक कंपनियों को 2012-13 से आगे छमाही आधार पर अपने उर्वरक उत्पादों के लागत आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(iv) पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों के संबंध में उपयुक्त निगरानी प्रणाली इजाद करने के उद्देश्य से उर्वरक कंपनियों को निदेश दिया गया है कि वे एफएमएस में प्रत्येक राज्य के लिए लागू एमआरपी ही बैगों पर मुद्रित करवाएं।

(घ): सरकार रबी और खरीफ मौसम के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराती है। इस संबंध में पिछले वर्षों और मौजूदा वर्ष जून 2014 तक के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

(ङ): किसानों को राजसहायता प्राप्त रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से माह-वार मांग का आकलन किया जाता है और प्रक्षेपित किया जाता है।

(ii) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है और निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता की निगरानी करता है:-

(iii) देश भर में सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in), द्वारा की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है।

(iv) राज्य सरकारों को अपने राज्य सांस्थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्यादि, के माध्यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्पादकों और आयातकर्ताओं के साथ समन्वय करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(v) उर्वरक विभाग (डीओएफ), कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में उपचारी कार्रवाई की जाती है।

****

अनुलग्नक-1

पोषक-तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित किए गए पीएण्डके उर्वरकों का उच्चतम अधिकतम खुदरा मूल्य(एमआरपी) रु./मी.टन में														
#	उर्वरक के ग्रेड	11-12(तिमाही-वार)				2012-13(तिमाही-वार)				2013-14 (तिमाही-वार)				2014-15 (तिमाही-वार
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	डीएपी : 18-46-0-0	12500	18200	20297	20000	24800	26500	26500	26500	26520	25000	24607	24607	24080
2	एमएपी : 11-52-0-0		18200	20000	20000	20000	24200	24200	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	टीएसपी : 0-46-0-0	8057	8057	17000	17000	17000	लागू नहीं	लागू नहीं	17000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एमओपी : 0-0-60-0	6064	11300	12040	12040	16695	23100	24000	18750	18638	17750	17750	17750	17892
5	16-20-0-13	9645	14400	15300	15300	15300	18200	18200	18200	17280	17710	17510	17010	17940
6	20–20–0-13	11400	14800	15800	15800	19000	24800	19176	24800	20490	19166	23500	23500	19710
7	23–23–0-0	7445	7445	एनबीएस नीति से बाहर है										
8	10–26–26-0	10910	16000	16633	16386	21900	22225	22225	22225	22213	22200	21160	21160	22260
9	12–32–16-0	11313	16400	16500	16400	22300	23300	22500	24000	23300	23300	21475	21105	22580
10	14–28–14-0		14950	17029	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
11	14–35–14-0	11622	15148	17424	17600	17600	23300	23300	23300	23300	23300	21810	21810	23340
12	15–15–15-0	8200	11000	11500	11500	13000	15600	15600	15600	15600	15150	15150	15150	16894
13	एएस: 20.3-0-0-23	7600	11300	10306	10306	11013	11013	11013	11013	11106	11106	11184	11689	13020
14	20-20-0-0	9861	14000	15500	18700	18700	24450	24450	18500	15561	15262	18000	18000	16910
15	28–28–0-0	11810	15740	18512	18700	24720	24720	23905	23905	23905	23410	21907	21907	23100
16	17–17–17-0				17710	20427	20522	20572	20672	20672	22947	24013	23231	23231
17	19–19–19-0				18093	19470	19470	19470	लागू	लागू	0	20915	20915	20915

									नहीं	नहीं				
18	एसएसपी(0-16-0-11)*	3200	4000 से 6300			6500 से 7500				6200-9900	9270	10300	9270	9600
19	16-16-16-0	7100	7100	15200	15200	15200					18000	18000	17000	17000
20	डीएपी लाइट (16-44-0-0)	11760	17600	19500	19500	19500	24938	24938	24938	24938	23875	22900	22000	लागू नहीं
21	15-15-15-09	9300	12900	15750	14851	15000	15000	15000	लागू नहीं	लागू नहीं	0		15670	16618
22	24-24-0-0	9000	11550	14151	14297	14802	16223	16223	18857	18857	17896	17896	17896	19840
23	13-33-0-6		16200	17400	17400	17400	17400	17400	एनबीएस नीति से बाहर है					
24	एमएपी लाइट (11-44-0-0)		16000	18000	18000	18000	21500	21500						
25	डीएपी लाइट-II(14-46-0-0)		14900	18690	18300	18300	24800	24800						

एमआरपी में कर शामिल नहीं हैं।

क्र. सं. 7, 23, 24, 25 में उल्लिखित उर्वरक ग्रेड वर्तमान में राजसहायता योजना के अंतर्गत नहीं हैं।

खाली स्थान/लागू नहीं का अर्थ है- बाजार में उपलब्ध नहीं/राजसहायता योजना के अंतर्गत नहीं।

अनुलग्नक-2

(लाख मी.टन में)

वर्ष 2013-14 और 2014-15 (जून 2014 तक) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री												
	2013-14						2014-15 (जून 2014 तक)					
	यूरिया			पीएण्डके			यूरिया			पीएण्डके		
राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता.	उपलब्धता	बिक्री
अंडमान एवं निकोबार	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	32.50	35.12	34.87	38.00	30.51	29.16	6.00	5.87	4.53	6.96	4.57	2.54
अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
असम	3.45	2.68	2.67	2.13	1.21	1.14	0.62	0.92	0.86	0.37	0.20	0.10
बिहार	21.50	18.77	18.71	10.54	7.05	6.72	3.15	4.22	3.60	1.65	1.31	0.55
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छतीसगढ़	7.00	6.43	6.34	6.06	3.99	3.75	2.45	2.26	1.90	1.78	1.74	1.10
दादरा और नागर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.07	0.08	0.08	0.07	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
गोवा	0.05	0.04	0.04	0.11	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01
गुजरात	22.25	20.82	20.78	11.43	9.99	9.50	4.60	5.05	4.18	3.84	3.13	2.08
हरियाणा	19.50	18.55	18.45	4.40	3.49	3.42	3.90	4.14	3.59	0.93	0.40	0.27
हिमाचल प्रदेश	0.63	0.64	0.64	0.37	0.32	0.31	0.18	0.18	0.18	0.05	0.03	0.03
जम्मू एवं कश्मीर	1.46	1.35	1.26	0.95	0.81	0.74	0.40	0.43	0.27	0.23	0.32	0.24
झारखंड	2.60	1.68	1.63	1.86	0.48	0.48	0.65	0.42	0.30	0.53	0.18	0.12
कर्नाटक	15.50	15.01	14.79	26.40	19.19	17.81	2.75	3.63	2.77	5.78	5.80	3.52

केरल	2.00	1.44	1.44	4.58	2.85	2.61	0.48	0.44	0.39	1.24	1.05	0.74
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	19.25	23.01	22.84	16.70	11.61	10.65	3.30	3.43	2.66	4.47	2.73	1.16
महाराष्ट्र	27.00	26.54	26.42	36.42	25.26	24.39	7.35	7.64	6.98	8.35	6.43	4.91
मणिपुर	0.40	0.18	0.18	0.15	0.00	0.00	0.12	0.10	0.10	0.05	0.00	0.00
मेघालय	0.11	0.05	0.05	0.10	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
मिज़ोरम	0.09	0.06	0.06	0.09	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00
नगालैंड	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
उड़ीसा	6.80	5.33	5.21	7.85	4.29	4.04	0.80	1.29	0.83	1.49	1.38	0.81
पांडेचेरी	0.27	0.22	0.22	0.28	0.12	0.12	0.06	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01
पंजाब	26.40	26.21	26.18	11.05	5.55	5.28	10.00	7.73	6.27	2.91	1.93	1.14
राजस्थान	18.00	18.50	18.45	7.48	5.23	5.04	2.30	2.82	2.40	1.00	1.37	1.01
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	10.50	9.12	9.11	14.84	9.82	9.35	1.69	1.84	1.77	2.46	1.43	1.11
त्रिपुरा	0.53	0.22	0.20	0.17	0.07	0.07	0.12	0.10	0.06	0.08	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	62.00	59.38	58.76	31.45	21.05	19.07	12.50	13.15	10.80	5.05	3.70	0.90
उत्तरांचल	2.50	2.80	2.76	0.94	0.63	0.57	0.75	0.74	0.69	0.39	0.13	0.08
पश्चिम बंगाल	14.50	12.50	12.39	17.87	11.97	11.34	1.75	2.69	2.05	1.37	2.30	1.25
योग	**316.90**	**306.75**	**304.54**	**252.37**	**175.57**	**165.64**	**66.04**	**69.17**	**57.26**	**51.10**	**40.18**	**23.68**

****

(Q. No. 22)

SHRI B.V. NAIK : Hon. Speaker, Madam, as per a news report which appeared in *The Indian Express* dated 10th June 2014, the Government is considering urea price hike to cap the fertiliser subsidies. The report says that the Government is considering a proposal to raise the price of urea, the fertiliser most used by the farmers, by at least 10 per cent in order to contain huge subsidy costs that are adding to the burden. Keeping in view the above I would like to know from the Minister whether the Union Government has finalised the urea price hike; if so, by what time a final decision in this regard is likely to be taken?

SHRI ANANTHKUMAR: Madam Speaker, I want to assure the House that our Government does not propose any hike in the urea fertiliser prices. The Government of India under the leadership of Shri Narendra Modi has decided to provide the subsidy required on urea, and to provide urea to all the farmers of the country with no dearth of urea.

Madam, we require 31 million tonnes of urea. The domestic production is 22 million tonnes, from Oman joint venture we get two million tonnes, and we import the remaining seven million tonnes of urea. I assure the House that for this kharief and rabi crops there will be no dearth of urea at subsidised prices to the farmers of the entire country.

SHRI B. V. NAIK : Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister of Chemicals and Fertilisers if there is any intention to provide additional subsidy on nutrient fertilisers like DAP, potash and compost. I ask this because many farmers are using more urea which does not help improve the fertility of land, while nutrient fertilisers are helpful to the fertility of land and also to the growth of agricultural production. So, is there any intention in the Government to provide additional subsidy on nutrient-based fertilisers?

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, already the Government of India is providing subsidy on all nutrient-based fertilisers other than urea, especially nitrogen, phosphorous, potash and sulphate fertilisers. I entirely agree with the hon.

Member that for the sake of the soil health the ratio of the fertilisers has to be 4:2:1, but today unfortunately it is 8:2:1. The only way ahead is that we need to educate the farmers so that they not only use micro-nutrients, but also think about the soil health and shift to the organic manure whereby the balance can be maintained.

DR. A. SAMPATH : Madam Speaker, from the reply of the hon. Minister, I understand that the fertilizer basket of our nation is growing – the demand is growing and we have become the third largest consumer of fertilizers in the whole world. But at the same time, the hon. Minister stated the truth – our country is import-dependent to the extent of 100 per cent in potash-sector and about 90 per cent in phosphate-sector in the form of either finished fertilizer or intermediaries. It means that we are becoming more and more dependent on imports.

My question is, what measures the Government will take to increase production of fertilizer from the public sector. I would also like to know from the hon. Minister the current status of the urea-ammonia complex of FACT, Cochin in Kerala.

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, regarding self-reliance in fertilizer sector, both in urea and non-urea fertilizers, the only way ahead for the Government is that we need to acquire assets in various other countries. We are import-dependent in both phosphate and potash raw materials. Therefore, the Government of India has undertaken many joint venture projects; we have undertaken joint ventures in Oman, Senegal, Jordon, Morocco and Tunisia. We are going to have joint ventures in Iran, Russia, Togo and Canada. So, we are on the anvil of all these acquisitions. Then, I think, we will be reaching near-self-reliance in this regard.

Secondly, regarding FACT, Cochin which is the mother of all the fertilizer companies in the country, I personally visited that company; my first visit as the Minister of Chemicals and Fertilizers was to FACT, Cochin. I went with the sole intention of reviving that unit. Already, we have made a revival plan for Rs.990

crore; that revival plan has been circulated. I hope that the revival plan will see the light of the day.

योगी आदित्यनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदया, जब खेती का समय होता है, तब किसानों के लिए उर्वरक गायब होता है, यह पिछले दस वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की गोरखपुर, सिंदरी, तालचर, रामागोण्डम तमाम ईकाइयाँ पिछले कई वर्षों से बंद हैं। बी.आई.एफ.आर. ने उन ईकाइयों को चलाने के लिए सरकार को निर्देश भी दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार इन ईकाइयों को चलाने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र आयात करते हैं, अगर उसका उत्पादन देश के अंदर ही होने लग जाएगा तो उसकी उपलब्धता और किसानों को सही दाम पर मिलना भी वह प्रारंभ हो जाएगा। इन ईकाइयों को चलाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न दूसरे तारांकित प्रश्न पर है, परंतु फिर भी इस सवाल का जवाब देने का प्रयास मैं करूँगा। 1990 से गोरखपुर की फर्टिलाइज़र कंपनी बंद हुई है। इसलिए यदि इन सारी कंपनियों का हमको फिर से रिवाइवल करना होगा, तो जगदीशपुर से हल्दिया की जो पाइपलाइन बनेगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, तब हम बरौनी के, सिंदरी के, हल्दिया के और दुर्गापुर के ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया बीच में मत टोकिए। आप बोलते जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, मैं जगदीशपुर से हल्दिया की पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा हूं और इस पाइपलाइन के इर्द-गिर्द में जो फर्टिलाइज़र कम्पनियां हैं, उनको रिवाइव करने के बारे में हम सोच सकते हैं। इसलिए पाइपलाइन बिछाने के साथ फर्टिलाइज़र कम्पनीज़ को रिवाइव करने का प्लान केन्द्र सरकार के कंसीडरेशन में है।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है और जब खेती बेहतर होगी, किसानों के खेत में फसल लहलहाएगी तभी देश समृद्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जो उर्वरक है, खाद है, उसका स्टोरेज हर एक राज्य में कितना किया गया है, नंबर एक। बिहार के बाबत क्या किया गया है? दूसरा, किसानों को जो खाद मिलता है तो उसकी कीमत यदि ढाई सौ-तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल है, वहीं बाजार में किसानों को सात सौ-आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल आंसू बहाते हुए लेना पड़ता है। उसके लिए भी

उसको दर-दर की ठोकर खानी पड़ती है। इसलिए सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों के आंखों में आंसु न बहे और सही रेट पर किसानों को खाद उपलब्ध हो, इसके लिए दिशा-निर्देश माननीय मंत्री जी देंगे और करेंगे। क्योंकि माननीय मंत्री जी बोल चुके हैं कि कृषि को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, जहां तक खाद के वितरण की जिम्मेदारी की बात है, वह प्रदेश सरकारों की है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खाद और उर्वरक का उत्पादन करके प्रदेशों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। इसको मॉनीटरिंग करने के लिए वेब पेज फर्टिलाइज़र मॉनीटरिंग सिस्टम शुरू किया है। हम इसके द्वारा रोज़ाना मॉनीटरिंग करते हैं और हफ्ते में एक बार कृषि मंत्रालय में वीडियो कॉनफ्रेंसिंग करके हर प्रदेश के कृषि मंत्रालय से जो मांग होती है, उसकी आपूर्ति के लिए काम करते हैं। एज़न्शियल कमोडिटी एक्ट के तहत फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर निकालने की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ज्युरीस्डिक्शन प्रदेश सरकारों का है, उसके हिसाब से, यानी वहां होल्डिंग नहीं होनी चाहिए और किसानों को खाद मिलनी चाहिए, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। लेकिन यहां से उत्पाद करके देश भर में खाद पहुंचाने की बात है तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हाउस को और पूरे देश को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो यूरिया और नॉन यूरिया खाद का आवंटन करके भेजना चाहिए, वह हम भेज चुके हैं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Thank you, Madam. I would also like to thank the hon. Minister for assuring the House that the urea price will not be increased and the FACT will be revived. Out of 31 major fertiliser manufacturing units in India, only 10 units are making profit. They are getting the domestic natural gas at a price of 4.2 US dollars. My specific question to the hon. Minister is whether the domestic natural gas will be made available to all the companies, including the mother plant, FACT which you have cited just now, at a price of 4.2 US dollars. I would also like to know as to whether the Minister could assure the House that the revival package of Rs.990 crore, which is pending with the previous Government, will be implemented in a time-bound manner.

SHRI ANANTH KUMAR: Madam, the basic problem of providing fertilisers at an affordable rate is that for the supply of gas, which is the raw material for manufacturing of fertilisers, we are directly dependent on imports.Actually we require 46 MMBtu gas for producing fertilizer. But the gas available in the

country is only 31 MMBtu. Therefore, we need to import remaining 16 MMBtu gas. As the hon. Member has rightly pointed out, the price of domestic gas is 4.2 dollars but the international gas is at 8.4 dollars ranging up to 23 dollars.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : But FACT is purchasing gas at 15 dollars to 24 dollars.

SHRI ANANTHKUMAR: Actually, the FACT Plant in Travancore is taking the gas from Petronet in Kochi that is costing FACT 23 dollars per MMBtu.

Therefore, I suppose we need to think about pooling of gas. Not only pooling of gas, we also need to attempt the price pooling of gases, at least as regards the domestic gas.

माननीय अध्यक्ष : अब थोड़ा कल्चर को सुदृढ़ करें।

Q. 23 – Adv. Joice George

परिशिष्ट - आ

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 31*

जिसका उत्तर मंगलवार, 8 जुलाई, 2014/17 आषाढ़, 1936 (शक) को दिया जाना है।

बंद पड़े/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार

31. **योगी आदित्यनाथ:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुल कितने संयंत्र/एकक चालू हैं;
(ख) देश में बंद पड़े/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों/एककों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे संयंत्रों/एककों का पुनरुद्धार करने का है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके पुनरुद्धार हेतु संयंत्र/एकक-वार अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 8.7.2014 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.31 के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में संदर्भित विवरण।

उत्तर (क): इस समय हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की कोई इकाई प्रचालन में नहीं है क्योंकि सभी तीनों इकाइयां नामत: बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया 2002 से बंद पड़ी हैं।

उत्तर (ख): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों/इकाइयों का ब्यौरा, कारणों सहित, इस प्रकार है:-

रुग्ण पीएसयू का नाम	इकाई/राज्य	बंदी/रुग्णता के कारण
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)	सिंदरी/झारखंड	तकनीकी और प्रचालनों की वित्तीय अव्यवहार्यता के कारण एफसीआईएल और एचएफसीएल की लगातार होती हुई हानि को देखते हुए सरकार ने एफसीआईएल और एचएफसीएल की सभी इकाइयों को 2002 में बंद करने का निर्णय लिया था।
	गोरखपुर/उत्तर प्रदेश	
	तलचर/ओडिशा	
	रामागुंडम/आंध्र प्रदेश	
	कोरबा/छत्तीसगढ़	
हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)	बरौनी/बिहार	
	हल्दिया/पश्चिम बंगाल	
	दुर्गापुर/पश्चिम बंगाल	
मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल)	मणलि, चेन्नई/तमिलनाडु	सरकार द्वारा यूरिया मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन करने से कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर नकारात्मक असर पड़ा। यूरिया के लिए नई मूल्य निर्धारण-योजना (एनपीएस) 1.4.2003 से शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत लागत जमा आधार पर इकाई विशेष के प्रतिधारण मूल्य की गणना करने की पुरानी प्रणाली के स्थान पर समूह आधारित मानकीय लागत प्रणाली शुरू की गई थी। 1.4.2003 से एनपीएस शुरू करने से कंपनी पर हानिकारक प्रभाव पड़ा क्योंकि 1995 रु./मी.टन की अल्प वसूली होने लगी थी।
		इसके अलावा, मिश्रित उर्वरकों के लिए 1.4.2002 से लागू मूल्य रियायत योजना से इसके अग्रणी उत्पाद एनपीके 17-17-17 में 'एन' की लागत के लिए कंपनी को पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं हुई। इसके अलावा उत्पादों के दक्षता अनुपात भी संयंत्र के पुरानेपन के कारण कम थे इसलिए उत्पादन पर लागत अधिक आती थी और इष्टतम उत्पादन नहीं हो पाता था।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)	कोच्चि/केरल	2002-03 से 2007-08 तक के दौरान मिश्रित उर्वरकों के लिए पहले वाली मूल्य रियायत योजना की विसंगतियों, 1994 में अमोनियम सल्फेट को नियंत्रणमुक्त करने और 2003 में यूरिया के लिए समूह मूल्य निर्धारण योजना शुरू करने के कारण फैक्ट का वित्तीय निष्पादन नकारात्मक हो गया और अव्यवहार्य आर्थिक स्थिति तथा अमोनिया का आयात करने के कंपनी के विकल्प पर प्रतिबंध लगने के कारण यूरिया उत्पादन बंद करना पड़ा।
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	नामरूप/असम	बीवीएफसीएल कम क्षमता उपयोग और ऊर्जा खपत के कारण शुरू से ही वित्तीय हानि उठा रही है। पुरानी तकनीक, उपस्कर की विफलता और प्राकृतिक गैस की कमी के कारण संयंत्र अल्प निष्पादन कर रहे हैं।

(ग) और (घ): जी हां, सरकार ने बंद/रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)

वर्ष 2008 में, मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की इकाइयों के पुनरुद्धार को इस शर्त के आधार पर अनुमोदित किया था कि सरकार से वित्त-पोषण न लिया जाए और भारत सरकार के ऋण तथा ब्याज को यथापेक्षित बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाए बशर्ते कि माफी पर अंतिम निर्णय के लिए पूर्ण अनुबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। इन बंद इकाइयों का पुनरुद्धार पीएसयू द्वारा नामांकन प्रक्रिया तथा निजी क्षेत्र द्वारा निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि एफसीआईएल की सिंदरी, तलचर और रामागुण्डम इकाइयों का नामांकन आधार पर पुनरुद्धार किया जाएगा जबकि एफसीआईएल की गोरखपुर और कोरबा इकाइयों तथा एचएफसीएल की दुर्गापुर, हल्दिया और बरौनी इकाइयों का पुनरुद्धार निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने अगस्त, 2011 में एफसीआईएल और एचएफसीएल की सभी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए पुनर्गठन योजना के प्रारूप (डीआरएस) को अनुमोदित किया था। डीआरएस में तलचर इकाई के पुनरुद्धार की मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के परिसंघ द्वारा, रामागुण्डम इकाई का मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) तथा मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के परिसंघ द्वारा तथा सिंदरी इकाई का मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई थी।

बाद में सीसीईए ने 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ़ करने के लिए अनुमोदन दिया ताकि एफसीआईएल सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर सके। इससे एफसीआईएल औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के दायरे से बाहर निकलने में समर्थ हो गई। एचएफसीएल इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव/कार्य योजना को एफसीआईएल इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य सुचारू हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

तलचर इकाई के लिए दो संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों की स्थापना करने का प्रस्ताव है अर्थात् पहली कंपनी गेल के साथ अपस्ट्रीम कोयला गैसीकरण खण्ड के लिए तथा दूसरी कंपनी जिसमें आरसीएफ, सीआईएल और एफसीआईएल शामिल हैं, अमोनिया-यूरिया, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र, ऑफ साइटों और उपयोगिताओं के डाउनस्ट्रीम खण्ड के लिए पीएसयू के परिसंघ अर्थात् सीआईएल, आरसीएफ, गेल और एफसीआईएल के बीच समझौता-ज्ञापन पर दिनांक 5.9.2013 को हस्ताक्षर किए गए हैं। गेल ने कोयला गैसीकरण तकनीक के चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी कर दी है। ईओआई प्रस्तुत करने की तारीख 31.7.2014 है।

रामागुण्डम परियोजना के लिए ईआईएल और एनएफएल के बीच जेवी करार और रियायत करार पर चर्चा की जा रही है और इन्हें 30 जुलाई, 2014 तक अपने-अपने निदेशक मंडलों से निष्कर्ष/अनुमोदन प्राप्त करना है। ईआईएल स्वयं परियोजना के लिए इंजीनियरिंग और परियोजना निर्माण कार्य हाथ में लेगी।

सिंदरी इकाई के लिए सेल-सिंदरी प्राजेक्ट्स लिमिटेड (एसएसपीएल), सेल के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को एफसीआईएल की सिंदरी इकाई का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से नवंबर 2011 में निगमित किया गया है। तथापि, इस्पात संयंत्र के लिए लगभग 3000 एकड़ इकट्ठी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। एफसीआईएल के पास सिंदरी में कुल 6652 एकड़ भूमि में से केवल 498 एकड़ (मौजूदा उर्वरक संयंत्र का क्षेत्र) अतिक्रमण-मुक्त इकट्ठी भूमि है जबकि सेल द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3247 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त इकट्ठी भूमि की आवश्यकता है।

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड:

सरकार निम्नलिखित राहतों की मांग करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के साथ एक वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव ला रही है:

देनदारियों को बट्टे खाते डालना

i. 554.24 करोड़ रु. का बकाया ऋण (31 मार्च 2014 के अनुसार)

ii. 345.30 करोड़ रु. का बकाया ब्याज और उस पर दंड ब्याज (31 मार्च 2014 के अनुसार)

उदार और लचीली सरकारी नीति

i. प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किए जाने तक एनपीएस चरण-III के अंतर्गत मूल्य निर्धारण व्यवस्था में विशेष छूट जारी रखना।

ii. प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किए जाने तक एनबीएस के अंतर्गत नेफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया के जरिए 'एन' का स्रोतीकरण करने हेतु अतिरिक्त राजसहायता जारी रखना।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)

सरकार ने बीवीएफसीएल के वित्तीय पुनर्गठन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष प्रस्ताव रखा था। बीआरपीएसई ने निम्नलिखित वित्तीय पुनर्गठन योजना की सिफारिश की है:

i. भारत सरकार के ऋण पर 31.3.2013 तक 566.20 करोड़ रु. के कुल संचयी ब्याज को माफ करना।

ii. नामरूप-I के पुनरुद्धार हेतु लिए गए 21.96 करोड़ रु. के ऋण को माफ करना, क्योंकि इस संयंत्र को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

iii. कंपनी को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण को ब्याज-मुक्त ऋण में परिवर्तित करना।

iv. कंपनी लाभ में चलने के पश्चात् 2013-14 से भारत सरकार का ऋण चुकाएगी।

v. नामरूप-III के लिए, परियोजना के पुनरुद्धार हेतु 31.3.2003 के बाद खर्च किए गए 79.62 करोड़ रु. के पूंजीगत व्यय को एनपीएस-III के अंतर्गत यूरिया की रियायत दर निकालते समय भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जाए।

बोर्ड ने यह सिफारिश भी की कि उपर्युक्त वित्तीय पुनर्गठन योजना नए ब्राउन फील्ड संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव के भाग के रूप में होनी चाहिए ताकि एक पूर्व अनुबंधित व्यापक पुनरुद्धार योजना तैयार की जा सके।

बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर उपर्युक्त वित्तीय राहत मांगने और नामरूप में एक नया अमोनिया यूरिया परिसर स्थापित करने के लिए एक सीसीईए प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)

सरकार ने फैक्ट के वित्तीय पुनर्गठन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष प्रस्ताव रखा था। बीआरपीएसई ने निम्नलिखित वित्तीय पुनर्गठन योजना की सिफारिश की है:

<u>क) निधियां जारी करना</u>

i. अतिरिक्त बैंक उधारी का भुगतान करने के लिए 2 वर्ष की छूट अवधि के बाद 10 वर्ष में देय 300 करोड़ रु. के ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति का अनुमोदन।

ii. आपूर्तिकर्ताओं और एलआईसी को ग्रेच्युटी के कारण देय 250 करोड़ रु. के अनुदान की स्वीकृति के लिए अनुमोदन।

<u>(ख) भारत सरकार के ऋण और ब्याज को बट्टे खाते डालना</u>

i. 31.3.2013 के अनुसार 282.73 करोड़ रु. के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए अनुमोदन।

ii. 31.3.2013 के अनुसार 159.17 करोड़ रु. के बकाया ब्याज को बट्टे खाते डालने हेतु अनुमोदन।

तदनुसार, फैक्ट को उपर्युक्त वित्तीय राहत की स्वीकृति हेतु सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव जांच पड़ताल के अधीन है।

****

परिशिष्ट - नौ

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 73

जिसका उत्तर मंगलवार, 8 जुलाई, 2014/17 आषाढ़, 1936 (शक) को दिया जाना है।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड को वित्तीय सहायता

73. **एडवोकेट जोएस जॉर्ज:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल सहित देश में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि जारी कर दी गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चंद)

(क)और (ख): फैक्ट की संचित हानि और निवल मूल्य में कमी को देखते हुए सार्वजनिक उद्यम पुनर्संरचना बोर्ड (बीआरपीएसई) द्वारा दिसम्बर 2013 में एक वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज की सिफारिश की गई थी। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर, फैक्ट को वित्तीय राहत की संस्वीकृति हेतु आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) से अनुमोदन लेने हेतु एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया। हालांकि केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने नए सिरे से अन्तर्मंत्रालयीन विचार-विमर्श करने का परामर्श दिया है।

(ग) और (घ): पूर्वोल्लेखित प्रस्ताव पर सीसीईए के अनुमोदन के पश्चात ही निधियां जारी की जा सकती हैं।

*****

परिशिष्ट – दस

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 661

जिसका उत्तर मंगलवार, 15 जुलाई, 2014/24 आषाढ़, 1936 (शक) को दिया जाना है।

एफएसीटी के शेयरों की बिक्री

661. मोहम्मद फैज़ल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) वित्तीय संकट के कारण बंद होने के कगार पर है;
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और एफएसीटी के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्धारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार एफएसीटी, केरल के शेयर बेचने का है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं: और
(ड.) इसके परिणामस्वरूप कितना अनुमानित राजस्व अर्जित होने की संभावना है और उक्त राजस्व को किस प्रकार प्रयोग में लाए जाने की संभावना है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चंद)

(क) और (ख): निवल मूल्य में लगातार हानि और कमी के कारण फैक्ट मुश्किल वित्तीय हालातों का सामना कर रही है। कम्पनी के सतत प्रचालन के लिए लोक उद्यम पुनर्संरचना बोर्ड (बीआरपीएसई) द्वारा दिसम्बर, 2013 में एक वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज संस्तुत किया गया। बीआरपीएसई की संस्तुतियों के आधार पर, फैक्ट को वित्तीय राहत देने की स्वीकृति हेतु आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति से अनुमोदन लेने हेतु एक प्रस्ताव अन्तर्मंत्रालयीन परामर्श के लिए परिचालित किया गया है। प्रस्ताव में नई निधियों के निवेश के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण एवं ब्याज का अधित्याग करना भी शामिल है।

(ग): जी हां।

(घ): प्रतिभूति कान्टेक्ट विनियमन नियम (एससीआरआर) के अनुसार, सभी सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए सार्वजनिक अंशधारिता के रूप में कंपनी को प्रदत्त पूंजी के कम से कम 10% को बनाए रखना अपेक्षित है। जो कम्पनियां न्यूनतम सार्वजनिक अंशधारिता की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करती, उनसे इनका अनुपालन करवाया जाए। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने सेबी के अनुमोदन से घाटे में चल रही सीपीएसई के शेयरों के स्थानान्तरण के लिए विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की है। तदनुसार, फैक्ट को न्यूनतम 10% सार्वजनिक अंशधारिता मानदण्डों का अनुपालनकर्त्ता बनाने के लिए आवश्यक शेयर बिना किसी लिहाज के इस नई सृजित निधि नामत: विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में अपरिवर्तनीय आधार पर अगस्त 2013 को स्थानान्तरित कर दिए गए। इस प्रकार स्थानान्तरित शेयरों को उचित समय पर 5 वर्षों के भीतर बेच दिया जाएगा।

(ङ.): वर्तमान में ऐसी हानि में चलने वाली सीपीएसई के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाले संभावित राजस्व का कोई अनुमान नहीं है। स्थानान्तरित शेयरों की बिक्री से प्राप्त विशेष एनआईएफ से प्राप्त आय का उपयोग सरकार की सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के लिए किया जाएगा।

*****

परिशिष्ट - ग्यारह

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 386*+

जिसका उत्तर मंगलवार, 5 अगस्त, 2014/14 श्रावण, 1936 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक संयंत्र

386*+. **डॉ. बंशीलाल महतो:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्रों के अंतर्गत चालू और रुग्ण उर्वरक एककों का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू एककों द्वारा उर्वरकों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया और इनका क्षमता उपयोग कितना है;

(ग) क्या इनमें से कुछ कारखाने रुग्ण हो गए हैं और अन्य रुग्णता/बंद होने के कगार पर हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उर्वरकों के उत्पादन हेतु गैस सहित अपर्याप्त फीड स्टॉक की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड.) सरकार द्वारा रुग्ण एककों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इनके लिए अब तक क्या पुनरुद्धार पैकेज घोषित किया गया है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) से (ड़): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

उर्वरक संयंत्र के बारे में दिनांक 05.08.2014 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 386* के भाग (क) से (ङ) तक के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): देश में प्रचालनरत उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इन उर्वरक कंपनियों में से निम्नलिखित तीन उर्वरक कंपनियां रुग्ण हैं:-

I. मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल)
II. दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)
III. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)

(ख): देश में 2012-13 से 2013-14 और खरीफ 2014 (अप्रैल से जून 2014 तक) के दौरान इकाइयों की उर्वरक उत्पादन और क्षमता उपयोग की मात्रा को **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है। कई उर्वरक उत्पादन इकाइयों में डीएपी और मिश्रित उर्वरकों की स्थापित क्षमताएं अंत:परिवर्तनीय होती हैं।

(ग): जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिया गया है, तीन उर्वरक कंपनियां रुग्ण हो गई हैं। इन उर्वरक कंपनियों के रुग्ण होने के कारण इस प्रकार हैं:

रुग्ण पीएसयू का नाम	रुग्णता के कारण
मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल)	सरकार द्वारा यूरिया की मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन किए जाने से कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। यूरिया के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) 01.04.2003 से शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत लागत जमा आधार पर प्रत्येक इकाई के प्रतिधारण मूल्य की गणना करने की पूर्व प्रभावी प्रणाली के स्थान पर समूह-आधारित मानकीय लागत को लागू किया गया था। 01.04.2003 से एनपीएस शुरू करने से कंपनी पर हानिकारक प्रभाव पड़ा था क्योंकि 1,995 रु/मी.टन की अल्प वसूली होने लगी थी। इसके अलावा, 01.04.2002 से लागू मिश्रित उर्वरकों के लिए मूल्य रियायत योजना से कंपनी के अग्रणी उत्पाद एनपीके 17-17-17 में 'एन' की लागत के लिए कंपनी को पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई। इसके अलावा, संयंत्र के पुरानेपन का उत्पाद के दक्षता अनुपात और इससे उत्पादन की लागत पर प्रभाव पड़ा।
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)	2002-03 से 2007-08 तक के दौरान मिश्रित उर्वरकों के लिए पूर्व प्रभावी मूल्य रियायत योजना में विसंगतियों, 1994 में अमोनियम सल्फेट को नियंत्रण मुक्त किए जाने और 2003 में यूरिया के लिए समूह मूल्य निर्धारण योजना शुरू करने के कारण फैक्ट का वित्तीय निष्पादन नकारात्मक हो गया और इसके फलस्वरूप अव्यवहार्य अर्थतंत्र के कारण यूरिया उत्पादन बंद करना पड़ा।
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	बीवीएफसीएल कम क्षमता उपयोग और अधिक ऊर्जा खपत के कारण शुरू से ही वित्तीय हानि उठा रही है। पुरानी तकनीक, उपस्कर विफलता और प्राकृतिक गैस की कमी के कारण संयंत्रों का निष्पादन कम रहा है।

(घ): यूरिया इकाइयां, यूरिया उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में घरेलू प्राकृतिक गैस, पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) और नेफ्था का प्रयोग करती हैं। स्वदेशी यूरिया इकाइयों के लिए लगभग 46-47 एमएमएससीएमडी गैस की कुल आवश्यकता होती है जिसे घरेलू गैस और आयातित आरएलएनजी से पूरा किया जाता है। ईजीओएम ने 23.08.2013 को हुई अपनी बैठक में उर्वरक क्षेत्र को 31.5 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति बनाए रखने का निर्णय लिया और 31.5 एमएमएससीएमडी के स्तर से नीचे किसी प्रकार की कमी को एनईएलपी गैस के किसी अतिरिक्त उत्पादन से पूरा करने हेतु इस क्षेत्र को पहली प्राथमिकता दी। जून 2014 के दौरान गैस की कुल आपूर्ति 42.866 एमएमएससीएमडी थी। उर्वरक क्षेत्र को घरेलू गैस की कम आपूर्ति हुई है जो इस प्रकार है:

उर्वरक क्षेत्र को मासिक गैस आपूर्ति के आंकड़े (एमएमएससीएमडी)			
माह	आवंटन	आपूर्ति (एपीएम+जेवी+आरआईएल+ओएनजीसी गैर-एपीएम+अन्य)	कमी
अप्रैल, 2014	31.5	31.38	0.12
मई, 2014	31.5	29.246	2.254
जून, 2014	31.5	28.116	3.384

(ङ): सरकार ने तीन रुग्ण इकाइयों नामत: एमएफएल, बीवीएफसीएल और फैक्ट के वित्तीय पुनर्गठन की योजना बनाई है ताकि इनके प्रचालनों को बनाए रखा जा सके। सामान्यतया, इन प्रस्तावों में नई निधियां लगाने, भारत सरकार के ऋण और ब्याज को बट्टे खाते डालने, एनपीएस चरण-III के अंतर्गत प्राकृतिक गैस में परिवर्तन तक मूल्य-निर्धारण व्यवस्था में विशेष छूट जारी रखे जाने का प्रावधान है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 05.08.2014 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 386* के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

देश में प्रचालनरत प्रमुख उर्वरक इकाइयों की राज्य-वार और क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रचालनरत इकाइयों की संख्या	क्षेत्र			
			सार्वजनिक	सहकारी	निजी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4			4	4
2	असम	2	2			2
3	बिहार					
4	छत्तीसगढ़					
5	गोवा	1			1	1
6	गुजरात	8		3	5	8
7	हरियाणा	1	1			1
8	झारखण्ड					
9	कर्नाटक	1			1	1
10	केरल	2	2			2
11	मध्य प्रदेश	2	2			2
12	महाराष्ट्र	3	2		1	3
13	ओडिशा	2		1	1	2
14	पंजाब	2	2			2
15	राजस्थान	3			3	3
16	तमिलनाडु	4	1		3	4
17	उत्तर प्रदेश	8		5	3	8
18	पश्चिम बंगाल	1			1	1
योग		44	12	9	23	44

अनुलग्नक II- 'क'

वर्ष 2012-13 से 2013-14 और खरीफ 2014 (अप्रैल से जून 2014) के लिए यूरिया की संयंत्र-वार स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग%

('000' मी.टन)

संयंत्र का नाम	पुन:आकलित क्षमता	...उत्पादन...			------क्षमता उपयोग का %------		
		2012-13	2013-14	खरीफ 2014 (अप्रैल-जून '14)	2012-13	2013-14	खरीफ 2014 (अप्रैल-जून '14)
सार्वजनिक क्षेत्र:							
एनएफएल-नांगल-II	478.5	471.3	394.6	138.6	98.5	82.5	115.9
एनएफएल-बठिण्डा	511.5	394.4	560.3	120.5	77.1	109.5	94.2
एनएफएल-पानीपत	511.5	413.8	511.1	136.0	80.9	99.9	106.4
एनएफएल-विजयपुर	864.6	966.4	1006.3	259.1	111.8	116.4	119.9
एनएफएल-विजयपुर विस्तार	864.6	965.2	1162.5	275.7	111.6	134.5	127.6
कुल (एनएफएल) :	**3230.7**	**3211.1**	**3634.8**	**929.9**	**99.4**	**112.5**	**115.1**
बीवीएफसीएल-नामरूप-II	240.0	109.4	70.6	28.2	45.6	29.4	47.0
बीवीएफसीएल-नामरूप-III	315.0	281.3	235.3	78.3	89.3	74.7	99.4
कुल (बीवीएफसीएल):	**555.0**	**390.7**	**305.9**	**106.5**	**70.4**	**55.1**	**76.8**
आरसीएफ-ट्राम्बे-V	330.0	384.1	352.6	115.5	116.4	106.8	140.0
आरसीएफ-थाल	1706.8	1951.6	1993.4	546.1	114.3	116.8	128.0
कुल (आरसीएफ):	**2036.8**	**2335.7**	**2346.0**	**661.6**	**114.7**	**115.2**	**129.9**
एमएफएल-चेन्नई	486.8	435.8	486.8	88.4	89.5	100.0	72.6
कुल सार्वजनिक क्षेत्र:	**6309.3**	**6373.3**	**6773.5**	**1786.4**	**101.0**	**107.4**	**113.3**
सहकारी क्षेत्र:							
इ ो-कलोल	544.5	600.3	600.4	113.6	110.2	110.3	83.5
इफ्को-फूलपुर	551.1	673.1	651.7	183.5	122.1	118.3	133.2

इफ्को-फूलपुर विस्तार	864.6	992.0	951.0	238.9	114.7	110.0	110.5
इफ्को-आंवला	864.6	1091.9	1103.0	179.3	126.3	127.6	83.0
इफ्को-आंवला विस्तार	864.6	1152.8	1074.2	178.8	133.3	124.2	82.7
कुल (इफ्को):	**3689.4**	**4510.1**	**4380.3**	**894.1**	**122.2**	**118.7**	**96.9**
कृभको-हजीरा	1729.2	2132.0	2209.9	548.7	123.3	127.8	126.9
कुल सहकारी क्षेत्र:	**5418.6**	**6642.1**	**6590.2**	**1442.8**	**122.6**	**121.6**	**106.5**
कुल (सार्वजनिक+सहकारी)	**11727.9**	**13015.4**	**13363.7**	**3229.2**	**111.0**	**113.9**	**110.1**
निजी क्षेत्र:							
जीएसएफसी-वड़ोदरा	370.6	347.7	322.1	89.1	93.8	86.9	96.2
एसएफसी-कोटा	379.0	384.8	403.2	101.1	101.5	106.4	106.7
केएफसीएल (डीआईएल)-कानपुर	722.0	0.0	313.2	155.6	0.0	43.4	86.2
जेडआईएल-गोवा	399.3	385.6	376.3	73.4	96.6	94.2	73.5
स्पिक-तूतीकोरिन	620.0	483.4	286.2	167.7	78.0	46.2	108.2
एमसीएफ मंगलौर	380.0	379.5	378.9	25.8	99.9	99.7	27.2
जीएनएफसी-भरूच	636.0	708.8	696.4	139.9	111.4	109.5	88.0
आईजीएफ-जगदीशपुर	864.6	1084.7	1035.5	247.4	125.5	119.8	114.5
एनएफसीएल-काकीनाडा-I	597.3	787.6	646.8	153.5	131.9	108.3	102.8
एनएफसीएल-काकीनाडा-II	597.3	777.7	780.1	151.3	130.2	130.6	101.3
सीएफसीएल:गडेपान-I	864.6	1035.8	990.6	248.8	119.8	114.6	115.1
सीएफसीएल:गडेपान-II	864.6	1056.0	950.6	229.1	122.1	109.9	106.0
टीसीएल-बबराला	864.6	1119.8	1136.5	316.0	129.5	131.4	146.2
केएसएफएल-शाहजहांपुर	864.6	1007.9	1035.3	265.3	116.6	119.7	122.7
कुल निजी क्षेत्र	**9024.5**	**9559.3**	**9351.7**	**2364.0**	**105.9**	**103.6**	**104.8**
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)	**20752.4**	**22574.7**	**22715.4**	**5593.2**	**108.8**	**109.5**	**107.8**

अनुलग्नक II- 'ख'

वर्ष 2012-13 से 2013-14 और खरीफ 2014 (अप्रैल से जून 2014) के लिए डीएपी की संयंत्र-वार स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग%

(आंकड़े '000' मी.टन में)

संयंत्र का नाम	स्थापित क्षमता	...उत्पादन...			------क्षमता उपयोग का %------		
		2012-13	2013-14	खरीफ 2014 (अप्रैल-जून '14)	2012-13	2013-14	खरीफ 2014 (अप्रैल-जून '14)
सहकारी क्षेत्र							
इफ्को:कांडला	1200.0	782.7	517.1	123.3	65.2	43.1	41.1
इफ्को:पारादीप	1500.0	1159.9	915.1	198.8	77.3	61.0	53.0
कुल सहकारी क्षेत्र	**2700.0**	**1942.6**	**1432.2**	**322.1**	**71.9**	**53.0**	**47.7**
निजी क्षेत्र							
जीएसएफसी:वड़ौदरा	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जेडआईएल:गोवा	330.0	56.3	49.8	54.6	17.1	15.1	66.2
जीएफएल:तूतीकोरिन	475.0	154.7	145.7	20.6	32.6	30.7	17.3
एमसीएफ:मंगलौर	220.0	119.4	117.7	25.1	54.3	53.5	45.6
टीसीएल:हल्दिया	675.0	204.9	241.2	54.5	30.4	35.7	32.3
जीएसएफसी:सिक्का-I और II	326.0	424.5	390.4	28.0	130.2	119.8	34.4
जीएसएफसी:सिक्का-II	396.0	0.0	0.0	52.6	0.0	0.0	53.1
कुल (सिक्का-I और II):	722.0	424.5	390.4	80.6	58.8	54.1	44.7

सीआईएल:काकीनाडा	1925.0	224.9	570.5	94.7	11.7	29.6	19.7
सीआईएल:विजाग	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	100.0	0.0
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज: दाहेज	400.0	209.1	228.7	35.9	52.3	57.2	35.9
पीपीएल:पारादीप	720.0	310.6	415.5	104.1	43.1	57.7	57.8
कुल निजी क्षेत्र	5632.0	1704.4	2178.8	470.1	30.3	38.7	33.4
कुल (सहकारी+निजी):	***8332.0***	***3647.0***	***3611.0***	***792.2***	**43.8**	**43.3**	**38.0**

अनुलग्नक- II 'ग'

वर्ष 2012-13 से 2013-14 और खरीफ 2014 (अप्रैल से जून 2014) के लिए मिश्रित उर्वरक की संयंत्र-वार स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग%

(आंकड़े '000' मी.टन में)

कंपनी/इकाई का नाम	स्थापित क्षमता	...उत्पादन...			------क्षमता उपयोग का %------		
		2012-13	2013-14	खरीफ 2014 (अप्रैल-जून '14)	2012-13	2013-14	खरीफ 2014 (अप्रैल-जून '14)
सार्वजनिक क्षेत्र							
फैक्ट:यूडी/कोचीन	633.5	537.9	660.1	118.1	84.9	104.2	74.6
आरसीएफ:ट्राम्बे	690.0	610.4	515.1	126.8	88.5	74.7	73.5
एमएफएल:चेन्नई	840.0	100.1	44.8	18.4	11.9	5.3	8.8
कुल सार्वजनिक क्षेत्र:	**2163.5**	**1248.4**	**1220.0**	**263.3**	**57.7**	**56.4**	**48.7**
सहकारी क्षेत्र:							
इफ्को: पारादीप/कांडला	1635.4	1433.8	1760.7	292.8	87.7	107.7	71.6
निजी क्षेत्र							
जीएसएफसी:बड़ोदरा	200.0	294.3	267.5	80.8	147.2	133.8	161.6
सीआईएल:विजाग	1000.0	694.7	843.4	179.1	69.5	84.3	71.6
जेडआईएल:गोवा	330.0	195.0	436.3	76.1	59.1	132.2	92.3
जीएफएल:तूतीकोरिन	0.0	156.3	159.0	22.7	0.0	0.0	0.0

एमसीएफ:मंगलौर	40.0	46.1	37.4	2.6	115.3	93.5	26.0
सीआईएल:एन्नोर	330.0	185.0	180.0	32.9	56.1	54.5	39.9
जीएनएफसी: भरूच	142.5	200.9	188.9	45.2	141.0	132.6	126.9
टीसीएल:हल्दिया	0.0	258.3	250.1	79.2	0.0	0.0	0.0
जीएसएफसी: सिक्का	0.0	10.3	87.2	8.5	0.0	0.0	0.0
सीआईएल:काकीनाडा	0.0	654.0	644.2	151.8	0.0	0.0	0.0
डीएफपीसीएल:तलोजा	230.0	167.2	242.8	39.2	72.7	105.6	68.2
पीपीएल:पारादीप	0.0	635.9	595.5	142.8	0.0	0.0	0.0
कुल निजी क्षेत्र	2272.5	3498.0	3932.3	860.9	153.9	173.0	151.5
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)	**6071.4**	**6180.2**	**6913.0**	**1417.0**	**101.8**	**113.9**	**93.4**

****

(Q.386)

डॉ. बंशीलाल महतो : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा भारत वर्ष का एक अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 1976 से उर्वरक के कारखाने का शिलान्यास हुआ, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उसमें कुछ भी नहीं किया। क्या हमारी वर्तमान सरकार उस कारखाने पर खर्च करके उसे चालू करेगी? वह कोल आधारित प्लांट है, जैसा कि पहले उसका आकलन हुआ था। उसमें हजारों एकड़ जमीन ले ली गयी है और बाउंड्री वॉल भी तैयार है। जंगल की भी सफाई हुई थी। वहां पर अभी तक हजारों करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं। मैंने आज जब लिस्ट देखी, तो छत्तीसगढ़ में स्थित उर्वरक कारखाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उस कारखाने को पुनः चालू किया जायेगा? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक सदस्य...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना दूसरा प्रश्न बाद में पूछिये।

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपके उत्तर से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन अब आप उन्हें और संतुष्ट कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष महोदया,, बहुत-बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में कोरबा का फर्टिलाइजर प्लांट है, उसे वर्ष 1973 में शुरू करने की सोच थी। उसके लिए सभी प्रबंध भी हो चुके थे, मशीनरी भी लायी गयी थी, लेकिन उसे खोला नहीं गया। वर्ष 1990 में उस फर्टिलाइजर प्लांट को बंद कर दिया गया। उस फर्टिलाइजर प्लांट को कैसे शुरू करें, इस बारे में हम प्रदेश सरकार के साथ बात करेंगे। यदि हो सका, तो ज्वाइंट वेंचर में उसे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे।

डॉ. बंशीलाल महतो : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से कोई प्रस्ताव आया है? मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार से प्रस्ताव लाया जाये। मैं खुद उसे प्रस्ताव को भिजवाऊंगा। आप उसे चालू कराइये, क्योंकि इस पर पहले ही काफी रुपये खर्च हो चुके हैं। यह बहुत उपयोगी कारखाना है। वहां कोयले का भंडार है और ऊर्जाधानी है। वहां पानी की भी समस्या नहीं है। ये सारी उपलब्धता वहां प्राकृतिक रूप से है, इसलिए उसे चालू करना आवश्यक है।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद डॉ. बंशीलाल महतो के सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि हम खुद उस फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ चले जायेंगे। ...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam Speaker, my question arises from the last part of the Question which relates to the revival of sick units. The intelligent Minister is aware that the Talcher fertilizer plant is not sick. It has been totally closed down. There was some attempt during the last days of the UPA II regime to revive the Talcher fertilizer plant.

I would like to understand from the Minister, through you, what steps this Government has taken other than the steps taken earlier by the UPA Government to revive that fertilizer plant in Talcher.

SHRI ANANTH KUMAR: After becoming sick only the plants get closed down. Regarding Talcher fertilizer plant, I would like to say that we had two rounds of meetings with all the concerns, with the Minister of Coal, with the Minister of Petroleum and Natural Gas. We are going to establish two joint ventures, one with the Coal India Limited and the other with the GAIL. With these two joint ventures, with coal gasification model, we are going to revive the Talcher plant. If everything goes according to the plan, I think, we are going to give a good news in November – December of this year itself.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : In the reply given by the hon. Minister, it has been stated that the financial performance of the FACT turned negative due to the anomalies in the erstwhile price concession scheme for complex fertilizer during 2002-03 to 2007-08. I do agree with him. But the main problem is that the FACT is forced to close down the Ammonia Plant due to the direction, verdict from the hon. Supreme Court. So, it is a commitment on the part of the Government of India that the FACT would be duly compensated. FACT as also the Ministry submitted a proposal for the Rs.900 crore financial restructuring package and the plan has been submitted. It is pending before the Government of India. I would like to know from the hon. Minister whether the revival plan of FACT would be done at the earliest so that the company can be revived *in toto*.

SHRI ANANTHKUMAR: After assuming charge as the Chemicals and Fertilizers Minister, my first visit was to the oldest fertiliser plant of India, the FACT. I visited Kochi. I inspected the Kochi Plant. After that, we have held rounds of

meetings regarding the revival of FACT which is a premier fertilizer plant. We have also proposed a Rs.929 crore revival package. It is under the consideration of the Government of India.

There is an issue. The issue is of getting the feed-stock from Petronet. Recently, I held a meeting with the Petroleum and Natural Gas Minister and the other representatives of the Petroleum and Natural Gas Ministry. Our Government led by Shri Narendrabhai Modi wants that the FACT should be revived.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, the hon. Minister has spoken about the closed fertilizer plants. It is strange that India is one of the biggest importers of fertilizer. When India goes to the international market, the price of fertilizer goes up. In spite of that, the fertilizer plants are lying closed in the country. Shri Mahtab has mentioned about the Talcher Unit; Shri Premachandran has mentioned about the FACT Plant in Kochi. In West Bengal, there were only two fertilizer plants: one at Haldia and the other at Durgapur. Both these have been lying closed for a long time. Sometimes it happens that technology is outmoded and at other times it happens that the feedstock like Naphtha or natural gas or coal is not available. What, according to him, is the reason for the closure of these factories? What steps the Government is going to take to revive the only two fertilizer plants in West Bengal?

SHRI ANANTHKUMAR: Madam Speaker, the hon. Member Prof. Saugata Roy has raised a very valid question. He has also said in his question that feedstock is an important issue. The grand vision of our Prime Minister Shri Narendrabhai Modi is to have a gas grid in the country and it has been mentioned in the recent Budget also. The gas grid between Jagdishpur and Haldia which the GAIL is going to lay is going to connect by the spur-way all the fertilizer plants which have been closed That is an important issue. The fertilizer plant in Gorakhpur, Sindri, Barauni, Durgapur and in Haldia are important. Recently, I have taken a meeting with GAIL, meeting with the Petroleum and Natural Gas Minister. SAIL is also participating in Sindri. Hence I had a meeting with the Steel and Mines Minister. I think when we lay the pipeline between Jagdishpur and Haldia, it is going to be

the first ever gas corridor in this part of the country, the Hindi heartland because it is not only going to cater to the fertilizer plants but also it is going to cater to the petro-chemical plants; it is going to cater to the steel mills also. I think it will rejuvenate industrialisation in the Hindi heartland. I think that will be the solution for Durgapur and Haldia also.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : उत्तर से सबको संतुष्ट कर रहे हैं। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Q. No. 387 – Shri Rattan Lal Kataria.

परिशिष्ट - बारह

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या +4681

जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2014/21 श्रावण, 1936 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक कारखानों का नवीकरण

+4681. श्री पी.के. बिजू:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई नीति देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार केरल में फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर (एफएसीटी) लिमिटेड के संयंत्रों को नवीकृत करने का है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) केरल में एफएसीटी पर विभिन्न उर्वरकों की वर्तमान उत्पादन मात्रा कितनी है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चंद)

(क) और (ख): नई निवेश नीति (एनआईपी)-2008 का उद्देश्य रियायत मूल्य को आयात सम-मूल्य से जोड़कर यूरिया क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना था। इस ऊपर उल्लिखित नीति के अंतर्गत सोलह इकाइयों ने पुनरुत्थान किया है जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 20 लाख मी.टन यूरिया का उत्पादन हुआ है।

सरकार ने यूरिया उत्पादन में भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए भविष्य में यूरिया क्षेत्र में नये निवेश को सुगम बनाने हेतु 2 जनवरी, 2012 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 अधिसूचित की थी। एनआईपी-2012 के अंतर्गत नई परियोजनाओं के ऊर्जा मानकों को 5 जीकैल/मी.टन पर मान्यता दी जाएगी जोकि विश्वभर में सर्वश्रेष्ठ यूरिया इकाइयों के तुलनीय है।

(ग) और (घ): मौजूदा वर्ष 2014-15 के दौरान फैक्ट ने अपने उर्वरक संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए निधियां जारी करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कंपनी के दीर्घावधि सतत प्रचालन के लिए एक व्यापक वित्तीय राहत पैकेज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बीआरपीएसई ने 20.12.2013 को हुई अपनी बैठक में फैक्ट को वित्तीय राहत देने की सिफारिश की है जिसमें नई निधियां लगाना, भारत सरकार के ऋण और ब्याज में छूट और एलएनजी आदि के उपयोग पर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति करना शामिल है।

बीआरपीएसई की सिफारिशें मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उर्वरक विभाग के विचाराधीन हैं।

(ङ.): वर्ष 2013-14 **के दौरान** फैक्ट के उर्वरक संयंत्रों की स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:

उत्पाद	स्थापित क्षमता (मी.टन)	वास्तविक उत्पादन (मी.टन)
अमोनियम सल्फेट	225000	178792
फेक्टमफोस	633500	660079

****

परिशिष्ट - तेरह

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 384

जिसका उत्तर मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014/4 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया जाना है।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) का पुनरुद्धार

384. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) के पुनरुद्धार के संबंध में हाल ही में केरल राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) से (ग): केरल के मुख्यमंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होने फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) को वित्तीय राहत पैकेज देने के अनुमोदन का अनुरोध किया है ताकि वह अपना प्रचालन सतत और अनवरत रूप से बनाए रख सके। सरकार ने मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) को माफ करने और लाभ के केन्द्रों के रूप में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि के मिश्रित प्रयोग की अनुमति देने के लिए केरल सरकार से अनुरोध किया है।

उर्वरक विभाग ने फैक्ट की रुग्णता के मामले का समाधान करने के लिए फैक्ट के वित्तीय पुनर्गठन की मांग करते हुए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंलीय समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया है। व्यय विभाग ने इस प्रस्ताव पर कुछ मुद्दे उठाए हैं। उर्वरक विभाग इन मुद्दों के समाधान के लिए व्यय विभाग से चर्चा कर रहा है।

*****

परिशिष्ट - चौदह

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या **121***

जिसका उत्तर मंगलवार, 26 जुलाई, 2016/4 श्रावण, 1938 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की आपूर्ति

121*. श्री विनोद लखमाशी चावड़ा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों की, की गई मांग और वास्तविक आपूर्ति में लिया जाने वाला समय काफी ज्यादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2015-16 के दौरान उर्वरकों की की गई मांग और राज्यों को आपूर्ति किए गए उर्वरकों की राज्य-वार मात्रा कितनी है और चालू वर्ष हेतु इसकी अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) क्या आपूर्ति किए गए उर्वरकों की मात्रा राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

उर्वरकों की आपूर्ति के बारे में 26.07.2016 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.121* के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में संदर्भित विवरण।

****

(क): जी नहीं। उर्वरकों की मांग का आकलन प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) द्वारा सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद किया जाता है। आवश्यकता का आकलन करने के बाद डीएसीएंडएफडब्ल्यू उर्वरकों की माह-वार आवश्यकता का प्रक्षेपण करता है। उर्वरक विभाग प्रक्षेपित माह-वार मांग के अनुसार राज्य स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है। वर्ष 2015-16 (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक) में प्रमुख रासायनिक उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके की माह-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

विवरण से देखा जा सकता है कि प्रत्येक माह में उर्वरकों की आवश्यकता और बिक्री की तुलना में इनकी उपलब्धता पर्याप्त थी, और इस प्रकार मांग को पूरा करने में अधिक समय नहीं लगा है।

(ख) और (ग): 2015-16 के दौरान उर्वरकों की मांग और राज्यों को इनकी आपूर्ति की मात्रा का ब्यौरा **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने चालू खरीफ-2016 मौसम के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन पहले ही कर लिया है और प्रक्षेपित की गई आवश्यकता को **अनुलग्नक-ग** में दर्शाया गया है। रबी-2016-17 के लिए आवश्यकता का आकलन डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा उचित समय पर किया जाएगा।

(घ): आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा किए गए महीना-वार और राज्य-वार प्रक्षेपण के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता पर निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से लगातार निगरानी रखता है:-

(i) देश भर में उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑन लाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा की जा रही है, जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है।

(ii) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य की संस्थागत एजेंसियों जैसे मार्कफेड आदि के माध्यम से रेलवे रेकों के लिए समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करके आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरक उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करें।

(iii) कृषि एवं सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू), उर्वरक विभाग (डीओएफ), और रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा बताए गए अनुसार उर्वरकों का प्रेषण करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(iv) मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मौसम के लिए आयात को भी पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

(v) इसके अलावा, मौसम के शुरू होने से पहले राज्यों में लगभग 21.36 लाख मी.टन यूरिया पहले ही रखवा दिया गया था। उपर्युक्त प्रयासों से उर्वरक विभाग ने सभी राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है; तथापि, आवश्यकता के अनुसार राज्य के अंदर वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है।

****

<आंकड़े लाख मी.टन में>

अनुलग्नक-क

वर्ष 2015-16 के दौरान उर्वरकों की माह-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री												
माह	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीके		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
अप्रैल	19.99	25.62	21.17	6.84	5.91	3.10	1.81	4.00	0.70	5.80	9.22	2.51
मई	23.55	28.98	24.73	8.28	12.19	8.38	2.54	4.66	1.47	7.93	12.50	4.59
जून	29.76	26.99	24.30	10.78	16.27	10.96	4.03	5.41	2.39	10.36	16.68	10.03
जुलाई	31.00	31.82	29.49	9.31	15.77	7.70	4.07	6.34	2.29	9.57	16.64	8.49
अगस्त	27.76	32.11	29.94	7.82	16.15	7.80	3.08	6.57	2.43	9.52	18.55	9.08
सितम्बर	22.45	28.05	25.16	7.90	21.98	12.68	2.80	7.60	3.32	9.55	19.47	10.24
अक्टूबर	32.44	36.14	29.18	16.96	20.06	8.90	3.58	6.88	2.19	11.59	17.77	6.72
नवम्बर	34.79	34.44	27.37	13.66	19.08	9.18	3.85	6.56	2.06	10.68	18.20	6.97
दिसम्बर	34.51	36.49	30.54	8.42	16.83	6.54	3.23	6.24	2.05	8.77	18.74	8.29
जनवरी	27.79	37.68	27.12	4.66	16.84	3.64	2.73	6.71	1.87	7.33	17.05	6.58
फरवरी	16.34	36.93	21.48	3.92	17.65	6.23	2.20	5.08	1.62	6.93	16.96	8.50
मार्च	12.99	38.52	29.20	3.80	16.12	12.37	2.18	3.32	1.85	7.86	15.98	10.68

<आंकड़े लाख मी.टन में>

अनुलग्नक-ख

वर्ष 2015-16 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री												
राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीके		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आंध्र प्रदेश	17.35	16.21	15.47	4.70	3.89	3.77	3.50	2.23	2.12	13.50	12.49	12.08
अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	3.30	3.93	3.91	0.50	0.58	0.48	1.30	0.72	0.70	0.10	0.16	0.15
बिहार	19.25	23.84	23.58	5.00	5.88	5.45	1.90	1.65	1.54	3.25	3.87	3.70
छत्तीसगढ़	6.75	8.74	8.45	3.00	3.28	3.13	1.05	0.82	0.72	1.50	0.98	0.88
गोवा	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.03	0.03
गुजरात	20.50	21.31	21.04	5.00	5.28	5.12	1.80	1.19	1.17	5.20	6.26	5.98
हरियाणा	18.60	21.70	21.13	6.00	6.80	6.64	0.45	0.50	0.40	0.65	0.28	0.25
हिमाचल प्रदेश	0.71	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.09	0.08	0.08	0.30	0.36	0.36
जम्मू और कश्मीर	1.32	1.59	1.55	0.78	0.61	0.59	0.26	0.11	0.11	0.00	0.03	0.03
झारखंड	2.25	2.39	2.35	1.05	0.66	0.66	0.16	0.03	0.03	0.85	0.35	0.33
कर्नाटक	13.71	15.38	14.61	5.90	6.15	5.89	3.91	2.64	2.48	11.63	12.90	11.92
केरल	1.68	1.48	1.41	0.34	0.28	0.24	1.75	0.88	0.86	2.25	1.32	1.21
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	28.00	24.84	23.87	12.00	11.30	10.51	1.10	1.05	0.79	3.75	3.25	2.95
महाराष्ट्र	27.00	24.01	23.60	8.50	6.80	6.72	4.75	3.28	3.16	21.00	19.17	17.97

मणिपुर	0.33	0.19	0.19	0.08	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
मिजोरम	0.09	0.04	0.04	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नगालैंड	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
ओडिशा	6.60	6.10	5.87	2.40	1.72	1.64	1.60	0.89	0.89	3.80	2.67	2.52
पंजाब	26.50	31.52	30.86	9.00	8.49	8.10	0.63	0.61	0.53	0.35	0.45	0.42
राजस्थान	19.25	20.96	20.77	6.75	8.00	7.90	0.16	0.15	0.15	0.95	0.74	0.68
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	10.50	11.41	11.17	3.50	3.03	3.01	4.00	3.01	2.97	6.50	6.19	6.01
तेलंगाना	14.29	13.35	12.56	3.50	2.20	2.12	1.75	1.06	1.00	9.50	8.77	8.53
त्रिपुरा	0.35	0.26	0.24	0.05	0.01	0.01	0.14	0.05	0.05	0.00	0.01	0.00
उत्तर प्रदेश	59.47	60.13	57.99	19.50	22.43	21.80	2.00	2.28	2.19	10.50	7.30	6.90
उत्तरांचल	2.45	3.71	3.60	0.40	0.32	0.31	0.09	0.03	0.03	0.50	0.35	0.32
पश्चिम बंगाल	12.65	14.87	14.38	4.19	3.51	3.32	3.50	2.43	2.22	9.59	10.02	9.38
सकल भारत	**313.35**	**329.00**	**319.68**	**102.34**	**101.28**	**97.47**	**36.08**	**25.71**	**24.23**	**105.89**	**98.03**	**92.68**

<आंकड़े लाख मी.टन में>

अनुलग्नक-ग

खरीफ 2016 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता				
राज्य	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके
आंध्र प्रदेश	8.00	2.00	1.50	5.50
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	1.40	0.25	0.65	0.10
बिहार	9.50	2.00	0.60	2.00
छतीसगढ़	5.00	2.50	0.70	0.80
गोवा	0.03	0.02	0.01	0.02
गुजरात	10.00	3.00	0.80	2.80
हरियाणा	7.50	3.00	0.25	0.25
हिमाचल प्रदेश	0.36	0.00	0.01	0.13
जम्मू और कश्मीर	0.55	0.30	0.05	0.02
झारखंड	1.70	0.70	0.10	0.50
कर्नाटक	8.00	4.00	2.00	7.00
केरल	0.78	0.15	0.65	0.92
मध्य प्रदेश	9.00	6.50	0.75	2.20
महाराष्ट्र	15.50	4.00	2.75	12.00
मणिपुर	0.16	0.05	0.04	0.00

मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.04	0.03	0.02	0.00
नगालैंड	0.01	0.01	0.00	0.00
ओडिशा	4.75	1.60	1.00	2.50
पंजाब	12.50	4.00	0.50	0.10
राजस्थान	7.50	3.25	0.15	0.41
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	4.00	1.50	1.50	2.00
तेलंगाना	8.00	1.50	1.00	5.90
त्रिपुरा	0.13	0.03	0.09	0.00
उत्तर प्रदेश	26.00	9.00	1.00	4.00
उत्तरांचल	1.35	0.15	0.03	0.14
पश्चिम बंगाल	5.50	1.25	1.25	4.35
सकल भारत	**147.39**	**50.82**	**17.42**	**53.68**

****

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q.No. 121, Shri Vinod Lakhmashi Chavda

(Q. 121)

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सरकार और मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ...(व्यवधान) किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार और मंत्रालय ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और निर्णय लिये हैं। आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा सवाल है कि देश में फर्टिलाइजर की कुल जरूरत और उसके विरुद्ध उत्पादन की आवश्यकता तथा उसे बढ़ाने के लिए सरकार भविष्य में क्या कदम उठाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल.मांडविया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, समग्र देश में किसानों को सरलता से फर्टिलाइजर उपलब्ध हो, इसकी उपलब्धता में कोई असुविधा न हो और भूतकाल में जो व्यवस्था बनी हुई थी, उससे बाहर आकर हिन्दुस्तान के किसान उसे प्राप्त कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि पाँच वर्षों में देश के किसानों की आय डबल होनी चाहिए। आय डबल करने के लिए किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। उसका उत्पादन तब बढ़ेगा, जब उसको समय पर फर्टिलाइजर मिले, उसका उत्पादन बढ़े। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने की जो कोशिश की है, उसमें यूरिया फर्टिलाइजर का मेजर पार्ट है। वर्ष 2015-16 में देश में यूरिया का सबसे अधिक 245 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, जो भूतकाल में कभी नहीं था। वर्ष 2011-12 में हमारे देश में यूरिया की रिक्वायरमेंट 305 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध इसकी उपलब्धता 298 लाख मीट्रिक टन थी। वर्ष 2012-13 में यूरिया की 315 लाख मीट्रिक टन रिक्वायरमेंट के विरुद्ध 307 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता थी। वर्ष 2013-14 में यूरिया की आवश्यकता 316 लाख मीट्रिक टन थी और उपलब्धता 306 लाख मीट्रिक टन थी ।

मुझे खुशी है कि वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में हमने जो नयी यूरिया नीति घोषित की, व्यवस्था में जो बदलाव किया, सुचारू व्यवस्था की, उसकी वजह से यूरिया की आवश्यकता से अधिक उपलब्धता बढ़ी। इसके बढ़ने से किसानों को अच्छी तरह से फर्टिलाइजर मिलने लगा, उसका उत्पादन बढ़ने लगा। मैं भी वर्ष 2012 में गुजरात में गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का चेयरमैन था और फर्टिलाइजर वितरण का काम देखता था। देश में यह स्थिति थी कि जब हमारे यहाँ बारिश होती थी और जून-जुलाई के महीने में गांव और डिस्ट्रिक्ट से हल्ला होता था, लम्बी-लम्बी लाइनें लग जाती थीं और लोग

कहते थे कि हमको खाद नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की, उसकी वजह से आज सभी राज्यों में यूरिया की डिमांड के अनुसार फर्टिलाइजर मिल रहा है।

हमने केवल यही नहीं किया है कि किसानों को समय पर खाद मिले, बल्कि सम्पूर्ण यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया है। केवल 128 दिनों में सम्पूर्ण यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया। उससे यह फायदा हुआ कि जो यूरिया केमिकल इंडस्ट्रीज में चला जाता था और जैसे-तैसे रास्ते में चोरी होती थी, वह सभी समाप्त हो गया। केमिकल इंडस्ट्री में नीम कोटेड यूरिया नहीं चलने से किसानों को अच्छी तरह से खाद मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आपका उत्तर अच्छा था, लेकिन उत्तर थोड़ा शॉर्ट में देंगे तो सही रहेगा।

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि फर्टिलाइजर की राज्यों द्वारा की गयी मांग और राज्यों को सप्लायी किए गए फर्टिलाइजर की राज्यवार मात्रा कितनी है? राज्यों की मांग के चलते, हमने कितनी मात्रा में उनको सप्लायी किया है? वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने कौन सी नयी योजनाएं हैं और क्या कदम उठाए हैं?

श्री मनसुख एल.मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि भविष्य में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे देश में खाद के उत्पादन के लिए कुल तीस प्लांट थे, जिसमें से आठ प्लांट ऐसे थे जो बंद हुए थे। जिनमें पांच एफसीआई के थे, जो गोरखपुर, सिंदरी, रामगुंडम, तलचर और कोरबा में है। एफसी के बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है और इच्छाशक्ति के आधार पर चलती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई जी ने कहा था कि देश के किसानों को दाम भी अच्छा मिलना चाहिए और फर्टिलाइज़र भी पूरा मिलना चाहिए। इसके लिए 13.07.2016 को निर्णय किया गया कि गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हमारे जो तीन खाद के कारखाने बंद थे इन्हें शुरू करने का निर्णय किया गया और पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री अनंत कुमार जी ने गोरखपुर के खाद के प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट का शिलान्यास करते हुए हमारे मंत्री जी ने कोट किया था और यह कहना यहां उचित लगता है कि 25 साल यह प्लांट बंद रहा। कई सरकारें आईं और गईं, वायदे होते रहे और उनका व्यापार भी होता रहा, लेकिन वास्तविकता में वहां कुछ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारी सरकार इन कारखानों के 25 साल से बंद होने की रजत जयंती मना रही थी। हमारी सरकार को सत्ता में आए 25 महीने के करीब हो गए हैं। हमारी सरकार जिस माह में उसकी रजत जयंती मना रही थी तो उस अवसर पर हमारे मंत्री अनंत कुमार जी ने उस कार्यक्रम में

कोट किया था कि हम 25 महीने में गोरखपुर क्षेत्र में खाद का कारखाना दे रहे हैं और चार हजार लोगों को उससे रोजगार मिलेगा और तीन लाख मीट्रिक टन खाद का उत्पादन होगा। हमने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे कि भविष्य में देश में किसी जगह पर खाद की कमी न हो।

माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा है कि राज्यवार खाद की कितनी रिक्वायरमेंट है। मैं इस प्रश्न का पूरा उत्तर दे सकता हूं, लेकिन माननीय सदस्य गुजरात राज्य से हैं इसलिए मैं गुजरात राज्य के बारे में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2015-16 में यूरिया की रिक्वायरमेंट 20 लाख मीट्रिक टन थी और उपलब्धता 21 लाख मीट्रिक टन थी। ऐसे ही डी.ए.पी. की रिक्वायरमेंट पांच लाख मीट्रिक टन थी और उपलब्धता 5.28 लाख मीट्रिक टन थी। एम.ओ.पी. की कुल मिलाकर रिक्वायरमेंट 8 लाख मीट्रिक टन थी और उपलब्धता 8.19 लाख मीट्रिक टन थी। इस तरह से आवश्यकता से अधिक फर्टिलाइजर हमने उपलब्ध करवाया है और सारी व्यवस्था करके सभी राज्यों को आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया है।

PROF. K.V. THOMAS: The hon. Minister, Shri Ananthkumar, after taking oath, made his first visit to FACT in my constituency which is considered as the mother of the fertilizer industry. A number of projects were envisaged and financial assistance to the tune of Rs 1,000 crores was given by the hon. Minister at a commercial interest rate of 13.25 per cent charged by the banks. We have been requesting the hon. Minister to reduce the interest rate. We are thankful for the assistance but we request him to reduce the interest rate.

Secondly, there has been a package of about Rs 8,000 crore formulated but that is not moving. You gave a little air, oxygen to FACT but it is now limping. What are the projects that the hon. Minister is envisaging and what steps he is immediately taking so that the FACT which is producing quality fertilizers in the country in NPK and FACTAMFOS can become very active from its limping state?

SHRI ANANTHKUMAR: Our hon. Member has raised a very important question, Madam.

FACT is the mother of fertiliser plants in the country. As he rightly said, my first visit after taking over as Chemicals and Fertilisers Minister was to FACT.

For the last eight years, there was no assistance or package given to FACT but the Modi Government gave Rs. 1,000 crore credit facility. Regarding the interest rate, I am also concerned. Therefore, I have taken up the matter with the Finance Ministry. I feel that we will get a solution about this.

Regarding FACT, the revival is on. When recently I had a meeting they said earlier it was producing only six lakh metric tonnes of FACTAMFOS. From now onwards, this year onwards, there is good news for Thomas Sir that it is going to produce one million tonnes, that is ten lakh metric tonnes of FACTAMFOS. The Government of India will be at the assistance of FACT. We have provided the gas also at a very reasonable price. I will assure the House and the hon. Member that we will do everything to see that FACT will be revived.

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN : Thank you, hon. Speaker.

Madam, the farmers have been suffering from drought considerably for the last two years. They have suffered crop loss year after year. So, it is the duty of the Government to extend a helping hand to our food-feeders who are in need of it. There is a request to reduce the price of urea. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering further reduction in the price of urea commensurate with the losses suffered by them by importing sufficient quantity.

SHRI ANANTHKUMAR: Regarding urea and other chemical fertilisers, on urea already the MRP is locked. We are providing urea to the farmers at Rs. 5,360 per tonne but actually the manufacturing cost is between Rs. 18,000 and Rs. 22,000; there is Rs. 15,000 subsidy on one tonne of urea.

Secondly, recently with the direction of hon. Prime Minister Narendrabhai Modi, for the first ever time in the last 30 years, the Government of India has reduced the prices of various other fertilisers like DAP, MOP and NPK. For DAP, we have reduced it to the tune of Rs. 2,5000 per tonne, that is Rs. 125 per 50-kilogram bag; for MOP, we have reduced it to the tune of Rs. 5,000 per tonne, that is Rs. 250 per bag of 50 kilograms; for *mishrit khad*, that is complex fertilisers, we

have reduced it to the tune of Rs. 1,000, that is Rs. 50 per 50-kilogram bag. I think, this has never happened in the past. We have decided, *'Zameen bachao, kisan bachao'*. Therefore, this is the first Government which has reduced the prices of fertilisers.

SHRI THOTA NARASIMHAM: Due to more subsidy on urea, the innocent poor farmers had increased the use of urea in their fields, which left toxics on the soil, which in turn affected the productivity. The Government needs to redraft NPK subsidy, that is subsidy on nitrogen, potassium and phosphorous. Will the Government frame a comprehensive fertiliser subsidy policy and rationalise the usage of chemical fertilisers for sustainable agricultural productivity? What are the steps taken by the Government for adoption of 'Climate Smart Crops' as envisaged by Dr. Swaminathan?

The Madagascar Model of System of Rice Intensification in Tamil Nadu has yielded the best results using less water and minimal chemical fertilisers. Will the Government include it in the National Agricultural Policy for better results throughout the country?

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, hon. Member Thota Narasimhan has asked a very valid question. We have a graded policy. As on today the NPK ratio is 8.2:4:1 but actually it has to be 4:2:1.

In some of the States like Punjab, Rajasthan and various other places it is more than 60:4:2, something like that. Therefore, the Government of India has come out with a policy in such a way that we are firstly neem coating the entire urea. Neem coating is fortification of urea because of which there will be slow release of Nitrogen and, therefore, less urea is used. Secondly, when we have brought down the rates of other fertilisers like Phosphate and Potash and the complex fertilisers NPK, then rather than urea other fertilisers will be used more and, therefore there will be balanced fertilization.

The hon. Member has asked about organic fertiliser. The hon. Prime Minister has launched the *Swachh Bharat Abhiyan* and one of the important

components of that Abhiyan is waste compost. Whatever compost is made by gathering waste, segregating and then processing it that compost was used to be costlier than urea. Therefore, for the first time ever the Government of India led by Shri Narendra Modi has come out with a subsidy scheme on compost, organic fertiliser, also which is to the tune of Rs.1,500 per metric tonne. Therefore, the compost generated by urban waste has become more affordable than urea. I think that is the way forward.

We will be promoting more and more organic fertilisers to see that there is a balanced fertilization. The entire House also knows, because of the soil health card, soil health laboratories and such other measures, the farmer will get a correct feedback about the health of his soil and the requirement of the soil based on which he can go for fertilization.

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3190
जिसका उत्तर मंगलवार, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है।
फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

3190. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार ने केरल में फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) के पुनरुद्धार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख): यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एफएसीटी को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग): क्या एफएसीटी अब देश में एक लाभ कमाने वाली उर्वरक विनिर्माण इकाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा जहाजरानी, सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क) और (ख): जी हां। फैक्ट को तत्काल वित्तीय संकट से उबारने के लिए 21.03.2016 को 1000 करोड़ रुपए धनराशि का योजनागत ऋण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त फैक्ट के वित्तीय पुनर्गठन के लिए भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण तथा उसके ब्याज की माफी पर भी विचार किया गया है।

(ग): जी नहीं।

****

परिशिष्ट -सोलह

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1492**
जिसका उत्तर मंगलवार, 12 फरवरी, 2019/23 माघ, 1940 (शक) को दिया जाना है।
रुग्ण उर्वरक इकाइयां

1492 श्री एम. चन्द्राकाशी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों और वर्तमान में उनके शुद्ध वित्तीय मूल्य का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उन उर्वरक कंपनियों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनके लिए पुनरुद्धार योजना अनुमोदित/स्वीकृत की गई है; और
(ग) जिन कंपनियों की पुनरुद्धार योजना/पैकेज को स्वीकृति दी गई है उनके पुनरुद्धार में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(राव इन्द्रजीत सिंह)

(क): वर्तमान में इस विभाग के नियंत्रणाधीन दो रुग्ण पब्लिक सेक्टर उर्वरक विनिर्माण कम्पनियां नामत: फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) हैं जोकि क्रमश: केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान फैक्ट और एमएफएल का वित्तीय निवल मूल्य निम्नानुसार है:

पब्लिक सेक्टर उर्वरक कम्पनियां	**निवल मूल्य (करोड़ में)**
फैक्ट	-(1696.40)
एमएफएल	-(492.03)

(ख) और (ग): फैक्ट और एमएफएल के लिए वित्तीय पुन: संरचना प्रस्ताव जांच के अधीन है।

******

75

परिशिष्ट - सत्रह

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4353
दिनांक 28 मार्च, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

पीएसयू को बढ़ावा

4353. योगी आदित्यनाथ:
श्री रायपति सम्बासिवा राव:
श्री एम.आई. शनवास:
श्रीमती मौसम नूर:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है;
(ख) गत कुछ वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाले और नुकसान में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और नुकसान में चल रहे सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को व्यवहार्य उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए क्या कार्य-योजना है;
(ग) अब तक देश में उक्त पीएसयू को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार द्वारा कोई अग्रणी कार्यक्रम चलाया जा रहा है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि कितनी है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क)

क्र.सं.	विभाग का नाम	पीएसयू का नाम
1.	उर्वरक विभाग	i. ब्रह्मपुत्र वैली उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल) ii. दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) iii. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल) iv. फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) v. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) vi. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)

		vii. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल) viii. परियोजनाएं एवं विकास इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) ix. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ)
2.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	i. ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) ii. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) iii. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) iv. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड(एचएफएल - (जो एचओसीएल की सहायक कंपनी है)।
3.	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	i. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) ii. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) iii. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) iv. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) v. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

(ख) एवं (ग)

उर्वरक विभागः-

क्र.सं.	विभाग का नाम	पिछले दो वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में लाभ/हानि की स्थिति		
		2013-14	2014-15	2015-16
	उर्वरक विभाग			
1.	ब्रह्मपुत्र वैली उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	हानि	लाभ	लाभ
2.	दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी)	हानि	हानि	हानि
3.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल)	लाभ	लाभ	लाभ
4.	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)	एफसीआईएल की सभी इकाइयां बंद हैं।		
5.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)	एचएफसीएल की सभी इकाइयां बंद हैं।		
6.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड(एमएफएल)	लाभ	हानि	हानि
7.	नेशनल उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल)	हानि	लाभ	लाभ
8.	परियोजनाएं एवं विकास भारत लिमिटेड (पीडीआईएल)	लाभ	हानि	हानि
9.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ)	लाभ	लाभ	लाभ

घाटे में चल रहे पीएसयू को व्यवहार्य उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्न प्रकार हैः

I. **दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी):**

तत्कालिक संकट को टालने के लिए 21 मार्च, 2016 को जारी किए गए स्वीकृति पत्र द्वारा 1000 करोड़ रु. का योजनागत ऋण एफएसीटी को दिया गया है ।

एफएसीटी की वित्तीय पुनर्गठन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं । एफएसीटी ने अपनें वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण और उसके ब्याज की माफी, उच्च लागत वाले एलएनजी के इस्तेमाल के लिए एकमुश्त मुआवजा, अपनी जमीन की बिक्री के लिए मंजूरी और भूमि की बिक्री के लाभ पर आयकर माफी शामिल है । अपने प्रस्ताव में एफएसीटी ने भूमि की बिक्री से अर्जित राशि द्वारा 1000 करोड़ रु. के योजनागत ऋण को वापस करने की अपनी सहमति दी है । एफएसीटी का प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन है ।

II. **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल):**

रुग्ण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को सुचारू बनाने पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में डीओएफ ने बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी को शामिल करने की मंजूरी दे दी है जिसके पास कारोबारी माहौल, परिचालन मुद्दों, प्रौद्योगिकी विकल्प और क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता का अनुभव और विशेषज्ञता है जिसमें ऐसा सीपीएसई कार्य कर रहा है। आईएफडी ने प्रस्ताव पर सहमति जताई है और फाइल प्रस्तुत की जा रही है । तदनुसार, एमएफएल से बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी को लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था । एमएफएल ने दिनांक 02.06.2016 को विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में पीडीआईएल को कार्य पर लगा दिया था । पीडीआईएल ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और एमएफएल बोर्ड ने अध्ययन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और यह भी उर्वरक विभाग में विचाराधीन है ।

III. **प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल):**

भारत सरकार ने पीडीआईएल में दो-चरण की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से खोज निकाले गए खरीदार को पूर्ण बिक्री के माध्यम से 100% शेयर बेचेने का फैसला किया है । नीलामी प्रक्रिया चल रही है।

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग: -

(क) मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड(बीसीपीएल), असम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेट्रोरसायन क्षेत्र में एक पीएसयू है, जो असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट(एजीसीपी) को कार्यान्वित कर रहा है । परियोजना को 2 जनवरी, 2016 को शुरू किया गया और बीसीपीएल कॉम्प्लेक्स, लेपेटाकाटा, डिब्रूगढ़ में 5 फरवरी, 2016 को प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इसे देश को समर्पित किया था । संयंत्र का स्थिरीकरण किया जा रहा है और चालू वित्त वर्ष 2016-17 (28 फरवरी, 2017 तक) के दौरान लगभग 81,000 मीट्रिक टन पॉलिमर का उत्पादन किया गया है । इस परियोजना का उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व है ।

(ख) तीन रसायन पीएसयू अर्थात् हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) लाभ अर्जित पीएसयू है, हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) और हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) घाटे में चल रहे पीएसयू हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान तीनों पीएसयू के लाभ/हानि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	लाभ / (हानि)		
		2013-14	2014-15	2015-16
i.	एचआईएल	1.84	1.60	1.83
ii.	एचओसीएल	(176.85)	(215.49)	(173.91)
iii.	एचएफएल	(24.82)	(3.77)	(11.11)

घाटे में चल रहे पीएसयू अर्थात् एचओसीएल और एचएफएल को व्यवहार्य उद्यमों में परिवर्तित करने की कार्य-योजना निम्न प्रकार हैं:

(i) **एचओसीएल :** एचओसीएल की परिसंपत्तियां और देनदारियों की स्थिति, देनदारियों को चुकता करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की संभावना, कंपनी के व्यवसाय की दीर्घकालिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन और भावी प्रचालन और इसरो स्पेस प्रोग्राम के लिए N_2O_4 संयंत्र के रणनीतिक महत्व और सरकार के विभिन्न स्तरों पर इस संबंध में किए जा रहे परामर्शों जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखकर एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना तैयार की जा रही है ।

(ii) **एचएफएल :** सरकार ने 27.10.2016 को फर्म को पूर्ण रूप से बाहर करने के लिए मूल कंपनी (एचओसीएल) के साथ एचएफएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया है । रणनीतिक विनिवेश के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा निर्णय की तारीख से एक वर्ष है ।

एचओसीएल, एचएफएल और एचआईएल वाणिज्यिक संगठन हैं और उनकी प्रोन्नति और विकास के लिए अपेक्षित कदम उनके अलग-अलग व्यवसाय और प्रचलनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार उनके द्वारा की जा रही है । हालांकि, उनके प्रदर्शन की समय-समय पर विभाग द्वारा समीक्षा भी की जाती है और इनके भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं ।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग: -

इस विभाग में, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड(केएपीएल) एकमात्र पीएसयू है जो लाभ में चल रहा है और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड(आईडीपीएल), बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड(आरडीपीएल) और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) रुग्ण/घाटे में चल रहे हैं । सरकार ने आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद करने का फैसला किया है और बीसीपीएल और एचएएल की रणनीतिक बिक्री का निर्णय लिया है ।

(घ)

उर्वरक विभाग

जी, हां महोदया । प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (उर्वरक सब्सिडी का) एक अग्रणी कार्यक्रम है जो 19 जिलों में कार्यान्वयनाधीन है । प्रस्तावित उर्वरक डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत, विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी लाभार्थियों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा सीधे की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर लाभार्थियों के बजाय उर्वरक कंपनियों को जारी की जाएगी । किसानों/खरीदारों को सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पॉइंट ऑफ सेल(पीओएस) उपकरणों के जरिए की जाएगी और लाभार्थियों को आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र आदि के माध्यम से पहचाना जाएगा।

डीबीटी योजना के अंतर्गत किसी विशिष्ट निधि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सब्सिडी के भुगतान की पद्धति में एक संशोधन है । मौजूदा सब्सिडी योजनाओं के तहत आवंटित धन का उपयोग डीबीटी के तहत सब्सिडी के भुगतान के लिए किया जाएगा।

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और फार्मास्यूटिकल्स विभाग

इन विभागों द्वारा कोई अग्रणी कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं ।

***

परिशिष्ट - अठारह

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 301

जिसका उत्तर मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014/4 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया जाना है।

नया उर्वरक उद्योग

301. श्री सुनील कुमार मण्डल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नए उर्वरक उद्योग की स्थापना करने और देश में बंद उर्वरक संयंत्रों को पुन: खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थापित किए जाने वाले नए उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नए उर्वरक संयंत्रों/बंद संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने और पूरी तरह चालू किए जाने की संभावना है; और

(घ) देश में संयंत्र/इकाई-वार बंद उर्वरक संयंत्रों/इकाइयों के पुनरुद्धार के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) से (घ): वर्ष 2008 में मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की इकाइयों के पुनरुद्धार को इस शर्त के आधार पर अनुमोदित किया था कि सरकार से वित्त-पोषण न लिया जाए और भारत सरकार के ऋण तथा ब्याज को यथापेक्षित बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाए। इन बंद इकाइयों का पुनरुद्धार पीएसयू द्वारा नामांकन प्रक्रिया तथा निजी क्षेत्र द्वारा निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। एफसीआईएल की सिंदरी, तलचर और रामागुण्डम इकाइयों का नामांकन आधार पर पुनरुद्धार किया जाएगा जबकि एफसीआईएल की गोरखपुर और कोरबा इकाइयों तथा एचएफसीएल की दुर्गापुर, हल्दिया और बरौनी इकाइयों का पुनरुद्धार निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने अगस्त, 2011 में एफसीआईएल और एचएफसीएल की सभी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए प्रारूप पुनर्गठन योजना (डीआरएस) को अनुमोदित किया था। डीआरएस में तलचर इकाई के पुनरुद्धार की मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के परिसंघ द्वारा, रामागुण्डम इकाई का मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) तथा मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के परिसंघ द्वारा तथा सिंदरी इकाई का मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई थी।

सीसीईए ने 9.5.2013 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ़ करने के लिए अनुमोदन दिया ताकि एफसीआईएल सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर सके। इससे एफसीआईएल औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के दायरे से बाहर निकलने में समर्थ हो गई। एचएफसीएल इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव/कार्य योजना को एफसीआईएल इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य सुचारू हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

एफसीआईएल की इकाइयों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया इस प्रकार है:

<u>तलचर का पुनरुद्धार:</u>

एफसीआईएल की तलचर इकाई का पुनरुद्धार पीएसयू नामत: आरसीएफ, गेल, सीआईएल और एफसीआईएल के परिसंघ द्वारा दो संयुक्त उद्यम कंपनियों जेवी1 और जेवी2 बनाकर निम्न समय-सीमा के साथ किया जाना है:

i.	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के जरिए जेवी का सृजन	30.11.2014 तक
ii.	वित्तीय बंदी एवं शुरू करने की तारीख	:30.11.2015 तक
iii.	परियोजना को चालू करना	31.12.2018 तक

<u>रामागुंडम का पुनरुद्धार:</u>

एफसीआईएल की रामागुण्डम इकाई का पुनरुद्धार पीएसयू नामत: एनएफएल, ईआईएल और एफसीआईएल के परिसंघ द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित करके निम्न समय-सीमा के साथ किया जाना है:

i	जेवी का गठन	31.12.2014 :तक
ii	प्रौद्योगिकी लाइसेंसरों को निविदा देना	31.03.2015 :तक
iii	परियोजना पूरी करना	:30 09.2018.तक

सिंदरी का पुनरुद्धार

सिंदरी इकाई के लिए सेल-सिंदरी प्राजेक्ट्स लिमिटेड (एसएसपीएल), जो सेल के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को एफसीआईएल की सिंदरी इकाई का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से नवम्बर 2011 में निगमित किया गया है। एफसीआईएल के पास सिंदरी में कुल 6652 एकड़ भूमि में से केवल 498 एकड़ (मौजूदा उर्वरक संयंत्र का क्षेत्र) अतिक्रमण-मुक्त भूमि है जबकि सेल द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3247 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त इकठ्टी भूमि की आवश्यकता है। तथापि, इस्पात संयंत्र के लिए लगभग 3000 एकड़ इकठ्टी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है।

गेल की प्रस्तावित जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन के संबंध में उर्वरक विभाग एफसीआईएल की गोरखपुर इकाई के पुनरुद्धार को तीव्रता से पटरी पर लाने की व्यवहार्यता का पता लगा रहा है। कोरबा इकाई का निविदा के जरिए पुनरुद्धार लंबित है।

*****

परिशिष्ट-उन्नीस

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3498**

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2015/20 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार

3498. श्री पी.के. बिजू:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रुग्ण अथवा घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा उपक्रम/इकाई-वार क्या प्रयास किए गए हैं;
(ख) क्या इन कंपनियों को लाभप्रद बनाने के लिए इनके विलय का कोई प्रस्ताव है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की नए सिरे से समीक्षा की है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क): रुग्ण अथवा घाटा उठा रही पीएसयूज के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा किए गए क्षेत्र/इकाई-वार प्रयास इस प्रकार हैं:-

उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज):

उर्वरक विभाग के अंतर्गत रुग्ण/घाटा उठा रही पीएसयूज का विवरण निम्नानुसार है:-

I. **ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल):**

सरकार द्वारा मई, 2015 में बीवीएफसीएल की अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना में भारत सरकार के ऋण पर कुल संचयी ब्याज को माफ करना और 594.71 करोड़ रुपये के भारत सरकार के ऋणों को

ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करना शामिल था। इसके अतिरिक्त नामरूप-I के पुनरुत्थान हेतु, लिए गए 21.96 करोड़ रुपये के ऋण की माफी और एनपीएस-III के अंतर्गत यूरिया की रियायती दरों की गणना के लिए नामरूप-III के पुनरुत्थान पर किए गए 79.62 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को भी मान्यता देना था। इससे कंपनी की नेटवर्थ सकारात्मक हो जाएगी।

सरकार ने विद्यमान नामरूप-II और III संयंत्रों को हटाकर उनके स्थान पर एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र की स्थापना का भी अनुमोदन दिया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी (बीवीएफसीएल) की दीर्घकालिक व्यवहार्यता बनेगी और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन अर्थात् प्राकृतिक गैस (एनजी) का भी अधिक दक्षतापूर्ण प्रयोग हो सकेगा।

II दी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट):

फैक्ट, जोकि लाभ देने वाला एक संगठन था, विभिन्न कारणों, जो संगठन के नियंत्रण से बाहर थे, के कारण घाटे में चला गया। भारत सरकार द्वारा पूर्व में की गई सहायता से तुलन-पत्र को ठीक करने में सहायता मिली और यह औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) के दायरे से बाहर ही रहा। 2012-13 के दौरान कंपनी का नेटवर्थ नकारात्मक हो गया और इसके बाद 31.03.2014 तक गिरते-गिरते (-)457 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

फैक्ट के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसको वहनीय और प्रगतिशील बनाने के लिए वर्षों से अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई गई हैं। तदनुसार, फैक्ट की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया। इस दौरान, व्यय विभाग ने इस मामले में कुछ मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को हल करने के लिए व्यय विभाग के साथ की गई चर्चाओं के आधार पर फैक्ट की आशोधित वित्तीय पुनर्संरचना तैयार की गई और उसके आधार पर संशोधित प्रस्ताव तैयार किए गए। फिलहाल, 18.06.2015 को एक संशोधित प्रस्ताव अंतर्मंत्रालयी परामर्शों के लिए परिचालित किया गया है और प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा की जा रही है।

III मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल):

एमएफएल ने वर्ष 2003-04 से घाटा उठाना शुरू कर दिया और उसे 2009 में रुग्ण घोषित कर दिया गया। हालांकि कंपनी ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान प्रचालनात्मक लाभ अर्जित किया किन्तु कंपनी की नेटवर्थ अभी भी नकारात्मक है। कंपनी के नेटवर्थ को सकारात्मक बनाने के लिए एमएफएल की वित्तीय पुनर्संरचना संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्संरचना बोर्ड (बीआरपीएसई) को प्रस्तावित किया जा रहा है।

IV हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल):

कंपनी को बीआईएफआर द्वारा 1992 में रुग्ण घोषित कर दिया गया था। सरकार ने एचएफसीएल की सभी इकाइयों नामत: बरौनी, हल्दिया और दुर्गापुर को 2002 में बंद घोषित कर दिया था। कंपनी को बीआईएफआर के दायरे से बाहर लाने और कंपनी के पुनरुद्धार के लिए प्रारूप पुनर्वास

योजनाएं विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 31.03.2015 को बोली मार्ग के माध्यम से बरौनी इकाई के पुनरुद्धार को अनुमोदित किया।

रसायन और पेट्रोरसायन पीएसयूज:

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की दो पीएसयूज रुग्ण/घाटे में चल रही हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

I **हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल):**

एचओसीएल के पुनरुद्धार का अध्ययन करने के लिए जनवरी, 2014 में एक परामर्शदाता नामत: मैसर्स फेडो (फैक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ऑर्गनाइजेशन) की नियुक्ति की गई थी। चूंकि फेडो की रिपोर्ट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित वर्तमान परिदृश्य, कच्चे तेल में तेजी से गिरावट, फेनोल और ऐसिटोन के मूल्यों में भारी गिरावट को ध्यान में नहीं रखा गया था, इसलिए एचओसीएल के निदेशक मंडल ने एक नए परामर्शदाता (मैसर्स जेपीएस एसोसिएट्स) को नई पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया। चूंकि एचओसीएल बीआईएफआर के पास एक रुग्ण कंपनी के रूप में पंजीकृत है इसलिए नए परामर्शदाता की रिपोर्ट के आधार पर एचओसीएल की नई पुनरुद्धार योजना को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और 04.11.2015 को होने वाली बीआईएफआर की अगली सुनवाई में आगे का निर्णय लिया जाएगा।

II **हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल):**

एचएफएल के पुनरुद्धार और विकास के लिए कंपनी ने फ्लूरो स्पेशिएलिटी केमिकल्स के विकास और पीटीएफई (पोली टेट्रा फ्लूरो एथिलीन) पर निर्भरता को कम करने की बहु उत्पादी सुविधा की बजाए एकल उत्पाद की सुविधा में अंतरण करने की कार्यनीति अपनाई है। संयंत्र नवीकरण योजनाओं और नई पहलों के लिए वर्ष 2014-15 में एचएफएल को 16.80 करोड़ रुपये का योजनागत ऋण उपलब्ध कराया गया था। इसमें आशोधित पीटीएफई के विकास के लिए 3.60 करोड़ रुपये भी शामिल थे जिसमें उच्चतर लाभ मार्जिन है। वर्ष 2015-16 में, एचएफएल की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए विभाग के बजट में 5 करोड़ रुपये का योजनागत ऋण प्रावधान रखा गया है।

औषध पीएसयूज:

औषध विभाग में दो रुग्ण/घाटे वाली पीएसयूज नामत: इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड (एचएएल) हैं। आईडीपीएल के साथ-साथ एचएएल के पुनरुद्धार के लिए प्रारूप पुनर्वास योजनाएं विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग): जी, नहीं। किसी भी पीएसयू के आमेलन का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ.): पीएसयूज की भौतिक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर पर पीएसयूज के साथ समय-समय पर होने वाली निष्पादन समीक्षा बैठकों में की जाती है। पीएसयूज का निष्पादन का आकलन और समीक्षा लोक उद्यम विभाग द्वारा नियुक्त कार्यदल द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) बातचीत बैठकों के दौरान वार्षिक आधार पर की जाती है। उपर्युक्त निरूपण और निगरानी तंत्र एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

****

परिशिष्ट – बीस

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या **32***

जिसका उत्तर मंगलवार, 05 फरवरी, 2019/16 माघ, 1940 (शक) को दिया जाना है।

रुग्ण उर्वरक संयंत्र

32*. डॉ. बंशीलाल महतोः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बन्द/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का इन संयंत्रों को पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ सी आई एल) के छत्तीसगढ़ स्थित कोरबा उर्वरक संयंत्र को बंद/रुग्ण संयंत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के लिए प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री

(श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

रुग्ण उर्वरक संयंत्र के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.02.2019 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 32* के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): इस विभाग के तहत नौ (9) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) हैं जिसमें से दो पीएसयू नामत: उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) और मद्रास उर्वरक लिमिटेड (एमएफएल) रुग्ण हैं। कोई उर्वरक पीएसयू बंद नहीं है। तथापि, वर्ष 2002 में भारत सरकार ने एफसीआईएल की सिंदरी (झारखंड), तलचर (ओडिशा), रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), और कोरबा (छत्तीसगढ़) में स्थित पांच इकाइयों तथा एचएफसीएल की बरौनी (बिहार), दुर्गापुर एवं हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में स्थित 3 इकाइयों का प्रचालन बंद करने का निर्णय लिया था क्योंकि ये इकाइयां कई कारणों से निरन्तर घाटे में चल रही थी। फैक्ट की रुग्णता का कारण यूरिया संयंत्र का बंद होना, पूर्व नीतिगत निहितार्थ और पिछले कुछ वर्षों से क्षमता का कम होना था जबकि एमएफएल की रुग्णता का कारण पूर्व नीतिगत निहितार्थ और उत्पादन हेतु अत्यधिक कीमत के नेफ्था पर निर्भरता थी।

(ख) और (ग): रुग्ण पीएसयू अर्थात फैक्ट और एमएफएल की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनकी अधिशेष भूमि से आर्थिक अर्जन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों पीएसयू की वित्तीय पुन:संरचना के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। केरल सरकार को फैक्ट की 481.790 एकड़ भूमि और चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) को एमएफएल की 70 एकड़ भूमि की बिक्री के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

एफसीआईएल/एचएफसीएल की बंद की गई आठ इकाइयों में से भारत सरकार ने वर्तमान में पांच इकाइयों नामत: एफसीआईएल के सिंदरी (झारखंड), तलचर (ओडिशा), रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) और एचएफसीएल की बरौनी (बिहार) इकाइयों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है। बंद की गई इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करने हेतु उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल): 1.27 एमएमटीपीए क्षमता प्रत्येक के गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने के लिए नामांकित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों नामत: नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड/हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम बनाकर नामांकन माध्यम द्वारा गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। संयंत्रों का निर्माण जारी है।

(ii) रामागुंडम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल): 1.27 एमएमटीपीए क्षमता के गैस आधारित उर्वरक संयंत्र को स्थापित करने के लिए नामांकित पीएसयू नामत: नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) और एफसीआईएल का संयुक्त उद्यम

बनाकर नामांकन माध्यम द्वारा रामागुंडम इकाई का पुनरुद्धार किया जा रहा है। रामागुंडम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण अनुमानत: शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

(iii) तलचर फर्टिलाजर लिमिटेड (टीएफएल): 1.27 एमएमटीपीए क्षमता के कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए नामांकित पीएसयू नामत: गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एफसीआईएल का संयुक्त उद्यम बनाकर नामांकन माध्यम द्वारा तलचर इकाई का पुनरुद्धार किया जा रहा है। तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टीएफएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। संयंत्र स्थल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

(iv) एफसीआईएल/एचएफसीएल की उपरोक्त यूनिटों के पुनरुद्धार की प्रगति को देखने के बाद देश में यूरिया की मांग-आपूर्ति की कमी के आकलन के आधार पर कोरबा, हल्दिया और दुर्गापुर इकाइयों के पुनरुद्धार का निर्णय लिया जाएगा।

(घ): इसका उत्तर ऊपर (ख) और (ग) (iv) में दिया जा चुका है।

(ङ.): ऊर्जा क्षमता का संवर्धन करने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग ने 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)- 2015 अधिसूचित की और यह 01 जून, 2015 से प्रभावी है। वास्तविक ऊर्जा खपत मानकों के आधार पर 25 यूरिया इकाइयों को तीन समूहों में बांटा गया है और पहले की नीतियों के दौरान निर्धारित किए गए वर्तमान ऊर्जा मानकों को वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, यूरिया इकाइयों को 2018-19 (14 यूरिया इकाइयों के लिए 01 अप्रैल, 2020 तक विस्तारित) के लिए ऊर्जा खपत मानकों का लक्ष्य दिया गया। यह बताया गया है कि अधिकांश यूरिया विनिर्माण इकाइयों ने अपनी ऊर्जा क्षमता में सुधार करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपना लिया है/अपना रहे हैं।

****

परिशिष्ट -इक्कीस

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **508**

जिसका उत्तर मंगलवार,19 दिसम्बर,2017 /28 अग्रहायण, को दिया जाना है। (शक) 1939

यूरिया निवेश नीति

508. **:नाईक.वी.श्री बी**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीन यूरिया निवेश नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त नीति के अंतर्गत यूरिया संयंत्र स्थापित करने हेतु केवल निजी कंपनियों को ही आमंत्रित किया जा रहा है और यदि हां हैरा क्याबंधी ब्यौतो तत्सं ,;

(ग) दन क्षमता में वृद्धि करने का सरकार के उपक्रमों में यूरिया की उत्पा सरकार का केन्द्रक्या हैरा क्याबंधी ब्यौतो तत्सं ,विचार है और यदि हां; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति का वर्षवार --और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा (तंत्र प्रभारस्व)रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री)राव इन्द्रजीत सिंह(

:(क) यूरिया के क्षेत्र में नए निवेश को सुगम बनाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ,जनवरी 22013 को नई निवेश नीति -(एनआईपी)2012 और ,बरअक्तू 07 2014 को इसमें संशोधन अधिसूचित किए हैं।

:(ख) -जी नहीं। एनआईपी2012 के प्रावधानों और इसमें तत्संबंधी संशोधनों के अंतर्गत कोई इच्छुक कंपनी अर्थात् सार्वजनिक पित कर सकती है।देश में यूरिया संयंत्र स्था ,सहकारी/निजी/

:(ग) दन बढ़ाने के लिए सरकार ने य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उर्वरकों का उत्पाकेन्द्री गोर :की बंद पड़ी इकाइयों नामत (एफसीआईएल) फर्टिलाइजर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेडखपुर , की (एचएफसीएल) न फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेडस्तातलचर और रामांगुडम तथा हिन्दु ,सिंदरी को नामित करते हुए (सीपीएसयू) य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंबरौनी इकाई का पुनरुद्धार केन्द्री म से करने का निर्णय लिया है। इन इकाइयों में सनामांकन मार्ग के माध्यमे प्रत्येक का पुनरुद्धार 1.पना द्वारा यूरिया संयंत्र की स्था-दन क्षमता वाले नए अमोनियाटन प्रतिवर्ष उत्पा.मिलियन मी 27 किया जा रहा है।

सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्तउपर्युक्त के विद्यमान पर (बीवीएफसीएल)िसर में 8.प्रतिवर्ष के एक नए (एलएमटी) टन.लाख मी 646) ।।-पना का भी निर्णय लिया है जो बाद में विद्यमान नामरूपयूरिया संयंत्र की स्था2.40 एलएमटी क्षमता) ।।।-और नामरूप (2.70 एलएमटी न ले लेगा।इकाइयों का स्था (

:(घ) 2014 देश में गत तीन वर्षों अर्थात्-2016 से 15-2017 के दौरान और चालू वर्ष अर्थात् 17-18(नवम्बर ,2017 तक ता और बिक्री का विवरणउपलब्ध ,कता वार यूरिया की आवश्यतथा राज्य (**अनुलग्नक।-** के रूप में संलग्न है।

****

अनुलग्नक-1

वर्ष 2014-15 से 2017-18 (नवम्बर 2017 तक) के दौरान यूरिया की संचित आवश्यकता, उपलबधता और बिक्री

राज्य	वर्ष	यूरिया		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
अंडमान एवं निकोबार	2014-15	1.00	0.60	0.60
अंडमान एवं निकोबार	2015-16	1.00	0.40	0.40
अंडमान एवं निकोबार	2016-17	0.83	1.00	1.00
अंडमान एवं निकोबार	2017-18	0.49	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	2014-15	1827.00	1854.33	1806.61
आंध्र प्रदेश	2015-16	1735.00	1621.06	1546.82
आंध्र प्रदेश	2016-17	1503.36	1556.54	1438.08
आंध्र प्रदेश	2017-18	990.00	957.33	851.70
आंध्र प्रदेश	2014-15	2.34	0.46	0.46
आंध्र प्रदेश	2015-16	1.93	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	2016-17	0.40	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	2017-18	2.13	0.00	0.00
असम	2014-15	315.00	318.67	316.19
असम	2015-16	330.00	393.18	390.94
असम	2016-17	310.00	321.17	319.28
असम	2017-18	198.75	236.44	221.21
बिहार	2014-15	1900.00	1942.90	1940.40
बिहार	2015-16	1925.00	2383.51	2358.21
बिहार	2016-17	1950.00	2015.48	1977.49
बिहार	2017-18	1390.00	1276.99	1195.26
चंडीगढ़	2014-15	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	2015-16	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	2016-17	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	2017-18	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	2014-15	675.00	632.09	627.82
चंडीगढ़	2015-16	675.00	874.43	845.01
चंडीगढ़	2016-17	598.84	692.54	649.63
चंडीगढ़	2017-18	542.50	523.39	457.06
दादरा और नागर हवेली	2014-15	1.04	1.27	1.25
दादरा और नागर हवेली	2015-16	1.05	1.01	1.00
दादरा और नागर हवेली	2016-17	1.01	0.67	0.67

दादरा और नागर हवेली	2017-18	1.09	0.60	0.57
दमन और दीव	2014-15	0.28	0.28	0.28
दमन और दीव	2015-16	0.53	0.15	0.15
दमन और दीव	2016-17	0.53	0.32	0.32
दमन और दीव	2017-18	0.40	0.02	0.02
दिल्ली	2014-15	8.00	9.09	9.09
दिल्ली	2015-16	9.20	10.79	10.79
दिल्ली	2016-17	9.00	12.81	13.29
दिल्ली	2017-18	7.20	7.78	7.04
गोवा	2014-15	4.82	3.57	3.57
गोवा	2015-16	4.82	3.64	3.64
गोवा	2016-17	4.00	3.31	3.32
गोवा	2017-18	2.73	1.66	1.66
गुजरात	2014-15	2200.00	2274.84	2269.56
गुजरात	2015-16	2050.00	2131.06	2103.79
गुजरात	2016-17	1850.00	2077.17	2054.96
गुजरात	2017-18	1340.00	1557.63	1473.06
हरियाणा	2014-15	1860.00	2005.03	2001.75
हरियाणा	2015-16	1860.00	2169.57	2112.76
हरियाणा	2016-17	1800.00	2032.59	1962.06
हरियाणा	2017-18	1250.00	1389.67	1302.88
हिमाचल प्रदेश	2014-15	70.00	67.43	67.36
हिमाचल प्रदेश	2015-16	71.00	73.31	73.08
हिमाचल प्रदेश	2016-17	58.00	62.74	62.47
हिमाचल प्रदेश	2017-18	41.50	42.70	42.43
जम्मू एवं कश्मीर	2014-15	138.00	116.70	115.93
जम्मू एवं कश्मीर	2015-16	132.17	158.65	154.84
जम्मू एवं कश्मीर	2016-17	129.01	130.38	128.78
जम्मू एवं कश्मीर	2017-18	69.58	83.43	73.00
झारखंड	2014-15	225.00	180.17	180.17
झारखंड	2015-16	225.00	239.31	235.05
झारखंड	2016-17	240.00	223.00	218.53
झारखंड	2017-18	195.00	180.22	161.18
कर्नाटक	2014-15	1400.00	1542.23	1532.42
कर्नाटक	2015-16	1370.75	1537.75	1461.47

कर्नाटक	2016-17	1243.00	1376.21	1298.33
कर्नाटक	2017-18	1000.00	1061.86	985.61
केरल	2014-15	170.00	135.80	135.80
केरल	2015-16	168.00	148.04	140.78
केरल	2016-17	86.70	120.80	114.48
केरल	2017-18	73.00	106.04	103.39
लक्षद्वीप	2014-15	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	2015-16	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	2016-17	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	2017-18	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	2014-15	2000.00	2072.97	2070.35
मध्य प्रदेश	2015-16	2800.00	2483.66	2387.13
मध्य प्रदेश	2016-17	2200.00	2430.60	2248.40
मध्य प्रदेश	2017-18	1550.00	1702.78	1604.33
महाराष्ट्र	2014-15	2650.00	2577.51	2567.96
महाराष्ट्र	2015-16	2700.00	2401.21	2359.51
महाराष्ट्र	2016-17	2456.35	2567.25	2490.92
महाराष्ट्र	2017-18	1895.00	1829.40	1695.46
मणिपुर	2014-15	29.00	22.94	22.94
मणिपुर	2015-16	33.00	19.35	19.35
मणिपुर	2016-17	20.00	17.08	17.08
मणिपुर	2017-18	20.00	20.42	20.41
मेघालय	2014-15	3.35	6.02	6.02
मेघालय	2015-16	3.35	1.72	1.72
मेघालय	2016-17	0.00	0.00	0.00
मेघालय	2017-18	0.00	0.00	0.00
मिज़ोरम	2014-15	9.00	3.75	3.75
मिज़ोरम	2015-16	8.73	3.50	3.50
मिज़ोरम	2016-17	4.54	4.58	4.58
मिज़ोरम	2017-18	6.18	3.20	3.20
नगालैंड	2014-15	1.74	0.64	0.64
नगालैंड	2015-16	1.82	0.54	0.54
नगालैंड	2016-17	1.91	0.41	0.41
नगालैंड	2017-18	0.35	0.20	0.20
उड़ीसा	2014-15	600.00	506.39	504.09

उड़ीसा	2015-16	660.00	609.68	587.15
उड़ीसा	2016-17	600.00	503.84	492.82
उड़ीसा	2017-18	430.50	457.89	432.97
पांडिचेरी	2014-15	22.00	14.95	14.95
पांडिचेरी	2015-16	22.00	13.27	13.27
पांडिचेरी	2016-17	18.00	10.50	10.50
पांडिचेरी	2017-18	9.70	6.16	6.16
पंजाब	2014-15	2480.00	2735.30	2734.22
पंजाब	2015-16	2650.00	3152.24	3085.70
पंजाब	2016-17	2450.00	2713.64	2610.29
पंजाब	2017-18	2080.00	2172.61	1988.67
राजस्थान	2014-15	1850.00	1848.65	1846.61
राजस्थान	2015-16	1925.00	2095.64	2077.11
राजस्थान	2016-17	1790.00	2057.67	1994.83
राजस्थान	2017-18	1235.00	1058.33	988.91
सिक्किम	2014-15	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	2015-16	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	2016-17	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	2017-18	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	2014-15	1000.00	990.32	989.64
तमिलनाडु	2015-16	1050.00	1140.78	1117.33
तमिलनाडु	2016-17	868.30	806.79	793.63
तमिलनाडु	2017-18	660.00	575.59	556.44
तेलगांना	2014-15	1423.00	1246.70	1236.15
तेलगांना	2015-16	1429.00	1334.78	1256.44
तेलगांना	2016-17	1390.00	1674.67	1549.09
तेलगांना	2017-18	1000.00	1001.27	904.15
त्रिपुरा	2014-15	35.00	21.80	21.80
त्रिपुरा	2015-16	35.00	25.74	23.52
त्रिपुरा	2016-17	25.50	30.71	28.77
त्रिपुरा	2017-18	30.30	12.42	12.42
उत्तर प्रदेश	2014-15	6200.00	6313.85	6253.57
उत्तर प्रदेश	2015-16	5947.00	6013.29	5798.64
उत्तर प्रदेश	2016-17	5850.00	5800.68	5496.32
उत्तर प्रदेश	2017-18	3550.00	4024.03	3768.61

उत्तरांचल	2014-15	250.00	281.71	279.85
उत्तरांचल	2015-16	245.00	371.50	360.42
उत्तरांचल	2016-17	235.00	358.42	353.67
उत्तरांचल	2017-18	155.00	222.73	216.61
पश्चिम बंगाल	2014-15	1320.00	1313.10	1312.08
पश्चिम बंगाल	2015-16	1264.90	1486.81	1438.00
पश्चिम बंगाल	2016-17	1215.00	1304.03	1273.13
पश्चिम बंगाल	2017-18	725.00	699.14	658.97
अखिल भारत	**2014-15**	**30670.57**	**31042.07**	**30873.89**
अखिल भारत	**2015-16**	**31335.25**	**32899.57**	**31968.05**
अखिल भारत	**2016-17**	**28909.27**	**30907.63**	**29607.12**
अखिल भारत	**2017-18**	**20451.40**	**21211.93**	**19733.58**

****

परिशिष्ट - बाईस

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-**1264**

दिनांक **18.12.2018** को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

उर्वरक संयंत्रों से राजस्व

1264. श्री सिराजुद्दीन अजमल:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारका विचार मंत्रालय के अंतर्गत बंद पड़े रसायन और उर्वरक संयंत्रों के विभिन्न उपकरणों आदि की नीलामी कर के राजस्व एकत्रित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त रुग्ण/बंद पड़ी इकाइयों/संयंत्रों का पुनरुद्धार/पुन: खोलने का हैं;

(ग) यदि हां, तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं और इन संयंत्रों का कब तक पुनरुद्धार/प्रचालित करने का विचारहै; और

(घ) रसायन और उर्वरक संयंत्रों के लिए कच्चा माल प्रदान करने और देश में रसायनों का उत्पादन भी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) और रसायनऔर उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री इंद्रजीत सिंह)

(क) सीसीईए ने 9.5.2013 को और मंत्रिमंडल ने 13.7.2016 को मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी) और प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) की सहायता से द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) के बंद उर्वरक संयंत्रों की अनुपयोगी/स्क्रैप वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी और बिक्री आय का उपयोग एफसीआईएल और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)द्वारा उनकी देनदारियों के निपटारे के लिए किया जाएगा और उनकी प्रशासनिक देनदारियों के लिए अधिशेष निधि का उपयोग किया जाएगा।

- इसी तरह, सीसीईए ने 25.05.2016 को और मंत्रिमंडल ने 13.7.2016 को मेटलस्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी) और प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंटइंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) की सहायता से हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशनलिमिटेड (एचएफसीएल) के बंद उर्वरक संयंत्रों कीअनुपयोगी/स्क्रैप

वस्तुओं की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी और बिक्री आय का उपयोग एफसीआईएल और एचएफसीएल द्वारा उनकी देनदारियों के निपटारे के लिए किया जाएगा और उनकी प्रशासनिक देनदारियों के लिए अधिशेष निधि का उपयोग किया जाएगा।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.12.2016 को आयोजित अपनी बैठक में सरकारीएजेंसियों को अधिशेष भूमि की बिक्री से प्राप्त आय से उनकीदेनदारियों को पूरा करने के बाद इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और इसकी सहायक कंपनियों और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को बंद करने और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और बंगालकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) केरणनीतिक विनिवेश बंद करने का फैसला किया। अनुवर्ती कार्रवाई में उपकरणों की बिक्री/नीलामी शामिल है।
- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के तहत तीन रासायनिक पीएसयू हैं अर्थात हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल; एचओसीएल की एक सहायक कंपनी) और एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (एचआईएल)। आज की तिथि में, इन तीनों में से कोई भी पीएसयू बंद नहीं किया गया है। तथापि, 17.05.2017 को सरकार द्वारा अनुमोदित एचओसीएल की पुनर्गठन योजना के अनुसार, एचओसीएल की रसायनी इकाई मेंN_2O_4संयंत्र, जिसे अंतरिक्ष विभाग/इसरो को 20 एकड़ भूमि और संयंत्र से जुड़े कर्मचारियों के साथ स्थानांतरित कर दिया गया है,को छोड़कर सभी संयंत्र प्रचालन बंद कर दिए गए हैं।
- एचओसीएल की पुनर्गठन योजना की वित्तीय विवक्षा1008.67 करोड़ रुपये (नकद) है जिसे आंशिक रूप से रसायनीमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को442 एकड़ एचओसीएल भूमि की बिक्री से और शेष को सरकार से ब्रिज लोन के माध्यम से पूराकिया जाना है। धन का उपयोग कंपनी की विभिन्न देनदारियों,जिनमें कर्मचारियों के बकाया वेतन और अन्य वैधानिक देय राशि का भुगतान और 250 करोड़ रुपये की सरकारीगारंटी वाले बॉन्डों का पुनर्भुगतान और रसायनी इकाई में स्केलेटल स्टाफ के रूप में रखे गए कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस देना शामिल है, के लिए किया जाना है। भारत सरकार के ऋण, ब्याज, गारंटी शुल्क इत्यादि के लिए एचओसीएल की देनदारियां रसायनीइकाई की शेष भारमुक्त भूमि और अन्य संपत्तियों की बिक्री से पूरी की जानी है।

(ख) एवं (ग): सरकार ने नामांकित पीएसयू के संयुक्त उद्यमों, अर्थात् इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल) द्वारा एफसीआईएल की रामगुंडम यूनिट; राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), द गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा तालचर यूनिट; राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयांऔर एचएफसीएल की बरौनी इकाई के माध्यम से एफसीआईएल की चार बंद उर्वरक इकाइयों और एचएफसीएल के एक बंद उर्वरक संयंत्र को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है।एफसीआईएल और एचएफसीएल द्वारा प्रदान की जा रही भूमि और बुनियादी ढांचे के बदले एफसीआईएल/एचएफसीएलकी इन संयुक्त उद्यमों में11% इक्विटी है। 5 बंद उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए तीन संयुक्त उद्यम कंपनियां अर्थात रामागुंडम इकाई के लिए रामगुंडम फर्टिलाइजर्स

एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल), तलचर यूनिट के लिए तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) और बरौनी,सिंदरी और गोरखपुर इकाइयां को पुनर्जीवित करने के लिए हिंदुस्तान उर्वकर और रसयान लिमिटेड (एचआरएल) के लिए का गठन किया गया है। सभी परियोजना साइटों पर पुनरुद्धार गतिविधियां प्रगति पर हैं। रामगुंडम में यूरिया संयंत्र केजून, 2019 तक चालू होने की संभावना है; बरौनी, सिंदरी और गोरखपुर संयंत्र2021 तक चालू होने की संभावना है और तालचर संयंत्र 2022 में चालू होनेकी संभावना है।

- रसायनऔर पेट्रोरसायनविभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एचओसीएल की पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

I. एन2 ओ4 संयंत्र को छोड़कर रसायनी इकाई के सभी संयंत्र बंद कर दिए गए हैं।
II. एन2 ओ4 संयंत्र को 20 एकड़ भूमि और संयंत्रसे जुड़े 131 कर्मचारियों के साथ इसरो कोस्थानांतरित कर दिया गया है।
III. बीएससीएल को बेचने के लिए रसायनी में 442 एकड़ भूमि में से 251 एकड़ जमीन के लिए बिक्री लेनदेन पूरा कर लिया गया है।
IV. रसायनी में बीपीसीएल को अतिरिक्त 242 एकड़ (+/- 10%) भूमि की बिक्री के लिए और खड़गार, नवी मुंबई में, नालको को1000 वर्ग मीटर भूमि के पट्टे के हस्तांतरण के लिए सरकार का अनुमोदन दे दिया गया है।
V. सभी 10 नेस्ले फ्लैट्स (मुंबई), बंद कर दिए गए संयंत्रों और उपयोगिता ब्लॉकों को सफलतापूर्वक एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलाम कर दिया गया है।
VI. रसयानी इकाई के सभी अनियमित कर्मचारी और लगभग 313 नियमित कर्मचारी वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से अलग कर दिए गए हैं। जबकि वीआरएस का चयन करने वाले 6 लोगों को पुनर्गठन योजना को लागू करने के लिए अस्थायी रूप से रोकाजा रहा है और 7 कर्मचारियों को एचओसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए स्केलेटल स्टाफ के रूप में रोकाजा रहा है, जिन23 कर्मचारियों ने वीआरएस का चयन नहीं किया, उन्हें कंपनी की कोची इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है।
VII. एचओसीएल द्वारा 250 करोड़ रुपये कीसरकारी गारंटी वाले बांडों को भुनाने से संबंधित देनदारी का भारत सरकार के ब्रिज लोन से पूरी तरह निपटान कर दिया गया है।

पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद, एचओसीएल की कोच्चि इकाई में फेनोल/एसीटोन संयंत्रों ने जुलाई, 2017 से नियमित परिचालन शुरू कर दिया और तब से येसकारात्मक योगदान के साथ नियमित रूप से परिचालन कर रहे हैं। इसने एचओसीएल को चालू वित्त वर्ष 2018-19 (सितंबर, 2018 तक) के दौरान कोच्चि इकाई परिचालन से24 करोड़ रुपये का(अनंतिम) शुद्ध लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाया है।

(घ): रसायन क्षेत्र लाइसेंस मुक्त है। रसायन क्षेत्र में 100% एफडीआई कीअनुमति है। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, मांग और आपूर्ति परिदृश्य और फीडस्टॉक/कच्चे माल की लागत आदि के आधार पर उद्यमीनिजी क्षेत्र में इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। रासायनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश में उद्योग की प्रतिस्पर्धा के लिए पूर्ण मूल्य श्रृंखला में तालमेल रखने के लिएफीडस्टॉक/बिल्डिंग ब्लॉक पर कस्टम ड्यूटी के तर्कसंगतकरण सहित सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके अलावा, रसायन क्षेत्र में विकास के लिए प्रौद्योगिकी, विचारों, नवाचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

- जब कभी आवश्यक हो उर्वरक विभाग फीडस्टॉक अर्थात् प्राकृतिक गैस/कोयला के मुद्दे से संबंधित मामले को नियमित रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सामने उठाता रहताहै।

*****

परिशिष्ट - तेईस

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 3*

जिसका उत्तर मंगलवार, 24 फरवरी, 2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों पर राजसहायता

3*. **श्रीमती रंजीत रंजन:**
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उर्वरकों पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और उर्वरक-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या गरीब और सीमान्त किसान उर्वरक राजसहायता का लाभ नहीं उठा पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों को सीधे लाभ अंतरण योजना की तर्ज पर उनके बैंक खातों के माध्यम से उर्वरक राजसहायता सीधे प्रदान करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित होंगे?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

****

उर्वरकों पर राजसहायता के संबंध में श्रीमती रंजीत रंजन और श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 24.02.2015 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 3* के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

****

(क): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उर्वरक पर दी गई राजसहायता (उत्पादन-वार) का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। राज्य-वार प्रदान की गई राजसहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राजसहायता उर्वरक कंपनियों को जारी की जाती है। तथापि, कंपनी-वार प्रदान की गई उर्वरक राजसहायता का विवरण अनुलग्नक **'क-1 से क-6'** में दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**यूरिया**	**पीएण्डके उर्वरक**
2011-12	37760.44	36809.41
2012-13	40016.00	30576.10
2013-14	41853.30	29426.86
2014-15 (जनवरी 15 तक)	49158.30	19324.15

(ख) और (ग): यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों के 22 ग्रेडों पर राजसहायता किसानों को उर्वरक कंपनियों के जरिए कम एमआरपी, जो वास्तविक लागत से काफी कम है, के रूप में पहुंचाई जाती है। जबकि यूरिया सरकार द्वारा नियत मूल्य 5360/- रुपए मी.टन (करों के अलावा) पर उपलब्ध कराया जाता है, पीएण्डके उर्वरक, राजसहायता प्राप्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड में निहित पोषक-तत्व पर आधारित राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं। उर्वरक कंपनियों को प्रत्येक उर्वरक बैग पर एमआरपी स्पष्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित है। मुद्रित एमआरपी से अधिक मूल्य पर की गई कोई बिक्री अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय है। उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत किए गए मूल्यों की युक्तिसंगतता का पता लगाने के लिए कंपनियों को अपने उर्वरक उत्पादों के लागत आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं ताकि सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि राजसहायता किसानों को पहुंचाई गई है। इस प्रकार सभी किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता देकर लाभान्वित किया जाता है।

(घ) और (ड.): वर्तमान में, उर्वरकों पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

****

अनुलग्नक- क1

वर्ष 2011-12 से 2014-15 (जनवरी, 15 तक) के दौरान स्वदेशी यूरिया, आयातित पीएण्डके उर्वरकों और स्वदेशी पीएण्डके उर्वरकों के लिए क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष			
			2011--12	2012-13	2013-14	2014-15 (जनवरी, 15 तक)
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1123.01	994.40	777.58	737.87
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	1674.05	983.19	1784.09	972.41
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1803.90	1559.29	1552.93	1545.79
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4514.99	4515.76	5754.32	6336.35
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1862.26	2570.60	2708.64	3038.26
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	178.28	170.34	189.86	242.74
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	11156.49	10793.58	12767.42	12873.42
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	11191.88	10241.25	9984.53	10842.20
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	962.53	1194.37	1604.09	2522.69
		योग- सहकारी क्षेत्र	12154.41	11435.62	11588.62	13364.89
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	2221.57	2445.49	3666.47	4441.17
10	निजी	कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	3955.72	3234.95	3099.82	2365.93
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पो.	261.03	248.26	436.94	70.53
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि.	1134.58	1119.44	1321.42	1335.31
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	7701.05	5040.71	5319.50	2957.45
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1599.00	1461.36	1870.58	1060.96
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	1791.91	1949.18	2105.98	1369.28
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	356.01	380.23	621.73	660.43
17	निजी	स्पिक	2165.14	1477.96	791.90	1615.80
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	2189.84	1806.26	2342.37	2527.51
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4.11	0.00	0.00	0.00
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	3078.69	2919.45	2782.14	2679.87
21	निजी	एमएमटीसी	0.00	1.56	0.00	0.00
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	0.00	17.63	1.40	26.15
23	निजी	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	733.77	338.91	625.38	404.71
24	निजी	इंडोगल्फ	798.27	805.12	1684.79	1501.03
25	निजी	डंकन इंडिया लिमिटेड	1.57	0.00	0.00	0.00
26	निजी	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1830.73	1583.85	1708.93	1666.00
27	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	2.55	0.00	0.00	0.00
28	निजी	फोलियाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	1.73	0.00	0.00	0.00
29	निजी	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	845.33	749.82	313.91	345.53
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	81.96	151.99	52.98	0.00
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	1.48	0.00	0.00	0.00
32	निजी	सनफर्ट	0.00	4.24	87.73	118.85
33	निजी	ट्रांस एग्रो	0.00	5.32	0.67	122.40
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	355.77	303.89	351.66	223.63
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	452.42	614.02	609.91	992.02
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	202.36	1394.63
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस	0.00	0.00	4.90	25.85
37	निजी	एसएसपी यूनिटस्	1851.63	1604.38	1548.22	912.89
		योग - निजी	33415.86	28264.02	31551.69	28817.93
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	73.58	82.88	0.00	0.00
39		भाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
40		एसवीए पर ब्याज	0.00	0.00	19.13	0.24
41		बांड पर हानि	294.49	0.00	0.00	0.00
		कुल योग	57094.83	50576.10	55926.86	55056.48

क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	2011-12			
			आया. पीएण्डके	स्व. पीएण्डके	स्व.यूरिया	कुल
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	3.33	1119.68	0.00	1123.01
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	0.00	1477.22	196.83	1674.05
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	35.16	1768.74	1803.90
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-10.94	0.00	4504.05	4514.99
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	263.56	657.66	941.04	1862.26
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	178.28	178.28
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	**272.83**	**3289.72**	**7588.94**	**11156.49**
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	2104.61	6293.53	2793.74	11191.88
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	370.78	0.00	591.75	962.53
		योग-सहकारी क्षेत्र	**2475.39**	**6293.53**	**3385.49**	**12154.41**
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	780.68	0.00	1440.89	2221.57
10	निजी	कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	535.52	3420.20	0.00	3955.72
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पो.	65.93	195.10	0.00	261.03
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	0.00	256.28	878.30	1134.58
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	7687.62	13.43	0.00	7701.05
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	813.92	0.00	785.08	1599.00
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	353.24	1438.67	0.00	1791.91
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	78.54	0.00	277.47	356.01
17	निजी	स्पिक	0.48	0.00	2164.66	2165.14
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	533.30	1013.28	643.26	2189.84
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4.11	0.00	0.00	4.11
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	1396.19	901.29	781.21	3078.69
21	निजी	एमएमटीसी	0.00	0.00	0.00	0.00
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	0.00	0.00	0.00	0.00
23	निजी	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	733.77	0.00	0.00	733.77
24	निजी	इंडोगल्फ	80.59	0.00	717.68	798.27
25	निजी	इंकन इंडिया लिमिटेड	1.57	0.00	0.00	1.57
26	निजी	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	337.86	322.85	1170.02	1830.73
27	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	2.55	0.00	0.00	2.55
28	निजी	फोलियाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	1.73	0.00	0.00	1.73
29	निजी	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	327.66	517.67	0.00	845.33
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	81.96	0.00	0.00	81.96
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	1.48	0.00	0.00	1.48
32	निजी	सनफर्ट	0.00	0.00	0.00	0.00
33	निजी	ट्रांस एग्रो	0.00	0.00	0.00	0.00
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	0.00	355.77	0.00	355.77
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	452.42	452.42
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस				
37	निजी	एसएसपी यूनिटस्	0.00	1851.63		1851.63
		योग - निजी	**13628.70**	**10285.17**	**9300.99**	**33415.86**
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	0.00	73.58	0.00	73.58
39		भाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
40		एसबीए पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
41		बांड पर हानि	0.00	294.49	0.00	294.49
		कुल योग	**16571.92**	**20237.49**	**20285.42**	**57094.83**

अनुलग्नक-क3

क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	2012-13			
			आया. पीएण्डके	स्व. पीएण्डके	स्व.यूरिया	कुल
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	91.12	903.28	0.00	994.40
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	26.68	821.87	134.64	983.19
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	15.10	116.93	1427.26	1559.29
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	4515.76	4515.76
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	624.57	772.18	1173.85	2570.60
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	170.34	170.34
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	**757.47**	**2614.26**	**7421.85**	**10793.58**
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	1998.94	5028.76	3213.55	10241.25
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	534.36	0.00	660.01	1194.37
		योग- सहकारी क्षेत्र	**2533.30**	**5028.76**	**3873.56**	**11435.62**
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	854.94	0.00	1590.55	2445.49
10	निजी	कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	486.96	2747.99	0.00	3234.95
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्प.	112.47	135.79	0.00	248.26
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि.	51.54	209.08	858.82	1119.44
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	5039.11	1.60	0.00	5040.71
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	809.74	0.00	651.62	1461.36
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	669.36	1279.82	0.00	1949.18
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	105.92	0.00	274.31	380.23
17	निजी	स्पिक	0.00	0.00	1477.96	1477.96
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	582.02	617.35	606.89	1806.26
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	1143.35	674.42	1101.68	2919.45
21	निजी	एमएमटीसी	1.56	0.00	0.00	1.56
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	17.63	0.00	0.00	17.63
23	निजी	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	338.91	0.00	0.00	338.91
24	निजी	इंडोगल्फ	156.72	0.00	648.40	805.12
25	निजी	इंकन इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00		0.00
26	निजी	भंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	480.83	222.68	880.34	1583.85
27	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
28	निजी	फोलियाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
29	निजी	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	272.72	477.10	0.00	749.82
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	151.99	0.00	0.00	151.99
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
32	निजी	सनफर्ट	4.24	0.00	0.00	4.24
33	निजी	ट्रांस एग्रो	5.32	0.00	0.00	5.32
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	0.00	303.89	0.00	303.89
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	614.02	614.02
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस				
37	निजी	एसएसपी यूनिटस्	0.00	1604.38	0.00	1604.38
		योग - निजी	**11285.33**	**8274.10**	**8704.59**	**28264.02**
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	0.00	82.88	0.00	82.88
39		भाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
40		एसबीए पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
41		बांड पर हानि	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल योग	**14576.10**	**16000.00**	**20000.00**	**50576.10**

क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	2013-14			
			आया. पीएण्डके	स्व. पीएण्डके	स्व.यूरिया	कुल
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	16.88	760.70	0.00	777.58
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	368.51	1215.25	200.33	1784.09
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	60.30	1492.63	1552.93
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	5754.32	5754.32
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	362.95	559.55	1786.14	2708.64
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	189.86	189.86
		योग- सार्वजनिक क्षेत्र	**748.34**	**2595.80**	**9423.28**	**12767.42**
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	342.40	4974.80	4667.33	9984.53
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	387.47	0.00	1216.62	1604.09
		योग- सहकारी क्षेत्र	**729.87**	**4974.80**	**5883.95**	**11588.62**
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1316.82	0.00	2349.65	3666.47
10	निजी	कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	553.26	2546.56	0.00	3099.82
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पो.	154.65	282.29	0.00	436.94
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	4.40	197.48	1119.54	1321.42
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	5319.30	0.20	0.00	5319.50
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	875.83	0.00	994.75	1870.58
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	826.80	1279.18	0.00	2105.98
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	307.54	0.00	314.19	621.73
17	निजी	स्पिक	0.00	0.00	791.90	791.90
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	591.04	813.56	937.77	2342.37
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	1086.09	432.91	1263.14	2782.14
21	निजी	एमएमटीसी	0.00	0.00	0.00	0.00
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	1.40	0.00	0.00	1.40
23	निजी	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	625.38	0.00	0.00	625.38
24	निजी	इंडोगल्फ	296.76	0.00	1388.03	1684.79
25	निजी	इंकन् इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
26	निजी	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	282.96	204.44	1221.53	1708.93
27	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
28	निजी	फोलियाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
29	निजी	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	41.01	272.90	0.00	313.91
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	52.98	0.00	0.00	52.98
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
32	निजी	सनफर्ट	87.73	0.00	0.00	87.73
33	निजी	ट्रांस एग्रो	0.67	0.00	0.00	0.67
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	0.00	351.66	0.00	351.66
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	609.91	609.91
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	202.36	202.36
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस	4.90	0.00	0.00	4.90
37	निजी	एसएसपी यूनिटस्	0.00	1548.22	0.00	1548.22
		योग – निजी	**12419.52**	**7929.40**	**11192.77**	**31551.69**
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00
39		भाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
40		एसबीए पर ब्याज	19.13	0.00	0.00	19.13
41		बांड पर हानि	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल योग	**13926.86**	**15500.00**	**26500.00**	**55926.86**

क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	2014-15 (जनवरी, 2015 तक)			
			आया. पीएण्डके	स्व. पीएण्डके	स्व.यूरिया	कुल
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	49.83	688.04	0.00	737.87
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	63.87	661.75	246.79	972.41
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	40.40	1505.39	1545.79
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	6336.35	6336.35
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	168.45	227.15	2642.66	3038.26
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	242.74	242.74
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	282.15	1617.34	10973.93	12873.42
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	473.95	3746.15	6622.10	10842.20
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	286.19	0.00	2236.50	2522.69
		योग- सहकारी क्षेत्र	760.14	3746.15	8858.60	13364.89
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1032.53		3408.64	4441.17
10	निजी	कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	233.59	2132.34	0.00	2365.93
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पो.	28.22	42.31	0.00	70.53
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि.	0.00	137.51	1197.80	1335.31
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	2957.45		0.00	2957.45
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	50.91		1010.05	1060.96
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	307.28	1062.00	0.00	1369.28
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	184.85		475.58	660.43
17	निजी	स्पिक	0.00		1615.80	1615.80
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	491.31	556.15	1480.05	2527.51
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	495.52	693.27	1491.08	2679.87
21	निजी	एमएमटीसी	0.00		0.00	0.00
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	26.15		0.00	26.15
23	निजी	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	404.71		0.00	404.71
24	निजी	इंडोगल्फ	0.10		1500.93	1501.03
25	निजी	डंकन इंडिया लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
26	निजी	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	183.74	149.04	1333.22	1666.00
27	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
28	निजी	फोलिसाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
29	निजी	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	345.53	0.00	345.53
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
32	निजी	सनफर्ट	118.85		0.00	118.85
33	निजी	ट्रांस एग्रो	122.40		0.00	122.40
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	0.00	223.63	0.00	223.63
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00		992.02	992.02
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00		1394.63	1394.63
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस	25.85		0.00	25.85
37	निजी	एसएसपी यूनिटस्	0.00	912.89	0.00	912.89
		योग - निजी	6663.46	6254.67	15899.30	28817.93
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	0.00			0.00
39		भाड़ा	0.00			0.00
40		एसबीए पर ब्याज	0.24			0.24
41		बांड पर हानि	0.00			0.00
		कुल योग	7705.99	11618.16	35732.33	55056.48

अनुलग्नक-क6

जारी की गई उर्वरक राजसहायता का विवरण

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आयातित यूरिया	स्वदेशी यूरिया	आयातित पीएण्डके	स्वदेशी पीएण्डके
2011-12	17475.00	20285.44	16571.92	20237.49
2012-13	20016.00	20000.00	14576.10	16000.00
2013-14	15353.30	26500.00	13926.86	15500.00
2014-15 (जनवरी 15 तक)	13425.97	35732.33	7705.99	11618.16

****

(Q. 3)

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष जी, मैं अपने प्रश्न के भाग 'ख' के बारे में आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहती हूं। मैंने प्रश्न किया था कि क्या गरीब और सीमान्त किसान उर्वरक राजसहायता का लाभ नहीं उठा पा रहे है? आपने यह आंकड़ा दिया है कि उर्वरक कंपनियों को प्रत्येक उर्वरक बैग पर एम.आर.पी. स्पष्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सिर्फ एम.आर.पी. लिखने से काला बाजारी नहीं रुकेगी, जो सरेआम काला बाजारी करते हैं उनको आज तक क्या दंड मिला है?

तीसरा, आपने उसमें लिखा है कि लागत आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं। सिर्फ उर्वरक उत्पादों पर लागत आंकड़े प्रस्तुत करने से काला बाजारी नहीं रुकेगी। काला बाजारी का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जितनी डिमाण्ड है, एक प्रखंड में, एक पंचायत में 500 बोरे उर्वरक की डिमाण्ड होती है लेकिन वहां 50 बोरे उर्वरक दिए जाते हैं। ...(व्यवधान)

मैं यह जानना चाहती हूं कि उर्वरक सब्सिडी का लाभ सीधे आम किसानों, गरीब और छोटे किसानों को मिले, क्या भारत सरकार ने जिलावार किसानों और किसानों की भूमि का आंकड़ा तैयार किया है, जिससे यह पता चल सके कि वास्तविक रूप में छोटे, मंझोले और बड़े किसानों के पास खेतीयुक्त कितनी जमीन है?

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो या एनपीके हो, हम पर्याप्त मात्रा में मुहैया कर रहे हैं।...(व्यवधान) हर प्रदेश के कृषि विभाग हमें डिमांड भेजते हैं। उस डिमांड के अनुसार हम सप्लाई कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। इस तरह शोर करने से क्या होगा।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : लेकिन प्रदेशों में वितरण प्रणाली का जिम्मा वहां की सरकार का है। हमने हर प्रदेश को एडवाइज़री भेजी है। यदि वहां कालाबाजारी या होर्डिंग हो रही है तो प्रदेश सरकार को छापा मारना चाहिए और भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में जो उर्वरक भेज रही है, उसे किसानों को पहुंचाने का काम करना चाहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन: मैं आपके उत्तर से बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूं। हर जगह कालाबाजारी हो रही है। किसानों को वक्त पर खाद मिलती ही नहीं है। सरेआम लूट हो रही है। एक महीने पहले मधेपुरा के कोसी में लूट हुई है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रंजीत जी, आपका प्रश्न रह जाएगा। प्लीज़, आप अपना सैकिंड सप्लीमैंट्री पूछिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान हमसे प्रश्न करते हैं कि यदि आप उर्वरक नहीं दिला सकते तो आपको एमपी किसलिए बनाया है। मेरी दूसरी सप्लीमैंट्री है कि देश की सार्वजनिक, सहकारी व निजी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियां जो विदेशों से उर्वरक आयात करती हैं, वे संगठित होकर विदेशों से कम मूल्य पर उर्वरक एवं उर्वरक उत्पादन की खरीद करती हैं, लेकिन भारत सरकार को महंगे खरीद मूल्य दिखाकर सब्सिडी प्राप्त करती हैं जिससे उर्वरक कम्पनियां अमीर व किसान गरीब होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहती हूं कि इफको में वर्ष 1998 में भारत सरकार की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत थी और सहकारी कम्पनी की 19 प्रतिशत थी। लेकिन वर्ष 2004 मार्च आते-आते इफको की सहकारी हिस्सेदारी 81 प्रतिशत हो गई और सरकार की 19 प्रतिशत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मंत्री जी, मैं एक बार फिर कहूंगी कि किसानों को सही वक्त पर खाद नहीं मिल रही है, किसान त्राहिमाम है। राजनीतिक व्यक्ति वोट पर जिन्दा रहता है, यह हम सबको मालूम है। लेकिन हम उन्हें ईमानदारी से खाद मुहैया करवाना चाहते हैं। आप किसानों के बारे में कितने चिंतित हैं, यह आपका भूमि अधिग्रहण बिल दिखा रहा है। इसलिए प्लीज़ इसे गंभीरता से लीजिए।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, किसान को जो खाद चाहिए, यदि इस महीने देशभर से यूरिया की डिमांड 13 लाख मीट्रिक टन की है तो भारत सरकार 23 लाख मीट्रिक टन यूरिया हर प्रदेश को भेज चुकी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकार्ड है, आप अपने प्रदेश में जांच कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैं आपके सामने पूरा दस्तावेज रख सकता हूं, हरेक सांसद को भेज सकता हूं।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, रबी की फसल बोने में आधा यूरिया भी प्रदान नहीं किया गया।...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : यदि आप लोग भूमि अधिग्रहण के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अलग समय में पूछिए। ...(व्यवधान) लेकिन नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। यदि कालाबाजारी हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है। वहां यूरिया, खाद का डायवर्शन होता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आरोप-प्रत्यारोप मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: अध्यक्ष महोदया, यूरिया, पीओके उर्वरक संबंधी सब्सिडी की व्यवस्था के बारे में मंत्री जी ने अभी बताया है।..(व्यवधान) सरकार द्वारा यूरिया, पीओके उर्वरक संबंधी सब्सिडी की व्यवस्था का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, इससे यही जाहिर होता है कि छोटे किसान हों या बड़े किसान हों, सबको राज्य सहायता की व्यवस्था एक ही तरह दी जाती है। आज इस देश में छोटे किसान काफी मुसीबत में हैं। यह सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी वही हालत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छोटे किसानों को उर्वरकों पर जो सब्सिडी मिलना चाहिए, क्या सरकार उनके डायरेक्ट खाते में सब्सिडी देने की व्यवस्था के बारे में सोच रही है?

श्री अनन्तकुमार : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार छोटे किसानों और सभी किसानों को इसका फायदा मिले। चोरी, स्मगलिंग और डायवर्सन न हो, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एलपीजी में किया, किरोसीन में किया, वैसे ही फर्टिलाइजर में भी देना चाहिए, यूरिया और खाद में भी देना चाहिए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है हम इस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। यह देश के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के बारे में बताया कि वह सरकार के पास विचाराधीन है और सरकार उस पर जल्द निर्णय लेगी। माननीय मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि अभी जो हम सब्सिडी देते हैं, वह राज्यवार नहीं देते हैं बल्कि कंपनियों को देते हैं। कंपनियों को एक स्पष्ट निर्देश रहता है कि उस पर एमआरपी लिखें। अगर एमआरपी के बावजूद उसकी ब्लैकमार्केटिंग होती है तो उसके खिलाफ इसेंनश्यिल कॉमोडिटी एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों जिस तरह से खाद की ब्लैक मार्केटिंग हुई है या मांग के सापेक्ष आपूर्ति नहीं हुई, इस तरह के कितने केसेज आपके पास राज्यवार आए हैं, जिन पर इसेनश्यिल कॉमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। क्या भविष्य में मांग के अनुरूप संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी राजसहायता कंपनियों को देते हैं। ...(व्यवधान) इस पर कितनी कार्रवाई हुई है, कृपया बताएं।

श्री अनन्तकुमार : महोदया, जो डीएपी है, एमओपी है और इसी तरह के 22 ग्रेड के उर्वरक हैं। उसकी देश में कमी नहीं है। यूरिया की भी कमी नहीं है, लेकिन यूरिया के एमआरपी को हमने बंद करके रखा है, कैप करके रखा है, यह 5,360 रुपये प्रति टन बिकती है। लेकिन पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और

नेपाल में 22,000 हजार रुपये प्रति टन बिकती है। इसलिए नेपाल और बांग्लादेश को वह स्मगल भी होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचाना हमारा काम है। एक रेक को लोड करने के लिए 9 घंटे और अनलोड करने के लिए 9 घंटे चाहिए, किंतु उत्तर प्रदेश और बिहार 60-60 घंटे लेते हैं। इसलिए हमने उनको एडवाइजरी भेजी है कि वे भी बाकी प्रदेशों की तरह लोडिंग और अनलोडिंग करें।। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन्होंने जो भी ब्योरा मांगा है और बाकी चीजों के बारे में भी पूछा है वह उपलब्ध करा देंगे।

SHRIMATI SUPRIYA SULE : The hon. Minister has said that already a lot of urea and other subsidized fertilizers are available. Unfortunately, we can see the sense of the House that that is not the reality. It is too little, too late. He has given us urea after the Rabi crop. The Senior Minister in his reply has said that there is no clarity about the amount of requirement and how much the Government is fulfilling the requirement. That has not been given in the reply. The hon. Minister may kindly clarify.

There have also been reports in the various newspapers that the import orders this year - as we are all aware that fertilizers are imported extensively in our country - were delayed. Hence, delay in the distribution. Is that a fact? I would like the hon. Minister to clarify this on the floor of the House.

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, this year, monsoon itself was delayed. Both for Kharif and Rabi crops, the required amount of urea and all other fertilizers were supplied adequately. I also want to assure this House that there will be no dearth of urea and NPK fertilizers. If the country required 31 MT of urea, we have made available 31 MT of urea. If 30 MT of DAP, MOP and other fertilizers are required, there is a glut in the market. Therefore, I don't understand the anxiety. Maharashtra or any other State, they have got adequate amount of fertilizers.

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे नोटिस दे दीजिए, मैं उस पर चर्चा करा दूंगी। हर बात पर ऐसा नहीं होता।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आज का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, you give me in writing whatever you want. I would send it to the Minister. Not like this. But not in this way.

... (*Interruptions*)

परिशिष्ट - चौंतीस

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 3*

जिसका उत्तर मंगलवार, 24 फरवरी, 2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों पर राजसहायता

3*. **श्रीमती रंजीत रंजन:**
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उर्वरकों पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और उर्वरक-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या गरीब और सीमान्त किसान उर्वरक राजसहायता का लाभ नहीं उठा पाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों को सीधे लाभ अंतरण योजना की तर्ज पर उनके बैंक खातों के माध्यम से उर्वरक राजसहायता सीधे प्रदान करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित होंगे?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

****

उर्वरकों पर राजसहायता के संबंध में श्रीमती रंजीत रंजन और श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 24.02.2015 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 3* के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

****

(क): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उर्वरक पर दी गई राजसहायता (उत्पादन-वार) का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। राज्य-वार प्रदान की गई राजसहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राजसहायता उर्वरक कंपनियों को जारी की जाती है। तथापि, कंपनी-वार प्रदान की गई उर्वरक राजसहायता का विवरण अनुलग्नक **'क-1 से क-6'** में दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**यूरिया**	**पीएण्डके उर्वरक**
2011-12	37760.44	36809.41
2012-13	40016.00	30576.10
2013-14	41853.30	29426.86
2014-15 (जनवरी 15 तक)	49158.30	19324.15

(ख) और (ग): यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों के 22 ग्रेडों पर राजसहायता किसानों को उर्वरक कंपनियों के जरिए कम एमआरपी, जो वास्तविक लागत से काफी कम है, के रूप में पहुंचाई जाती है। जबकि यूरिया सरकार द्वारा नियत मूल्य 5360/- रुपए मी.टन (करों के अलावा) पर उपलब्ध कराया जाता है, पीएण्डके उर्वरक, राजसहायता प्राप्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड में निहित पोषक-तत्व पर आधारित राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं। उर्वरक कंपनियों को प्रत्येक उर्वरक बैग पर एमआरपी स्पष्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित है। मुद्रित एमआरपी से अधिक मूल्य पर की गई कोई बिक्री अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय है। उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत किए गए मूल्यों की युक्तिसंगतता का पता लगाने के लिए कंपनियों को अपने उर्वरक उत्पादों के लागत आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं ताकि सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि राजसहायता किसानों को पहुंचाई गई है। इस प्रकार सभी किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता देकर लाभान्वित किया जाता है।

(घ) और (ड.): वर्तमान में, उर्वरकों पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

****

क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी रानसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	2011-12			
			आया. पीएण्डके	स्व. पीएण्डके	स्व.यूरिया	कुल
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	3.33	1119.68	0.00	1123.01
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	0.00	1477.22	196.83	1674.05
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	35.16	1768.74	1803.90
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	10.94	0.00	4504.05	4514.99
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	263.56	657.66	941.04	1862.26
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	178.28	178.28
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	**277.83**	**3289.72**	**7588.94**	**11156.49**
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	2104.61	6293.53	2793.74	11191.88
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	370.78	0.00	591.75	962.53
		योग- सहकारी क्षेत्र	**2475.39**	**6293.53**	**3385.49**	**12154.41**
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	780.68	0.00	1440.89	2221.57
10	निजी	कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	535.52	3420.20	0.00	3955.72
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पो.	65.93	195.10	0.00	261.03
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि.	0.00	256.28	878.30	1134.58
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	7687.62	13.43	0.00	7701.05
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	813.92	0.00	785.08	1599.00
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	353.24	1438.67	0.00	1791.91
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	78.54	0.00	277.47	356.01
17	निजी	स्पिक	0.48	0.00	2164.66	2165.14
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	533.30	1013.28	643.26	2189.84
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4.11	0.00	0.00	4.11
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	1396.19	901.29	781.21	3078.69
21	निजी	एमएमटीसी	0.00	0.00	0.00	0.00
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	0.00	0.00	0.00	0.00
23	निजी	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	733.77	0.00	0.00	733.77
24	निजी	इंडोगल्फ	80.59	0.00	717.68	798.27
25	निजी	डेकन इंडिया लिमिटेड	1.57	0.00	0.00	1.57
26	निजी	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	337.86	322.85	1170.02	1830.73
27	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	2.55	0.00	0.00	2.55
28	निजी	फोलियाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	1.73	0.00	0.00	1.73
29	निजी	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	327.66	517.67	0.00	845.33
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	81.96	0.00	0.00	81.96
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	1.48	0.00	0.00	1.48
32	निजी	सनफर्ट	0.00	0.00	0.00	0.00
33	निजी	ट्रांस एग्रो	0.00	0.00	0.00	0.00
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	0.00	355.77	0.00	355.77
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	452.42	452.42
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस				
37	निजी	एसएसपी यूनिटस्	0.00	1851.63		1851.63
		योग - निजी	**13818.70**	**10286.17**	**9310.99**	**33415.86**
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	0.00	73.58	0.00	73.58
39		भाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
40		एसबीए पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
41		बांड पर हानि	0.00	294.49	0.00	294.49
		कुल योग	**16571.92**	**20237.49**	**20285.42**	**57094.83**

वर्ष 2011-12 से 2014-15 (जनवरी, 15 तक) के दौरान स्वदेशी यूरिया, आयातित पीएण्डके उर्वरकों और स्वदेशी पीएण्डके उर्वरकों के लिए क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष			
			2011--12	2012-13	2013-14	2014-15 (जनवरी, 15 तक)
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1123.01	994.40	777.58	737.87
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	1674.05	983.19	1784.09	972.41
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1803.90	1559.29	1552.93	1545.79
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4514.99	4515.76	5754.32	6336.35
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1862.26	2570.60	2708.64	3038.26
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	178.28	170.34	189.86	242.74
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	**11156.49**	**10793.58**	**12767.42**	**12873.42**
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	11191.88	10241.25	9984.53	10842.20
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	962.53	1194.37	1604.09	2522.69
		योग- सहकारी क्षेत्र	**12154.41**	**11435.62**	**11588.62**	**13364.89**
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	2221.57	2445.49	3666.47	4441.17
10	निजी	कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	3955.72	3234.95	3099.82	2365.93
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पो.	261.03	243.26	436.94	70.53
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि.	1134.58	1119.44	1321.42	1335.31
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	7701.05	5040.71	5319.50	2957.45
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1599.00	1461.36	1870.58	1060.96
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	1791.91	1949.18	2105.98	1369.28
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	356.01	380.23	621.73	560.43
17	निजी	स्पिक	2165.14	1477.96	791.90	1615.80
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	2189.84	1806.26	2342.37	2527.51
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4.11	0.00	0.00	0.00
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	3078.69	2919.45	2782.14	2679.87
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	1.56	0.00	0.00
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	0.00	17.63	1.40	26.15
23	निजी	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	733.77	338.91	625.38	404.71
24	निजी	इंडोगल्फ	798.27	805.12	1684.79	1501.03
25	निजी	डंकन इंडिया लिमिटेड	1.57	0.00	0.00	0.00
26	निजी	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1830.73	1583.85	1708.93	1666.00
[illegible]	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	2.55	0.00	0.00	0.00
28	निजी	फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	1.73	0.00	0.00	0.00
29	निजी	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	845.33	749.82	313.91	345.53
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	81.96	151.99	52.98	0.00
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	1.48	0.00	0.00	0.00
32	निजी	सनफर्ट	0.00	4.24	87.73	118.85
33	निजी	ट्रांस एग्रो	0.00	5.32	0.67	122.40
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	355.77	303.89	351.66	223.63
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	452.42	614.02	609.91	992.02
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	202.36	1394.63
	निजी	एग्रोगोल्ड आर्गेनिक्स	0.00	0.00	4.90	25.85
37	निजी	एसएसपी यूनिट्स	1851.63	1604.38	1548.22	912.89
		योग - निजी	**33415.86**	**28264.02**	**31551.69**	**28817.93**
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	73.58	82.88	0.00	0.00
39		भाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
40		एसबीए पर ब्याज	0.00	0.00	19.13	0.24
41		बांड पर हानि	294.49	0.00	0.00	0.00
		कुल योग	**57094.83**	**50576.10**	**55926.86**	**55056.48**

अनुलग्नक-क3

क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	2012-13			
			आया. पीएण्डके	स्व. पीएण्डके	स्व.यूरिया	कुल
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	91.12	903.28	0.00	994.40
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	26.68	821.87	134.64	983.19
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	15.10	116.93	1427.26	1559.29
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	4515.76	4515.76
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	524.57	772.18	1173.85	2570.60
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	170.34	170.34
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	757.47	2614.26	7421.85	10793.58
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	1998.94	5028.76	3213.55	10241.25
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	534.36	0.00	660.01	1194.37
		योग- सहकारी क्षेत्र	2533.30	5028.76	3873.56	11435.62
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	854.94	0.00	1590.55	2445.49
10	निजी	कोरामण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	486.96	2747.99	0.00	3234.95
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्प.	112.47	135.79	0.00	248.26
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि.	51.54	209.08	858.82	1119.44
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	5039.11	1.60	0.00	5040.71
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	809.74	0.00	651.62	1461.36
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	669.36	1279.82	0.00	1949.18
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	105.92	0.00	274.31	380.23
17	निजी	स्पिक	0.00	0.00	1477.96	1477.96
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	582.02	617.35	606.89	1806.26
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	1143.35	674.42	1101.68	2919.45
21	निजी	एमएमटीसी	1.56	0.00	0.00	1.56
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	17.63	0.00	0.00	17.63
23	निजी	नोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	338.91	0.00	0.00	338.91
24	निजी	इफ्कोगल्फ	156.72	0.00	648.40	805.12
25	निजी	हकल इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00		0.00
26	निजी	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	480.83	222.68	880.34	1583.85
27	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
28	निजी	फोलियाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
29	निजी	गीलस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	272.72	477.10	0.00	749.82
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	151.99	0.00	0.00	151.99
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
32	निजी	सनफर्ट	4.24	0.00	0.00	4.24
33	निजी	ट्रांस एग्रो	5.32	0.00	0.00	5.32
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	0.00	303.89	0.00	303.89
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	614.02	614.02
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस				
37	निजी	एसएसपी यूनिटस्	0.00	1604.38	0.00	1604.38
		योग - निजी	11285.33	8274.10	8704.59	28264.02
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	0.00	82.88	0.00	82.88
39		भाडा	0.00	0.00	0.00	0.00
40		एसबीए पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
41		बांड पर हानि	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल योग	14576.10	16000.00	20000.00	50576.10

क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	2013-14			
			आया. पीएण्डके	स्व. पीएण्डके	स्व.यूरिया	कुल
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड.	16.88	760.70	0.00	777.58
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	368.51	1215.25	200.33	1784.09
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	60.30	1492.63	1552.93
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	5754.32	5754.32
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	362.95	559.55	1786.14	2708.64
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	189.86	189.86
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	**748.34**	**2595.80**	**9423.28**	**12767.42**
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	342.40	4974.80	4667.33	9984.53
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	387.47	0.00	1216.62	1604.09
		योग- सहकारी क्षेत्र	**729.87**	**4974.80**	**5883.95**	**11588.62**
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1316.82	0.00	2349.65	3666.47
10	निजी	कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	553.26	2546.56	0.00	3099.82
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पो.	154.65	282.29	0.00	436.94
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	4.40	197.48	1119.54	1321.42
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	5319.30	0.20	0.00	5319.50
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	875.83	0.00	994.75	1870.58
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	826.80	1279.18	0.00	2105.98
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	307.54	0.00	314.19	621.73
17	निजी	स्पिक	0.00	0.00	791.90	791.90
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	591.04	813.56	937.77	2342.37
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	1086.09	432.91	1263.14	2782.14
21	निजी	एमएमटीसी	0.00	0.00	0.00	0.00
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	1.40	0.00	0.00	1.40
23	निजी	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	625.38	0.00	0.00	625.38
24	निजी	इंडोगल्फ	296.76	0.00	1388.03	1684.79
25	निजी	डंकन इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
26	निजी	मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	282.96	204.44	1221.53	1708.93
27	निजी	रैलिस इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
28	निजी	फोलियाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
29	निजी	ब्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	41.01	272.90	0.00	313.91
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	52.98	0.00	0.00	52.98
31	निजी	टांपीयर प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00
32	निजी	सनफर्ट	87.73	0.00	0.00	87.73
33	निजी	ट्रांस एग्रो	0.67	0.00	0.00	0.67
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	0.00	351.66	0.00	351.66
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	609.91	609.91
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	202.36	202.36
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस	4.90	0.00	0.00	4.90
37	निजी	एसएसपी यूनिटस्	0.00	1548.22	0.00	1548.22
		योग - निजी	**12429.52**	**7929.40**	**11192.77**	**31551.69**
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00
39		भाडा	0.00	0.00	0.00	0.00
40		एसबीए पर ब्याज	**19.13**	0.00	0.00	19.13
41		बांड पर हानि	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल योग	**13926.86**	**15500.00**	**26500.00**	**55926.86**

अनुलग्नक-क5

क्षेत्र-वार/कंपनी-वार जारी राजसहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनी का नाम	2014-15 (जनवरी, 2015 तक)			
			आया. पीएण्डके	स्व. पीएण्डके	स्व.यूरिया	कुल
1	सार्वजनिक	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	49.83	688.04	0.00	737.87
2	सार्वजनिक	जीएसएफसी	63.87	661.75	246.79	972.41
3	सार्वजनिक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	40.40	1505.39	1545.79
4	सार्वजनिक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	6336.35	6336.35
5	सार्वजनिक	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	168.45	227.15	2642.66	3038.26
6	सार्वजनिक	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	242.74	242.74
		योग-सार्वजनिक क्षेत्र	282.15	1617.34	10973.93	12873.42
7	सहकारी	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड	473.95	3746.15	6622.10	10842.20
8	सहकारी	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेट	286.19	0.00	2236.50	2522.69
		योग- सहकारी क्षेत्र	760.14	3746.15	8858.60	13364.89
9	निजी	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1032.53		3408.64	4441.17
10	निजी	कोरामण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड	233.59	2132.34	0.00	2365.93
11	निजी	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पो.	28.22	42.31	0.00	70.53
12	निजी	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स क. लि.	0.00	137.51	1197.80	1335.31
13	निजी	इंडियन पोटाश लिमिटेड	2957.45		0.00	2957.45
14	निजी	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	50.91		1010.05	1060.96
15	निजी	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	307.28	1062.00	0.00	1369.28
16	निजी	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	184.85		475.58	660.43
17	निजी	स्पिक	0.00		1615.80	1615.80
18	निजी	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	491.31	556.15	1480.05	2527.51
19	निजी	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
20	निजी	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि.	495.52	693.27	1491.08	2679.87
21	निजी	एमएमटीसी	0.00		0.00	0.00
22	निजी	एचपीएम फर्टिलाइजर्स	26.15		0.00	26.15
23	निजी	माजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	404.71		0.00	404.71
24	निजी	इंडोगल्फ	0.10		1500.93	1501.03
25	निजी	डकल इंडिया लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
26	निजी	भगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	183.74	149.04	1333.22	1666.00
27	निजी	रेलिस इंडिया लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
28	निजी	कोलियाज कॉरपोरेशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
29	निजी	चीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	345.53	0.00	345.53
30	निजी	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
31	निजी	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	0.00		0.00	0.00
32	निजी	सनफर्ट	118.85		0.00	118.85
33	निजी	ट्रांस एग्रो	122.40		0.00	122.40
34	निजी	हिंडाल्को इंड लि.	0.00	223.63	0.00	223.63
35	निजी	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00		992.02	992.02
36	निजी	कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड	0.00		1394.63	1394.63
	निजी	एग्रीगोल्ड आर्गेसिस	25.85		0.00	25.85
37	निजी	एसएसपी यूनिटस	0.00	912.89	0.00	912.89
		योग - निजी	6663.46	6254.67	15899.80	28817.93
38		अक्तूबर 2000 से पूर्व	0.00			0.00
39		भाड़ा	0.00			0.00
40		एसबीए पर ब्याज	0.24			0.24
41		बांड पर हानि	0.00			0.00
		कुल योग	7705.99	11618.16	35732.33	55056.48

अनुलग्नक-क6

जारी की गई उर्वरक राजसहायता का विवरण

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आयातित यूरिया	स्वदेशी यूरिया	आयातित पीएण्डके	स्वदेशी पीएण्डके
2011-12	17475.00	20285.44	16571.92	20237.49
2012-13	20016.00	20000.00	14576.10	16000.00
2013-14	15353.30	26500.00	13926.86	15500.00
2014-15 (जनवरी 15 तक)	13425.97	35732.33	7705.99	11618.16

****

(Q. 3)

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष जी, मैं अपने प्रश्न के भाग 'ख' के बारे में आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहती हूं। मैंने प्रश्न किया था कि क्या गरीब और सीमान्त किसान उर्वरक राजसहायता का लाभ नहीं उठा पा रहे है? आपने यह आंकड़ा दिया है कि उर्वरक कंपनियों को प्रत्येक उर्वरक बैग पर एम.आर.पी. स्पष्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सिर्फ एम.आर.पी. लिखने से काला बाजारी नहीं रुकेगी, जो सरेआम काला बाजारी करते हैं उनको आज तक क्या दंड मिला है?

तीसरा, आपने उसमें लिखा है कि लागत आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं। सिर्फ उर्वरक उत्पादों पर लागत आंकड़े प्रस्तुत करने से काला बाजारी नहीं रुकेगी। काला बाजारी का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जितनी डिमाण्ड है, एक प्रखंड में, एक पंचायत में 500 बोरे उर्वरक की डिमाण्ड होती है लेकिन वहां 50 बोरे उर्वरक दिए जाते हैं। ...(व्यवधान)

मैं यह जानना चाहती हूं कि उर्वरक सब्सिडी का लाभ सीधे आम किसानों, गरीब और छोटे किसानों को मिले, क्या भारत सरकार ने जिलावार किसानों और किसानों की भूमि का आंकड़ा तैयार किया है, जिससे यह पता चल सके कि वास्तविक रूप में छोटे, मंझोले और बड़े किसानों के पास खेतीयुक्त कितनी जमीन हैं?

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो या एनपीके हो, हम पर्याप्त मात्रा में मुहैया कर रहे हैं।...(व्यवधान) हर प्रदेश के कृषि विभाग हमें डिमांड भेजते हैं। उस डिमांड के अनुसार हम सप्लाई कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। इस तरह शोर करने से क्या होगा।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : लेकिन प्रदेशों में वितरण प्रणाली का जिम्मा वहां की सरकार का है। हमने हर प्रदेश को एडवाइज़री भेजी है। यदि वहां कालाबाजारी या होर्डिंग हो रही है तो प्रदेश सरकार को छापा मारना चाहिए और भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में जो उर्वरक भेज रही है, उसे किसानों को पहुंचाने का काम करना चाहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन: मैं आपके उत्तर से बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूं। हर जगह कालाबाजारी हो रही है। किसानों को वक्त पर खाद मिलती ही नहीं है। सरेआम लूट हो रही है। एक महीने पहले मधेपुरा के कोसी में लूट हुई है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रंजीत जी, आपका प्रश्न रह जाएगा। प्लीज़, आप अपना सैकिंड सप्लीमैंट्री पूछिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान हमसे प्रश्न करते हैं कि यदि आप उर्वरक नहीं दिला सकते तो आपको एमपी किसलिए बनाया है। मेरी दूसरी सप्लीमैंट्री है कि देश की सार्वजनिक, सहकारी व निजी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियां जो विदेशों से उर्वरक आयात करती हैं, वे संगठित होकर विदेशों से कम मूल्य पर उर्वरक एवं उर्वरक उत्पादन की खरीद करती हैं, लेकिन भारत सरकार को महंगे खरीद मूल्य दिखाकर सब्सिडी प्राप्त करती हैं जिससे उर्वरक कम्पनियां अमीर व किसान गरीब होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहती हूं कि इफको में वर्ष 1998 में भारत सरकार की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत थी और सहकारी कम्पनी की 19 प्रतिशत थी। लेकिन वर्ष 2004 मार्च आते-आते इफको की सहकारी हिस्सेदारी 81 प्रतिशत हो गई और सरकार की 19 प्रतिशत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मंत्री जी, मैं एक बार फिर कहूंगी कि किसानों को सही वक्त पर खाद नहीं मिल रही है, किसान त्राहिमाम है। राजनीतिक व्यक्ति वोट पर जिन्दा रहता है, यह हम सबको मालूम है। लेकिन हम उन्हें ईमानदारी से खाद मुहैया करवाना चाहते हैं। आप किसानों के बारे में कितने चिंतित हैं, यह आपका भूमि अधिग्रहण बिल दिखा रहा है। इसलिए प्लीज़ इसे गंभीरता से लीजिए।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, किसान को जो खाद चाहिए, यदि इस महीने देशभर से यूरिया की डिमांड 13 लाख मीट्रिक टन की है तो भारत सरकार 23 लाख मीट्रिक टन यूरिया हर प्रदेश को भेज चुकी है।..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकार्ड है, आप अपने प्रदेश में जांच कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैं आपके सामने पूरा दस्तावेज रख सकता हूं, हरेक सांसद को भेज सकता हूं।..(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, रबी की फसल बोने में आधा यूरिया भी प्रदान नहीं किया गया।...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : यदि आप लोग भूमि अधिग्रहण के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अलग समय में पूछिए। ...(व्यवधान) लेकिन नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। यदि कालाबाजारी हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है। वहां यूरिया, खाद का डायवर्शन होता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आरोप-प्रत्यारोप मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: अध्यक्ष महोदया, यूरिया, पीओके उर्वरक संबंधी सब्सिडी की व्यवस्था के बारे में मंत्री जी ने अभी बताया है।...(व्यवधान) सरकार द्वारा यूरिया, पीओके उर्वरक संबंधी सब्सिडी की व्यवस्था का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, इससे यही जाहिर होता है कि छोटे किसान हों या बड़े किसान हों, सबको राज्य सहायता की व्यवस्था एक ही तरह दी जाती है। आज इस देश में छोटे किसान काफी मुसीबत में हैं। यह सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी वही हालत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छोटे किसानों को उर्वरकों पर जो सब्सिडी मिलना चाहिए, क्या सरकार उनके डायरेक्ट खाते में सब्सिडी देने की व्यवस्था के बारे में सोच रही है?

श्री अनन्तकुमार : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार छोटे किसानों और सभी किसानों को इसका फायदा मिले। चोरी, स्मगलिंग और डायवर्सन न हो, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एलपीजी में किया, किरोसीन में किया, वैसे ही फर्टिलाइजर में भी देना चाहिए, यूरिया और खाद में भी देना चाहिए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है हम इस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। यह देश के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के बारे में बताया कि वह सरकार के पास विचाराधीन है और सरकार उस पर जल्द निर्णय लेगी। माननीय मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि अभी जो हम सब्सिडी देते हैं, वह राज्यवार नहीं देते हैं बल्कि कंपनियों को देते हैं। कंपनियों को एक स्पष्ट निर्देश रहता है कि उस पर एमआरपी लिखें। अगर एमआरपी के बावजूद उसकी ब्लैकमार्केटिंग होती है तो उसके खिलाफ इसेंनश्यिल कॉमोडिटी एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों जिस तरह से खाद की ब्लैक मार्केटिंग हुई है या मांग के सापेक्ष आपूर्ति नहीं हुई, इस तरह के कितने केसेज आपके पास राज्यवार आए हैं, जिन पर इसेनश्यिल कॉमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। क्या भविष्य में मांग के अनुरूप संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी राजसहायता कंपनियों को देते हैं। ...(व्यवधान) इस पर कितनी कार्रवाई हुई है, कृपया बताएं।

श्री अनन्तकुमार : महोदया, जो डीएपी है, एमओपी है और इसी तरह के 22 ग्रेड के उर्वरक हैं। उसकी देश में कमी नहीं है। यूरिया की भी कमी नहीं है, लेकिन यूरिया के एमआरपी को हमने बंद करके रखा है, कैप करके रखा है, यह 5,360 रुपये प्रति टन बिकती है। लेकिन पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और

नेपाल में 22,000 हजार रुपये प्रति टन बिकती है। इसलिए नेपाल और बांग्लादेश को वह स्मगल भी होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचाना हमारा काम है। एक रेक को लोड करने के लिए 9 घंटे और अनलोड करने के लिए 9 घंटे चाहिए, किंतु उत्तर प्रदेश और बिहार 60-60 घंटे लेते हैं। इसलिए हमने उनको एडवाइजरी भेजी है कि वे भी बाकी प्रदेशों की तरह लोडिंग और अनलोडिंग करें।। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन्होंने जो भी ब्योरा मांगा है और बाकी चीजों के बारे में भी पूछा है वह उपलब्ध करा देंगे।

SHRIMATI SUPRIYA SULE : The hon. Minister has said that already a lot of urea and other subsidized fertilizers are available. Unfortunately, we can see the sense of the House that that is not the reality. It is too little, too late. He has given us urea after the Rabi crop. The Senior Minister in his reply has said that there is no clarity about the amount of requirement and how much the Government is fulfilling the requirement. That has not been given in the reply. The hon. Minister may kindly clarify.

There have also been reports in the various newspapers that the import orders this year - as we are all aware that fertilizers are imported extensively in our country - were delayed. Hence, delay in the distribution. Is that a fact? I would like the hon. Minister to clarify this on the floor of the House.

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, this year, monsoon itself was delayed. Both for Kharif and Rabi crops, the required amount of urea and all other fertilizers were supplied adequately. I also want to assure this House that there will be no dearth of urea and NPK fertilizers. If the country required 31 MT of urea, we have made available 31 MT of urea. If 30 MT of DAP, MOP and other fertilizers are required, there is a glut in the market. Therefore, I don't understand the anxiety. Maharashtra or any other State, they have got adequate amount of fertilizers.

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे नोटिस दे दीजिए, मैं उस पर चर्चा करा दूंगी। हर बात पर ऐसा नहीं होता।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आज का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, you give me in writing whatever you want. I would send it to the Minister. Not like this. But not in this way.

... (*Interruptions*)

परिशिष्ट - पच्चीस

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **415**
जिसका उत्तर मंगलवार, 05 फरवरी, 2019/16 माघ, 1940 (शक) को दिया जाना है।
अनुदान तंत्र

415. डॉ. किरीट सोमैयाः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक अनुदान तंत्र में होने वाली छोटी-छोटी चोरी को कम करने के लिए सरकार ने कुछ नए उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कंपनियों/किसानों को उर्वरक अनुदान देने हेतु वर्तमान अनुदान तंत्र क्या है;
(ग) चालू खरीफ़ मौसम हेतु यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी की आकलित आवश्यकता कितनी है और देय अनुदान की कुल राशि कितनी है;
(घ) क्या सरकार इस खरीफ़ मौसम में छोटी चोरी रोकने हेतु पूरे देश में नई उर्वरक अनुदान तंत्र को कार्यान्वित करेगी, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार किसानों को उर्वरक अनुदान का प्रत्यक्ष अंतरण करने पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(राव इन्द्रजीत सिंह)

(क) और (ख): जी हां। उर्वरक डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभग्राहियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कम्पनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता जारी की जाती है। किसानों/क्रेताओं को राजसहायता प्राप्त सभी उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा बिक्री दुकान पर स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्यम से की जाती है तथा लाभग्राहियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मतदाता पहचान पत्र आदि के जारिए की जाती है।

(ग): खरीफ मौसम 2018 अर्थात अप्रैल, 2018 से सितम्बर, 2018 तक के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके उर्वरकों की आकलित मांग **अनुलग्नक-I** में है।

(घ): उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित डीबीटी प्रणाली दिनांक 01 मार्च, 2018 से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू कर दी गई है।

(ङ.): जी, हां। इस विभाग ने नीति आयोग से लाभग्राहियों के खाते में उर्वरक राजसहायता के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए एक मॉडल का सुझाव देने का अनुरोध किया है।

****

अनुलग्नक-I

<u>खरीफ मौसम 2018 अर्थात अप्रैल 2018 से सितम्बर, 2018 तक के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके उर्वरकों की आकलित मांग निम्नतया है:</u>

(आंकड़े लाख मी.टन में)

खरीफ 2018	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके
योग	148.90	49.18	20.25	49.73

****

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका,
संसदीय कार्य मंत्रालय

अध्याय–8

आश्वासन

परिभाषा

8.1 प्रश्न का उत्तर देते समय या चर्चा के दौरान यदि मंत्री सरकार की ओर से आगे कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को फिर से सूचित करने का वचन देता है तो उसे "आश्वासन" कहा जाता है। सामान्यतः जो कथन आश्वासन मान लिए जाते हैं उनकी एक मानक सूची अनुबंध–3 में दी गई है। यह मानक सूची लोक सभा और राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (सीजीए) द्वारा अनुमोदित है। चूंकि आश्वासनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना अपेक्षित होता है इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रश्नों के उत्तरों का प्रारूप तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन कथनों का प्रयोग केवल ऐसे अवसरों पर किया जाए जबकि इन कथनों द्वारा सदन के समक्ष स्पष्टतः कोई आश्वासन देने का इरादा हो।

आश्वासन को पूरा करने की समय–सीमा

8.2 दोनों सदनों में से किसी भी सदन में दिया गया आश्वासन, आश्वासन दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है। इस समय सीमा का पूरी तरह से पालन किया जाए।

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओ.ए.एम.एस.)

8.3 आश्वासनों को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने के लिए सदन की कार्यवाहियों से आश्वासनों को छांटने से लेकर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक तथा समय सीमा बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक "ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम" (ओ.ए.एम.एस.) नामक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए स्वचालित बना दिया गया है। किसी अन्य ऑफलाइन तरीके से समय सीमा को बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने के लिए किए गए निवेदन या कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रस्तुति को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आश्वासनों को छांटना

8.4 जब कोई आश्वासन किसी मंत्री ने दिया हो अथवा पीठासीन अधिकारी ने सदन को कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए सरकार को निर्देश दिया हो तो संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित कार्यवाही से आश्वासनों को छांट लेता है और जिस तारीख को सदन के समक्ष वह आश्वासन दिया गया हो, उससे सामान्यतः 20 दिन के भीतर ओ.ए.एम. एस के जरिए संबंधित विभाग को ऑनलाइन सूचित कर देता है।

आश्वासनों की सूची से निकाल देना

8.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को ऐसे किसी वक्तव्य को आश्वासन मानने में आपत्ति हो या वह महसूस करे कि सार्वजनिक हित में आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा सकती हो, तो वह इस प्रकार के वक्तव्य को आश्वासन माने जाने के एक सप्ताह के भीतर ही इसको आश्वासनों की सूची से हटा देने का अपना निवेदन 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड कर सकता है। ऐसे निवेदनों को उनके मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और उक्त निवेदन वाले उनके पत्र में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा निवेदन 3 मास की निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के करीब किया जाता है तो, उक्त निवेदन में समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन भी अवश्य ही साथ में होना चाहिए। जब तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का कोई निर्णय ओ.ए.एम.एस. के माध्यम से उन्हें प्राप्त न हो जाए, तब तक विभाग को समय–सीमा बढ़वाने का निवेदन करते रहना चाहिए। ऑफलाइन तरीके से प्राप्त निवेदनों पर राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय या संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

आश्वासनों को पूरा करने की समय–सीमा बढ़ाना

8.6 यदि विभाग यह अनुभव करे कि आश्वासन तीन महीने की निर्धारित अवधि अथवा पहले ही बढ़ाई जा चुकी अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो वह समय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होते ही समय बढ़वाने के लिए लिए निवेदन करेगा जिसमें देरी के कारण, संभावित अतिरिक्त समय तथा इस मामले में की गई कार्रवाई तथा प्रगति का उल्लेख किया जाएगा। इस आशय के सभी निवेदन संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेकर सीजीए के निर्णय के लिए 'ओ.ए.एम.एस' पर किए जाने चाहिए।

आश्वासनों का रजिस्टर

8.7.1 प्रत्येक आश्वासन के ब्यौरे, संबंधित मंत्रालय/विभाग के संसद एकक द्वारा अनुबंध–4 में दिए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और इसके पश्चात् आश्वासन संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाएगा

8.7.2 इस प्रकार के आश्वासनों को पूरा करने की कार्रवाई प्रत्येक अनुभाग द्वारा शीघ्रता से यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्रालय से 'ओ. ए.एम.एस' द्वारा पत्रादि प्राप्त होने से पूर्व ही कर ली जानी चाहिए और आश्वासनों की पूर्ति पर अनुबंध–5 में दिए गए रजिस्टर के माध्यम से निगरानी रखी जानी चाहिए।

8.7.3 लोक सभा और राज्य सभा के आश्वासनों के लिए पैरा 8.7.1 तथा पैरा 8.7.2 में उल्लेख किए गए अनुसार अलग–अलग रजिस्टर बनाए जाएंगें और उनमें सत्रवार प्रविष्टियां की जाएंगी।

अनुभाग अधिकारी और शाखा अधिकारी की भूमिका

संबंधित अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारी:–

(क) रजिस्टरों की सप्ताह में एक बार छानबीन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए;

(ग) यदि संबंधित सदन का सत्र चल रहा हो, तो पखवाड़े में एक बार अन्यथा महीने में एक बार इन रजिस्टरों को शाखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसका ध्यान ऐसे आश्वासनों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करेगा जिनके तीन महीने के भीतर पूरे होने की संभावना नहीं है; और

(घ) लंबित आश्वासनों की समय–समय पर उच्चतम स्तर पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि आश्वासनों का जल्द से जल्द कार्यान्वयन किया जा सके।

8.8 इसी प्रकार शाखा अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों और मंत्री को आश्वासनों के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति के बारे में लगातार अवगत कराएगा और विलंब के कारणों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करेगा ।

आश्वासन को पूरा करने की प्रक्रिया

8.9.1 आश्वासन को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यदि सूचना का केवल कुछ अंश ही उपलब्ध हो और शेष सूचना को एकत्र करने में काफी समय लग सकता हो, तो एक कार्यान्वयन रिपोर्ट (आई आर) निर्धारित समय के भीतर आश्वासन के आंशिक कार्यान्वयन के तौर पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर अपलोड कर दी जानी चाहिए। लेकिन आश्वासन को शीघ्र पूरा करने के लिए शेष सूचना को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए।

8.9.2 किसी आश्वासन को पूरा करने के संबंध में भेजी जाने वाली आंशिक या पूर्ण सूचना के अनुबंध–6 में उल्लिखित निर्धारित फार्म में हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए गए पाठ और अनुलग्नकों को संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ही 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड करवाया जाना चाहिए। आश्वासन को यथास्थिति आंशिक या पूर्णरूप से पूरा करने संबंधी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उसके अंग्रेजी और हिन्दी पाठ में से प्रत्येक की 4–4 हार्ड प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए, जिनमें से एक हिन्दी प्रति और एक अंग्रेजी प्रति संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होनी चाहिए। संबंधित सदन द्वारा ई–रिपोर्ट स्वीकार किए जाने तक इन प्रतियों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

8.9.3 कार्यान्वयन रिपोर्ट को केवल 'ओ.ए.एम.एस' पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी अन्य तरीके से भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट अथवा राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को सीधे भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना

8.10 कार्यान्वयन रिपोर्ट की छानबीन करने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्रालय उसे संबंधित सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था करेगा। यह मंत्रालय सदन के पटल पर रखी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सदस्य (सदस्यों)को भेजेगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा दी कार्यान्वयन रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने का ब्यौरा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग का संसद एकक तथा संबंधित अनुभाग 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध विवरण के आधार पर अपने–अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

सदन के पटल पर किसी विषय से संबंधित दस्तावेज रखने का दायित्व बनाम उसी विषय पर दिया गया आश्वासन

8.11 जिन मामलों में दस्तावेज (नियम/आदेश/अधिसूचना आदि) सदन के पटल पर रखा जाना बाध्यकारी हो और जिसके लिए आश्वासन भी दे दिया गया हो, तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए पहले दस्तावेज को सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसका दिए गए आश्वासन से कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद आश्वासन को पूरा किए जाने के संबंध में एक औपचारिक रिपोर्ट, सभा पटल पर दस्तावेज रखे जाने की तारीख का उल्लेख करते हुए, 'ओ.ए.एम.एस' पर (अनुबंध–6 में) निर्धारित फार्म में पैरा 8.9.2 में पहले ही बताए अनुसार अपलोड कर दी जाएगी।

8.12 संसद के प्रत्येक सदन में सरकारी आश्वासनों की एक समिति होती है जिसे सभापति/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। यह समिति कार्यान्वयन रिपोर्टों और सरकारी आश्वासनों की पूर्ति में लगे समय की छानबीन करती है और उनके संबंध में हुई देरी के कारणों और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर, यदि कोई हो, ध्यान आकर्षित करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर जारी किए गए अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए ।

सरकारी आश्वासनों पर समितियां

राज्य सभा नियम 211(क)

लोक सभा नियम 323, 324 और

8.13 मंत्रालय/विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करके जहां कहीं आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इन दोनों समितियों की रिपोर्टों की छानबीन करेंगे ।

सरकारी आश्वासनों पर समितियों की रिपोर्ट

8.14 लोक सभा भंग होने पर कार्यान्वयन के लिए लंबित आश्वासन रद्द नहीं होते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी एक नई समिति सभी आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं या वचनों की छानबीन करके उनमें से ऐसे आश्वासनों का चयन करती है जो अत्यधिक लोक महत्व के होते हैं। उसके बाद समिति लोक सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसमें समिति द्वारा उन आश्वासनों के संबंध में विशेष रूप से सिफारिश की जाती है जिन्हें सरकार द्वारा छोड़ा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है।

लोक सभा भंग होने का आश्वासनों पर प्रभाव

परिशिष्ट- सत्ताईस

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दूसरी बैठक

(15.11.2021)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1610 बजे तक समिति कक्ष "सी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव

साक्षी

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग)

1. श्री राजेश के. चतुर्वेदी, सचिव
2. श्रीमती अपर्णा एस शर्मा, संयुक्त सचिव
3. श्री निरंजन लाल, निदेशक
4. श्री अनिल फुलवारी, निदेशक
5. श्री पदम सिंह पाटिल, निदेशक
6. श्री जतिन चोपड़ा, संयुक्त निदेशक

7. श्री जोहान टोपनो, उप सचिव
8. श्री रंजीत कुमार, अवर सचिव

<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

1. श्री पी.के. हलदर - अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक लंबित आश्वासनों के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई है।

2. तत्पश्चात, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। समिति की बैठक में साक्षियों का स्वागत करते हुए, सभापति ने उनसे कहा कि समिति में हुई चर्चा का उल्लेख किसी भी बाहरी व्यक्ति से न करे। तत्पश्चात, समिति ने लंबित आश्वासनों के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति यह जानकर क्षुब्ध थी कि उर्वरक विभाग में बड़ी संख्या में आश्वासन, जो मौखिक साक्ष्य की तिथि के अनुसार 46 थे, लंबित है। सभापति ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के सचिव को विभाग के लंबित आश्वासनों के बारे में जानकारी देने को कहा और साथ ही यह पूछा कि मंत्रालय में लंबित आश्वासनों की निगरानी और समीक्षा करने हेतु कौन सा आंतरिक तंत्र विद्यमान है।

3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के सचिव ने तदनुसार समिति को उपरोक्त मुद्दों पर संक्षिप्त जानकारी दी। सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से लंबित आश्वासनों की निगरानी हेतु आयोजित अपनी समीक्षा बैठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने को कहा।

4. तत्पश्चात, सभापति और सदस्यों ने उस दिन उठाए गए 25 लंबित आश्वासनों (अनुबंध) के संबंध में कई प्रश्न पूछे और कुछ स्पष्टीकरण मांगे। साक्षियों ने प्रश्नों का उत्तर दिया और स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया। चूंकि, कुछ प्रश्नों के संबंध में विस्तृत उत्तर अपेक्षित था और कई स्थानों से जानकारी एकत्र की जानी थी, अतः सभापति ने साक्षियों से उनके संबंध में नियत अवधि में लिखित उत्तर भेजने को कहा।

5. तत्पश्चात साक्ष्य पूरा हुआ।

6. सभापति ने समिति के समक्ष साक्ष्य देने और उठाए गए प्रश्नों के संबंध में उपलब्ध जानकारी प्रदान करने और संबंधित स्पष्टीकरण देने हेतु साक्षियों का धन्यवाद किया।

7. तत्पश्चात, साक्षी चले गए।

8. कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) लोक सभा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों पर दिनांक 15.11.2021 को मौखिक साक्ष्यों के दौरान की गई चर्चा का विवरण

क्र. सं.	ता.प्र.स/अता.प्र.सं.और दिनांक	विषय
1.	दिनाक 01-12-2005 को सदस्यो द्वारा निवेदन	एमएनसी मे दलितो को आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता
2.	दिनाक 21-02-2006 के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	असगठित मजदूरो सबधी विधेयक
3.	ता.प्र.स. 71 दिनाक 04.08.2011	उवरको के मूल्य
4.	अता.प्र.स.1024 दिनाक 29.11.2012	फैक्ट लि., कोचीन का पुनरुद्धार
5.	अता.प्र.स. 4449 दिनाक 20.12.2012	एफ.ए.सी.टी. को वित्तीय सहायता/पैकेज
6.	अता.प्र.स. 3120 दिनाक 11.02.2014	एफ.ए.सी.टी. का पुनरुद्धार
7.	ता.प्र.स. 22 दिनाक 08.07.2014 (श्री अनिरुद्धन सम्पत, ससद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उवरको के मूल्य मे वृद्धि
8.	ता.प्र.स. 31 दिनाक 08.07.2014	बद पड़े/रुग्ण उवरक सयत्रो का पुनरुद्धार
9.	अता.प्र.स. 73 दिनाक 08.07.2014	एफ.ए.सी.टी को वित्तीय सहायता
10.	अता.प्र.स. 661 दिनाक 15.07.2014	एफ.ए.सी.टी. के शेयरो को बिक्री
11.	ता.प्र.स. 386 दिनाक 05.08.2014 (श्री एन.के.प्रेमचद्रन, ससद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उवरक सयत्र
12.	अता.प्र.स. 4681 दिनाक 12.08.2014	उवरक कारखानो का नवीकरण
13.	अता.प्र.स. 384 दिनाक 25.11.2014	एफ.ए.सी.टी का पुनरुद्धार
14.	ता.प्र.स. 121 दिनाक 26.07.2016 (प्रो. के.वी.थॉमस, ससद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उवरको की आपूर्ति

15.	अता.प्र.स. 3190 दिनाक 21.03.2017	फॉटेलाइजर एड केॉमेकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
16.	अता.प्र.स.1492 दिनाक 12.02.2019	रुग्ण उवेरक इकाइया
17.	अता.प्र.स.4353 दिनाक 28.03.2017	पीएसयू को बढ़ावा
18.	अता.प्र.स.301 दिनाक 25.11.2014	नया उवेरक उद्योग
19.	अता.प्र.स. 3498 दिनाक 11.08.2015	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो का पूनरुद्धार
20.	ता.प्र.स. 32 दिनाक 05.02.2019	रुग्ण उवेरक सयत्र
21.	अता.प्र.स.508 दिनाक 19.12.2017	यूरिया निवेश नीति
22.	अता.प्र.स. 1264 दिनाक 18.12.2018	उवेरक सयत्रो से राजस्व
23.	ता.प्र.स. 3 दिनाक 24.02.2015 (श्री जगदम्बिका पाल, ससद सदस्य द्वारा पूछा गया अनूपूरक प्रश्न)	उवेरको पर राजसहायता
24.	ता.प्र.स. 3 दिनाक 24.02.2015 (श्री कृपाल बालाजी तुमाने, ससद सदस्य द्वारा पूछा गया अनूपूरक प्रश्न)	उवेरको पर राजसहायता
25.	अता.प्र.स. 415 दिनाक 05.02.2019	अनुदान तत्र

परिशिष्ट - अपेन्डिक्स

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सातवीं बैठक

(08.03.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा संख्या '3', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
3. श्री कौशलेन्द्र कुमार
4. श्री एम.के. राघवन
5. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री टी.एस. रंगराजन - निदेशक
3. श्री एस.एल. सिंह - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित तीन (03) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया:

(i) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" विषय के संबंध में प्रारुप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

(ii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा); और

(iii) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

2. समिति ने सभापति को उक्त प्रतिवेदनों को चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत करने हेतु भी प्राधिकृत किया।

XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।